द्वितीय माला, खण्ड ५५—अंक ५२

सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५५ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(एक रुपया देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

द्वितीय माला, खंड ५५—अंक ५१ से ६१—२२ अप्रैल से ५ मई, १९६१/२ से १५ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ५१—शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख, १८८३ (शक)

वित्त विधेयक

खण्ड २ से १७, १ तथा प्रथम और द्वितीय अनुसूची . ५९९९–६००३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५९८३–६००३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . ६००४

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . . ६००४

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम का) ६००४

विचार करने का प्रस्ताव

परिचालित करने का संशोधन—स्वीकृत . . . ६००४–६००६

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का) ६००७-१९

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . ६००७–१९

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बालमीकी का)

विचार करने का प्रस्ताव ६०१९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६०२०–२१

अंक—५२ सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१ ४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४, १६८५, १६८७, १६८९, १६९१, १६९२, १६९५ से १६९८, १७००, १७०२ से १७०५ और १७०७, १७०८, १७१०, १७०९ और १६९० ६०२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८६, १६८८, १६९३, १६९४, १६९९, १७०१ और १७०६ . . ६०४८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२६ से ३७५४, ३७५६ से ३७७३ और ३७७५ से ३७८२ . . . ६०५२–७४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	
१. पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना . .	६०७४–७५
२. रूरकेला में आदिवासी कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी	६०७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
बिलासपुर में चावल के लाने ले जाने के लिए वैगन	६०७७–७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६०७८
कलकत्ता क्षेत्र में बिजली के बारे में वक्तव्य	६०७८
आय-कर विधेयक ––पुरस्थापित .	६०७९
तार विधियां (संशोधन) विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए.	६०७९–८०
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . .	६०८०–८१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक .	.६०८१––६०१३
विचार करने का प्रस्ताव .	.६०८१––६१०१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	.६१०१––६१०३
भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव	६१०३––०८
दैनिक संक्षेपिका . .	६१०९––१४

अंक ५३ मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/
५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७११, १७१२, १७१४ से १७१६, १७१९ से १७२१, १७२३ और १७२५ से १७३० .	६११५––३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७१३, १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४	६१३९––४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८३ से ३८४५ और ३८४७ से ३८६०	६१४१––७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१७८–७९
भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना––	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	६१७९–८०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य–	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य––	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति	६१८०
तीसरा प्रतिवेदन––	

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	६१८१—८५
राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विचार के रूप में	६१८०—८४
खंड २, ३, और १	६१८४
पारित करने का प्रस्ताव	१६८४—८५
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक	६१८५—९७
विचार प्रस्ताव	६१८५—९१
खंड २, ३ और १	६१९२
पारित करने का प्रस्ताव	६१९२—९७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १९६१–६२	६१९७—६२०८
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	६२०८—२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में	
दैनिक संक्षेपिका	६२२२—२७

अंक ५४—बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/
६ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३१, १७३२, १७३७ से १७४३ और १७४५ से १७५०	६२२९—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ से १७३६, १७४४ और १७५१ से १७५३	६२५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ से ३९६६, ३९६८ से ३९७१ और ३९७३ से ३९७९	६२६०—६३०८
दिनांक २८–३–१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि	६३०८
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना	६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना	६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३१२–१३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६३१३
समिति के द्वारा द्वारा निर्वाचन	६३१३–१४

विषय	पृष्ठ
१. भारतीय खान स्कूल की प्रशासक परिषद् . . .	६३१३–१४
२. राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए सलाहकार समिति बोर्ड	६३१४
उड़ीसा की अनुदानों की मांगें––१९६१–६२ . .	६३१४–१६
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक	६३१९–२६
विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	६३१९–२५
खण्ड १ और २ .	६३२५
पारित करने का प्रस्ताव .	६३२५–२६
विधि व्यवसायी विधेयक––	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६३२६–३९
दैनिक संक्षेपिका	६३४०–४७

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१

अंक ५५–– ——————————

७ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ से १७५८, १७६० से १७६३ और १७६६ से १७६९ . .	६३४९–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५९, १७६४ और १७७० से १७७६ .	६३७१–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८० से ५०२६ और ४०२८ से ४०४७	६३७६–६४०२
स्थगन प्रस्ताव––	
कलकत्ता में बिजली का बन्द होना	६४०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६४०३–०४
प्राक्कलन समिति ––	
कार्यवाही का सारांश	६४०४
२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	६४०४–०५
सभा का कार्य	६४०५–०६
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१––पुरस्थापित	६४०६
विधि व्यवसाई विधेयक	६४०६–३३
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६४०६–२०
खंड २, ४ से २३, २५ से २८, ३१ से ५७, ३, २४, २९, ३०, अनुसूची तथा खंड १ .	६४२०–३३
पारित करने का प्रस्ताव .	६४३३–३४

विषय	पृष्ठ
आयकर विधेयक, १९६१ .	६४३४--३९
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४--३९
अशोक होटल में गो मांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०--४६
दैनिक संक्षेपिका	६४४७--५१

अंक ५६--शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८ ६४५३--७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ . ६४७५--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२ ६४७८--६५१५

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें ६५१५---१६

प्राक्कलन-समिति . . ६५१६--१७

(१) कार्यवाही सारांश

(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से संदेश ६५१६

विशेषाधिकार समिति--

बारहवां प्रतिवेदन . ६५१७

सभा का कार्य . . . ६५१७--१८

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक---पुरस्थापित ६५१८

उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित ६५१८--१९

आयकर विधेयक ६५१९---३१

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ६ १९--३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

चौरास्सीवां प्रतिवेदन . . ६५३१

धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प---अस्वीकृत ६५३१--४३

व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प ६५४३---४५

दैनिक संक्षेपिका ६५४६--५१

विषय पृष्ठ

अंक ५७—सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९९, १८००, १८०२, १८०३, १८०५ से १८०८, १८१०, १८११, १८१३ और १८२० ६५५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१०, १८०४, १८०९, १८१२, १८१४ से १८१९ और १८२१ से १८३२ . . . . ६५७६—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३३ से ४२४० और ४२४२ से ४२४९ ६५८५—६६३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना . ६६३४–३५

कलकत्ते में बिजली की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में ६६३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६६३५–३६

राज्य-सभा से सन्देश ६६३६–३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६६३७

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ६६३७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ६६३७–३८

विशेषाधिकार समिति—

बारहवां प्रतिवेदन ६६३८–३९

आयकर विधेयक, १९६१ ६६३९—४३

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६६३९—४३

दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक ६६४३—६५

विचार करने का प्रस्ताव ६६४३—६२

खंड २ और तीन २६६३—६५

दैनिक संक्षेपिका ६६६६—७३

अंक ५८—मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ से १८३६, १८३८, १८४० से १८४४ और १८४६ से १८५० ६६७५—९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ ६६९८—६७०२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३९, १८४५ और १८५१ से १८५९ .	६७०२--०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६० से ४३२६	६७०७--४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अंगुल परगने के लोगों से "वैद्यकरण शुल्क" की वसूली	६७४१--४२
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में--	
न्यू एज में प्रकाशित कुछ बातें	६७४२-४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	६७४३--४५
भारती रेलवे (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . .	६७४५
दिल्ली (नगरीय-क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक	६७४६--४९
खंड ३ से ९ और १	६७४६-४७
पारित करने का प्रस्ताव . .	६७४७--४९
भारतीय बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक .	६७४९-५०
विचार करने का प्रस्ताव	६७४९-५०
खंड १ और २	६७४९-५०
पारित करने का प्रस्ताव .	६७५०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५८-५९	६७५०--५८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६१--पारित	६७५८-५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५८-५९	६७५९-६०
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६१--पारित	६७६१--६३
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६७६३--६७
भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव .	६७६८--७५
दैनिक संक्षेपिका	६७७६--८२

अंक ५९--बुधवार, ३ मई, १९६१/१३ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६० से १८६४, १८६६, १८६८, १८७१ से १८७४, १८७६ से १८७९ और १८८२ .	६७८४--६८०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७५, १८८०, १८८१ और १८८३ से १८९८ . .	६८०७–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२७ से ४३३५, ४३३७ से ४४६५, ४४६५-क, ४४६५-ख, ४४६५-ग और ४४६५-घ . . .	६८१७–७८
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना . .	६८७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिल जुल कर काम करने की व्यवस्था .	६८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६८८०—८४
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	६८८४–८५
सदस्य की गिरफ्तारी	६८८५
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक . .	६८८५–९७
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६८८५—९३
खंड २ से ५ तथा १	६८९३–९४
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६८९४—९७
दिल्ली दुकान तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक . . .	६८९७—९१९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६८९७—९१७
खंड २ से ५ तथा १ .	६९१७—१९
पारित करने का प्रस्ताव .	६९१९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक . . .	६९१९–२०
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	६९२०–२१
दैनिक संक्षेपिका	६९२२—३०

अंक ६० गरुवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८९९, १९०४, १९०५, १९०७ से १९११, १९१४ और १९१५	६९३१—५७

विषय	पृष्ठ
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६	६९५७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९००, १९०१, १९०३, १९०६, १९१२, १९१३, १९१६, १९१६-क और १९१७ से १९२५ . .	६९५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६६ से ४५७३, ४५७५ से ५४८७, ४५८९ से ४५९२, ४५९४ से ४६०६, ४६०६-क और ४६०६-ख .	६९७६—७०२४
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान के लापता होने के बारे में वक्तव्य	७०२४—२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
यू० पी० के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाने की कथित घटना . .	७०२५—२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७०२६—२८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	७०२८
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
कर्यवाही सारांश	७०२८
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
कार्यवाही सारांश	७०२८
राज्य-सभा से सन्देश . . .	७०२९
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	७०२९
सालारजंग संग्रहालय विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	७०२९—५३
खंड २ से २८ और खंड १	७०४९—५३
पारित करने का प्रस्ताव .	७०५३
सदस्य को सजा	७०४३
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार . . .	७०५४—५६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	७०५६—६३
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	७०६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	७०६६—७५

विषय	पृष्ठ

अंक ६१—शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२६, १९२९, १९३३ से १९४०, १९४२, १९४३ से १९४५, १९४७, १९४६ और १९४६-क १९४२-क, . ७०७७—९७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ से २१ . . . ७०९८—७१०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३० से १९३२ और १९४१ ७१०४—०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०७ से ४६२६, ४६२८ से ४६९४ और ४६९६ से ४७०३ . . . . . ७१०७—४६

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ७१४६—४८

स्वदेशी काटन मिल्स में ताला बन्दी

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ७१४८–४९

१. दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल ।
२. पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा ।
३. रानीगंज की कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों की घटनायें ।
४. व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ।
५. पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण के सीमांत डिवीज़न में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से कुछ शस्त्राशत्रों का कथित गायब हो जाना ।
६. अलीपुर में खंड क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७१४९—५१

राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य ७१५१

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ७१५२

कार्यवाही सारांश

याचिका संबंधी ७१५२

कार्यवाही सारांश

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश ७१५२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ७१५२

प्राक्कलन समिति ७१५२

एक-सौ पैंतीसवां, एक-सौ छतीसवां और एक-सौ सैंतिसवां प्रतिवेदन

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति . .	७१५३
सैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	७१५३
बारहवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर की शुद्धि .	७१५३
पूंजीकुन्नू नैमांम, जिला त्रिवेन्द्रम में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य	७१५३–५४
विधेयक–पुरस्थापित	७१५४
१. काफी (संशोधन) विधेयक	
२. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक .	७१५४––६०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में .	७१५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१–पुरस्थापित	७१६१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	७१६१––६५
वृद्धावस्था पेंशन विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)–पुरस्थापित .	७१६५
अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)–वापिस विचार करने का प्रस्ताव	७१६५––९३
संविधान (संशोधन) विधेयक . . .	७१९३
(धारा २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का) विचार करने का प्रस्ताव	
पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	७१९४––९९
बिदाई संबंधी उल्लेख . . .	७१९९
दैनिक संक्षेपिका	७२००––०९
तेरहवां सत्र के कार्यवाही सारांश . . .	७२१०––१२

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न के किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—586 (Ai) LSD—8-7 61—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, २४ अप्रैल १९६१

४ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दक्षिण वियतनाम में अधीक्षण और नियंत्रण का अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

†*१६८४ { **श्री नारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वियतनाम के लोकतन्त्रीय गणराज्य ने वियतनाम में अधीक्षण और नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग से शिकायत की है कि दक्षिण वियतनाम की सरकार ने १९५४ के जनेवा समझौता का उल्लंघन किया है और समझौते के इस प्रकार के उल्लंघन की रोकथाम के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा यदि कोई कदम उठाये ग` हैं; तो वे क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण वियतनाम के दस्तों ने उस क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से प्रवेश किया है, जहां से सेनाएं हटा ली गयी थी;

(घ) क्या आयोग ने इस पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) से (ङ) वियतनाम के लोकतंत्रीय गणराज्य तथा वियतनाम की गणराज्य सरकार दोनों ने ही समय समय पर वियतनाम

†मूल अंग्रेजी में

550 (Ai) LSD—1

में अधीक्षण और निमन्त्रण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के पास कई शिकायतें भेजी है जिनमें यह कहा गया है कि अन्य पार्टी ने जनेवा करार के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन किया है। प्रत्येक ओर से हजारों की संख्या में शियकतें की गयी हैं। आयोग उन शिकायतों के प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन पर कार्यवाही करता है। एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में, जिसके निर्देश पर और सक्षमता जनेवा करार द्वारा निर्धारित की गई है, यह आयोग करार के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलो पर विचार करता है और उन पर कार्यवाही करता है। यदि आवश्यकता हुई तो वे मामले जनेवा सम्मेलन के सह-सभापतियों को सौंप दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त वार्षिक तथा अन्तरिम रिपोर्ट भी सह-सभापतियों को भेजी जाती है।

भारत सरकार को, उस अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य और चेयरमैन होने के नाते आयोग की कार्यवाहियों की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या यह सच है कि उत्तर वियतनाम की सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेषरूप से शिकायतें की है कि दक्षिण वियतनाम में विदेशी सेना का प्रवेश १९५४ के करार की शर्तों के विरुद्ध है और यदि हाँ, तो क्या कोई जांच की गयी है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह बताया जा चुका है कि करार की शर्तों के अधीन किसी भी पतन में सैनिक हथियारों का प्रवेश जनेवा करार का उल्लंघन समझा जायेगा। ऐसी शिकायतें हजारों की संख्या में हैं। ये शिकायतें आयी हैं कि दक्षिण वियतनाम हथियार प्राप्त कर रहा है और दक्षिण वियतनाम ने भी वैसी ही शिकायतें की हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या यह सच है कि उत्तर वियतनाम सरकार ने आयोग के सभा पति के रूप में काम कर रहे भारत की निन्दा की है और यदि हाँ, तो क्या वास्तव में उसका कोई आधार है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** भारत की निन्दा कैसे की जा सकती है क्योंकि भारत को आयोग को एक सभापति देकर उसकी सहायता कर रहा है। अन्यथा हमारा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण आयोग तथा उसके सदस्यों को दी गयी शक्ति के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बहुत से अवसरों पर जब उत्तरी वियतनाम की ओर से सिकायतें आयी है, आयोग ने अपनी मजबूरी जाहिर की है क्योंकि उनका कहना है कि दक्षिणी वियतनाम सरकार ने सहयोग नहीं दिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह तो अपने अपने मत की बात है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं तो तथ्य के बारे में जानना चाहती हूँ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जब भी कोई शिकायत की जाती है, उस समय आयोग का यह कर्तव्य होता है कि वह उस स्थल पर अपने पर्यवेक्षक भेजे। और यदि अत्यधिक उल्लंघन हो तो वह मामला सह-सभापतियों को सौंप दिया जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मेरा यह प्रश्न नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आयोग में तीन सदस्य हैं। यदि उनमें कोई मत-भेद पैदा हो जाये, तो उससे भी कार्य की प्रगति में विलम्ब हो जाता है।

†**श्री दामानी:** क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को बुलाने के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** दक्षिण वियतनाम में तो आयोग काम कर रहा है।

†**श्री श्रीनारायण दास:** माननीय उपमंत्री ने यह बताया है कि कुछ मामले जनेवा सम्मेलन के सह-सभापति के पास भेजे गये हैं। कुल कितने मामले सह-सभापति के पास भेजे गये हैं?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन:** मेरे पास इस समय वह जानकारी नहीं है।

कैलाश तथा मानसरोवर जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्री

१६८५. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** ८ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७८१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कैलाश और मानसरोवर के भारतीय तीर्थयात्रियों की कठिनाइयां दूर कराने और उन्हें अधिक सुविधायें दिलाने के बारे में चीन-सरकार से जो पत्र-व्यवहार किया जा रहा था, उसका क्या परिणाम निकला; और

(ख) इस वर्ष यात्रा का जो मौसम प्रारम्भ होने वाला है, उसमें भारतीय तीर्थयात्रियों की सहायता के लिये कौन-सी विशेष कार्यवाही की जा रही है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) १९५४ के भारत-चीन करार में भारतीय तीर्थयात्रियों को सुविधाएं देने की जो व्यवस्था थी, उसके बारे में हमारे शिकायत-पत्रों का चीन सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

(ख) तीर्थयात्रियों की प्रार्थना पर, गतांक स्थिति भारतीय व्यापार-एजेंट जो भी सहायता संभव होगी, उसे देने की व्यवस्था करेंगे।

श्री भक्त दर्शन: इस समाचार में कहां तक सत्यता है कि चीन की सरकार केवल एक ही दर्रे से भारतीय यात्रियों को आने की इजाजत दे रही है और वह भी अपनी जिम्मेदारी पर और क्या यह १९५४ के करार के खिलाफ़ नहीं है? यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : जी हां, यह सच है कि चीनी सरकार ने हमसे कहा है कि यह बेहतर होगा अगर एक रास्ते से लोग आयें। अब यह कहा जा सकता है कि उन्होंने पहले यह तय किया था कि कई रास्तों से आ सकते हैं और अब एक कहा है और यह उस दर्जे से नहीं मिलता है। लेकिन जाहिर है कि इसके माने ये

†मूल अंग्रेजी में

हो सकत हैं कि अगर और रास्तों से आयें, तो उन की हिफाजत करने में उनको दिक्कत होती है और किसी अन्दरूनी दिक्कत का नतीजा होगा यह।

श्री भक्त दर्शन : जब यह सूरत-हाल है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भारत के तीर्थ-यात्री वहां जाना चाहत हैं, उनको भारत सरकार क्या सलाह देना चाहती है और उनके लिये अपनी ओर से क्या इन्तजाम करना चाहती है।

श्री जवाहर लाल नेहरू : भारत सरकार की सलाह यह है कि जहां तक मुमकिन हो, उसी तरफ से जायें, जो कि चीनी सरकार ने कहा है। अगर वे और किसी रास्ते से जाना चाहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी पर जा सकत हैं।

डा० मा० श्री अणे : सभा-सचिव महोदय ने अपने रेप्लाई में कहा है कि चीनी सरकार से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां से जो चिट्ठी गई है, वह कौन सी तारीख को गई है। उस को गये कितने दिन हो गये हैं?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कई बार लिखा गया है। इस वक्त तारीखें तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री आचार : हाल ही में समाचार पत्रों में यह समाचार आया था कि उस क्षेत्र में गड़ बड़ हो रही है और इसलिये यात्रियों को रक्षा के लिये स्वयं ही अपना प्रबन्ध करना पड़ेगा। क्या सरकार इस बारे में कोई सहायता नहीं कर सकती?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** लोगों को स्वयं ही अपना प्रबन्ध करना चाहिये।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना है कि चीन ने जो रास्ता निर्धारित किया है, उसके अलावा दूसरे रास्तों से जो भारतीय गये हैं, उनको खतरा आया है और अगर आया है, तो किस तरह का? क्या दिक्कतें हुई हैं उनको?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसके बारे में कोई खास सूचना तो नहीं है। आम अफवाहें हैं।

श्री भक्त दर्शन : समाचारपत्रों के अनुसार अब तक इस सम्बन्ध में जो सूचना मिली है, वह तिब्बत के स्थानीय अधिकारियों, लोकल अथारिटीज, की तरफ से मिली है। चूंकि यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिये क्या चीन के हाइएस्ट अथारिटीज—चीन के प्रधान मंत्री को लिख कर इस मामले को सुलझाने का प्रयत्न किया जायगा?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है।

राजा महेन्द्र प्रताप : यह सवाल रोज-रोज आता है। इससे यह मालूम होता है कि अभी तक चीन सरकार से हम ठीक से कोई इतिजाम नहीं कर पाए हैं। मैं पैकिंग जा रहा हूं, ऐसी मेरी कोशिश है। क्या यह मुम्मकिन है कि हम बड़े पैमाने पर चीन के साथ एक ऐसा समझौता कर लें कि ये झगड़े रोज-रोज के हमेशा के लिए खत्म हो जायें?

उपाध्यक्ष महोदय : यह राय की बात है जो आपके लिए करना मुम्किन है, दूसरों के लिए न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

दर्शन यंत्रों के शीशे

†*१६८७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दर्शन यंत्रों के शीशों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस बारे में हमें कब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त होने की आशा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) दर्शन यंत्रों के शीशो के निर्माण के लिए केन्द्रीय काँच तथा चीनी मिट्टी अनुसन्धान सस्था, कलकत्ता में एक कारखाना स्थापित किया गया है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ५ टन से अधिक होगी। कारखाने में उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इस समय देश में जितने दर्शन यंत्रों के शीशों की जरूरत है उनमें से आधे से अधिक का उत्पादन किया जा रहा है आशा है कि शेष का निर्माण इस वर्ष के अन्त तक हो जायगा।

(ख) आशा है कि १९६२ में अनेक प्रकार के शीशों में आत्म निर्भरता प्राप्त हो जायगी ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या कुछ उत्पादन गैर सरकारी क्षेत्र में भी हो रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सारी नैशनल लैबोरेटरी जो कलकत्ता में है हमारी है, उनकी रिसर्च और इनवैनशन थी और वह वहां बनायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** माननीय उपमंत्री ने यह बताया है कि शीशे की बहुत सी किस्मों में आत्म निर्भरता प्राप्त हो जायेगी। मैं यह जानना चाहती हूं कि किस किस किस्म के शीशों की जरूरत होगी और उसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** संभवतः दो तीन किस्मों का ही निर्माण किया जा सकेगा और आयात पर बहुत कम विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच है कि रूस ने लगभग २५० किस्मों के निर्माण के लिय हमें जानकारी देने का प्रस्ताव किया था ? उस प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सभा ने सदा इसी बात का समर्थन किया कि विदेशों से जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा राष्टीय अनुसन्धान को अधिमान दिया जाय इस संस्था ने कई बहुत बढ़िया किस्म के शीशे बनाय हैं। रूस ने सहयोग के लिये प्रस्ताव किया था। परन्तु हमने अपने ही संसाधनों से कार्य करना अच्छा समझा है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या उत्पादन की वर्तमान स्थिति से प्रतिरक्षा सेनाओं की इस सबन्ध में सम्पूर्ण मांग पूरी हो जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैंने यही कहा है। उसका उत्पादन एक दम प्रारम्भ कर दिया गया है और उत्पादन का आधा काम पूरा हो गया है।

---

†मूल अग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि कन्द्रीय काँच तथा चीनी मिटटी अनुसन्धान सस्था में केवल दो ही किस्म के शीशों का निर्माण किया जा रहा है जब कि कई किस्म की शीशों की जरूरत है और रूस ने २५० किस्मों के शीशों की जानकारी का प्रस्ताव किया है।

†**श्री मनुभाई शाह** : पहली बात तो यह है कि रूस ने २५० किस्मों की जानकारी देने के लिये प्रस्ताव किया ही नहीं था। हमें मुख्यतया चार प्रकार के शीशों की जरूरत है। शेष की तो कम संख्या में जरूरत है। कई देशों ने प्रस्ताव किया था। परन्तु हमारी नीति यह है कि हम स्वदेशी वस्तुओं को ही प्राथमिकता दें।

†**श्री बासप्पा** : जब केन्द्रीय काँच तथा चीनी मिटटी अनुसन्धान संस्था ने इतनी अधिक उन्नति कर ली है तो फिर हम विदेशी सहयोग के लिये यत्न क्यों करते रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने विदेशी सहयोग के लिये उस समय सोचा था जबकि यह संस्था अभी अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ कर रही थी। परन्तु हम जब तक बातचीत करते रहे, सस्था ने अपने कार्य में पर्याप्त प्रगति कर ली। उसके शीशों को मास्को की प्रयोगशालाओं में भी मान्यता प्राप्त होने लगी। इसीलिये हमने अपने ही कार्य को जारी करने का निर्णय कर लिया।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन

†*१६८९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और योजना के संशोधनों पर विचार करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अभी हाल में एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या निगम ने इस बारे में कोई सिफारिशों की हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने निगम की सिफारिशों के प्रकाश में एक संशोधन-विधेयक पेश करने का निश्चय किया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) निगम ने प्रस्तावित संशोधनों और वित्तीय खर्चों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक उप-समिति स्थापित की है।

(ग) निगम की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या निगम की इस बैठक में मुदलियार समिति की सिफारिशों पर विशेषतया इस सिफारिश पर कि बीमा हुये व्यक्तियों के लिये एक अलग हस्पताल के लिये प्राथमिकता दी जाये--विचार किया था ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मुदलियार समिति की सिफारिशों पर निगम तथा राज्य सरकारों द्वारा विचार किया गया है। परन्तु जहां तक इन संशोधनों का संबंध है, ये केवल मुदलियार समिति की सिफारिशों पर ही आधारित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या अस्पतालों को शीघ्र गति से स्थापित करने के लिये आवश्यक धन में कमी को देखते हुये सरकार मंजूरी बिलों के ४।। प्रतिशत तक अंशदान बढ़ा देने का विचार रखती है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह सच नहीं है कि धन की कमी है। हमारे पास तो वास्तव में अतिरिक्त राशि है।

चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

\+

*१६९१. **श्री का० ना० पांडे :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन चीनी के कारखानों ने भी अभी तक इस रिपोर्ट को क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ग) इसकी यथासंभव शीघ्र क्रियान्विति के लिये उनका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) से (ग) राज्य सरकारों से यह कह दिया गया है कि वे इसे शीघ्र ही कार्यान्वित करने का यत्न करें।

(ख) उन सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये सम्बन्धित फैक्टरियों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं।

†**श्री काशी नाथ पांडे :** क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि कारखानों के मालिक चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को तब तक कार्यान्वित करने के लिये तैयार नहीं हैं, जब तक सम्पूर्ण मामला प्रशुल्क आयोग को नहीं सौंपा जाता और उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार के लिये उन्हें प्रतिकर नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री आबिद अली :** उत्तर प्रदेश से हमें ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है। उसके बाद यह घोषणा कर दी गयी है कि चीनी के निर्यात पर आने वाले खर्च के कुछ भाग को सरकार वहन करेगी। आशा है कि यह उद्योग चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा।

†**श्री गोरे :** इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री आबिद अली :** मैं नहीं समझता कि इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई विशेष पत्र आया है। परन्तु उससे भी यह कहा गया है कि वह उन सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये चीनी मिलों को मनवाने का यत्न करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या यह सच नहीं है कि माननीय खाद्य मंत्री ने ग्रनुदानों की मांगों के उत्तर में यह कहा था कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति पर ग्राने वाले खर्च को वहन करने के लिये सरकार तैयार है ?

†**श्री ग्राबिद ग्रली** : मैं नहीं समझता कि ऐसी घोषणा की गयी थी । वह घोषणा तो चीनी निर्यात के संबंध में थी ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : खाद्य मंत्री ने सभा में यह घोषणा की थी कि चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर ग्राने वाले नुकसान को वहन करने के लिये सरकार तैयार है । इस संबंध में मिल मालिकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री ग्राबिद ग्रली** : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय चीनी मिलों के प्रतिनिधियों की सन्था के साथ बातचीत कर रहा है ग्रौर ग्राशा है कि मंत्रालय उन्हें बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये राजी कर लेगा ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या इनकी कार्यान्विति के प्रारम्भ के संबंध में कोई तिथि निर्धारित कर दी गयी है , ग्रौर यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री ग्राबिद ग्रली** : इसमें किसी तिथि का तो कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । कार्यान्विति तो इस समय तक प्रारम्भ कर दी जानी थी । हम चाहते हैं कि इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाये ।

†**श्री गोरे** : यदि मिल मालिक ग्रौर राज्य सरकारें उन्हें कार्यान्वित नहीं करतीं तो मजरी बोर्ड स्थापित करने का सम्पूर्ण महत्व ही समाप्त हो जायेगा । इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री ग्राबिद ग्रली** : ग्रब तक का ग्रनुभव तो सन्तोषजनक रहा है । ग्रन्य मजूरी बोर्डों की सिफारिशें कार्यान्वित की गयी हैं ग्रौर इस बोर्ड की सिफारिशें भी कार्यान्वित की जायेंगी ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कुछ एक फैक्टरियों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ग्रौर कई समस्यायें भी पैदा हो रही हैं, क्या सरकार उन समस्याग्रों के स्पष्टीकरण के लिये कोई व्यवस्था करने का यत्न करेगी ?

†**श्री ग्राबिद ग्रली** : जी हां, जब भी कोई मौका पैदा होता है उसके लिये व्यवस्था कर दी जायेगी । यह समिति संभवतः राज्य स्तर पर नियुक्त की जायेगी ।

लुधियाना में मशीनी ग्रौजार कारखाना

*१९९२. +
श्री ग्रजित सिंह सरहदी :
श्री बहादुर सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में लुधियाना में एक मशीनी ग्रौजार कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया है ; ग्रौर

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की कुल सम्भाव्य उत्पादन-क्षमता कितनी होगी और इसमें कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

पंजाब में हिन्दुस्तान मशीनी औजार लिमिटिड कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर पंजाब सरकार के परामर्श से निर्णय करेगा । इस संबंध में अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं किया गया है । उस फैक्टरी की १ ००० मशीनी औजार बनाने की क्षमता होगी । इस समय निश्चित रूप से अन्दाज लगाना कठिन है कि उस फैक्टरी में कुल व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा, परन्तु अनुमान है कि लगभग २ ००० व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : विवरण में यह बताया गया है कि फैक्टरी की पूर्ण क्षमता १००० मशीनी औजार निर्माण करने की होगी, परन्तु उसमें अवधि नहीं बतायी गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आशा है कि तीन वर्षों की अवधि में सम्पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा । अर्थात् १ ००० मशीनी औजार का वार्षिक उत्पादन होगा ।

†**श्री बासप्पा** : यह भारी मशीनी औजारों की तुलना में कैसे भिन्न है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें बहुत से भारी मशीनी औजारों की जरूरत है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में तीन और मशीनी औजार फैक्टरियां स्थापित की जा रही हैं । दूसरी पंजाब में होगी और वह पूर्वी जर्मनी सरकार के सहयोग से स्थापित की जा रही है ।

बंगाल देशी रुई का निर्यात

*१६९५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईस्ट इंडिया काटन एसोसिएशन के प्रधान से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अनबिकी बंगाल देशी रुई को निर्यात के लिये 'रिलीज' कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी रुई अनबिकी पड़ी है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) जिस समय पत्र प्राप्त हुआ था उस समय ६०,००० से कुछ अधिक गांठ थीं ।

(ग) सभी बातों पर विचार करने के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि निर्यात के लिये ६०,००० गांठों की और 'रिलीज' दे दी जाये । उन्हें इस बारे में सूचित कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या निर्यात के कोटे को रिलीज करने में कुछ विलम्ब लग गया है यदि हां तो माल के इकट्ठा हो जाने से इस के मूल्य में कितनी और कमी हो गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कोई विलम्ब नहीं लगा है ।

†**श्री दामानी :** क्या सरकार ने विदेशों से इस प्रकार की रुई की वार्षिक मांग के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और उसमें से कितनी मांग हम पूरी कर सकते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि हम कितनी मांग पूरी कर सकते हैं, परन्तु सभी बातों पर विचार करने के बाद ही कोटा रिलीज किया जाता है ।

†**श्री दामानी :** क्या घटिया दर्जे की रुई के निर्यात की भी अनुमति दी जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं इस संबंध में अनुमान नहीं लगा सकता ।

अन्तर्राष्ट्रीय सिल्क संस्था का आठवां सम्मेलन

\+

*१६९६. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय सिल्क संस्था के आठवें सम्मेलन में, जो जून, १९६१ में लन्दन में होगा, भाग ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप होगा?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) लन्दन स्थित उच्चायोग से यह प्रार्थना की जा रही है कि वह केन्द्रीय रेशम बोर्ड की ओर से एक पर्यवेक्षक के रूप में उस सम्मेलन में भाग लेने का काम एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दे ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या उनके भारत के कोई व्यक्ति या कोई संगठित संस्था भी भाग ले रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, नहीं ।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या लन्दन स्थित उच्चायोग के उक्त पदाधिकारी को रेशम के सम्बन्ध में कोई ज्ञान है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वास्तव में हम इस सम्मेलन में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि इसका इस रेशम बोर्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है जिसके हम स्थायी सदस्य हैं । हम उस पर अधिक विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करना चाहते हैं; इसी लिये हमने उच्चायोग के उस पदाधिकारी से कह दिया है कि वे उसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लें । वे आर्थिक मामले के इन्चार्ज हैं । वे फिर उस सम्मेलन की उपपत्तियों के सम्बन्ध में हमें रिपोर्ट भेजेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री बासप्पा** : मैसूर का रेशम सारे विश्व में प्रसिद्ध है। तो क्या मैसूर से कोई प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भेजा जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम इस देश से किसी भी व्यक्ति को वहाँ भेजने के लिये इच्छुक नहीं थे।

†**श्री श्रीनारायण दास** : उस सम्मेलन में किन-किन प्रमुख विषयों पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उनकी विषय सूची में लगभग १५ विषय सम्मिलित हैं और उनमें रेशम तथा रेशम उद्योग सम्बन्धी सभी मामले आ जाते हैं।

हिन्दूस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर

†*१६९७. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर ने विशेष प्रयोजन वाली मशीनें बनाने के उद्देश्य से अभी हाल में 'रेनाल्ट' नामक एक फ्रेंच सार्थ से करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य शर्तें क्या हैं और उपरोक्त प्रकार की मशीनों का उत्पादन कब शुरू हो जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हाँ।

(ख) हिन्दुस्तान मशीनी औजार लिमिटेड और फ्रांस की मेसर्स रेनौल्ट कम्पनी के बीच एक करार हो गया है जिसकी एक प्रति १४ अप्रैल, १९६१ को सभा पटल पर रख दी गयी थी।

†**श्री आचार** : क्या उस पर और अधिक पूंजी लगेगी और यदि हां, तो कितनी;

†**श्री मनुभाई शाह** : इसमें लगभग १ करोड़ रुपयों का और खर्च आयेगा और उससे हिन्दुस्तान मशीनी औजार फैक्टरी, बंगलौर में प्रतिवर्ष १ करोड़ रुपयों के औजारों का निर्माण होगा।

†**श्री बासप्पा** : किस प्रकार की मशीनों का निर्माण किया जायेगा और क्या इस समय उनका निर्माण नहीं किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे नये किस्म की मशीनें हैं। यदि माननीय सदस्य उनके प्राविधिक नाम पूछना चाहें, तो मैं बता सकता हूँ। वे मशीनें इस समय भारत में नहीं तैयार की जा रही हैं।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या ये मशीनी औज़ार हिन्दुस्तान मशीनी औजार लिमिटिड में ही तैयार किये जायेंगे या कि स्थापित किये जा रहे अन्य कारखानों में ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये हिन्दुस्तान मशीनी औजार लिमिटिड बंगलौर में ही तैयार किये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में कपड़े का मूल्य

+

*१६६८. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री खुश वक्त राय : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली की दुकानों पर कपड़ा उस पर छपे मूल्यों पर नहीं बिकता;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्राहकों को कपड़े पर छपे मूल्य से २५ से ४० प्रतिशत तक अधिक मूल्य देना पड़ता है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और भविष्य में इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी, नहीं। सामान्यतः उपभोक्ताओं को कपड़ा छपे मूल्यों पर प्राप्त कराया जा रहा है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** समाचार पत्रों में सामान्यतया यह पढ़ने में आता है "कपड़े पर अधिक मूल्य न दो।" क्या सरकार यह समझती है कि जनता को अधिक मूल्य देने पड़ते है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** माननीय सदस्य जिसका उल्लेख कर रहे हैं वह कुछ मास पहले की बात है। इस समय कपड़ा का उत्पादन बढ़ गया है और बिक्री उपभोक्ता अपेक्षाकृत कम हो गयी है। स्थिति पर्याप्त नियंत्रण में है।

फरक्का बांध

+

†*१७००. { **श्री गोरे :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अमजद अली : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के प्रेसीडेण्ट अयूब खां ने अभी हाल में भारत के प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बांध के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के बारे में भारत सरकार के निर्णय पर आपत्तियां उठायी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पत्र का व्योरा क्या है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) हाल में प्रधान मंत्री को पूर्वी क्षेत्र की नदियों के पानी के उपयोग के संबंध में प्रेसीडेण्ट अयूब खां से एक पत्र प्राप्त हुआ था। प्रेसीडेण्ट अयूब ने इस विषय पर, फरक्का बांध को सम्मिलित करते हुए, सचिव स्तर पर चर्चा किए जाने का सुझाव दिया है।

(ख) और (ग). सरकार अभी प्रेसीडेण्ट अयूब के पत्र पर विचार कर रही है इसलिए इस अवस्था में उसकी विषय वस्तु को प्रकट कर देना वांछनीय नहीं है।

†**श्री गोरे** : सभा में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय माननीय मंत्री ने कहा था कि फरक्का बांध संबंधी निर्णय अटल है। अब इस उत्तर से मालूम होता है कि उस पर अभी चर्चा हो रही है। वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से माननीय मंत्री ने यह कहा था कि चाहे कुछ भी हो यह कार्य जारी रहेगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वह निर्णय अटल है। जब मैं प्रेसीडेण्ट अयूब से लन्दन में मिला था तो उन्होंने यह कहा था कि चूंकि तिस्ता नदी पर फरक्का बांध के संबंध में हमारी कुछ योजनायें हैं और पाकिस्तान सरकार को भी इसलिए यह वांछनीय है कि उच्च स्तर पर चर्चा कर ली जाये ताकि वे एक दूसरे से टकरायें न। मैंने कहा कि मैं इसके लिए पूर्णतः तैयार हूं।

†**श्री गोरे** : चूंकि कलकत्ता पत्तन के हित में यह आवश्यक है कि इसके संबंध में यथा-शीघ्र निर्णय करके कार्य प्रारंभ किया जाये ताकि कलकत्ता पत्तन में मिट्टी न जमा हो सके अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस चर्चा में कितना समय लगेगा और हमें अपने निर्णय को कब तक निलम्बित रखना होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह बातचीत हमारे कार्य प्रारंभ करने में बाधक होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा।

†**श्री महन्ती** : क्या सरकार ने सचिव स्तर पर सम्मेलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और, यदि हां, तो यह सम्मेलन कब होने की आशा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, जब प्रेसीडेण्ट अयूब ने लन्दन में यह प्रस्ताव रखा था तभी मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। परन्तु उसके लिए अभी तक कोई तारीख नहीं निश्चित हुई है।

†**श्री अमजद अली** : क्या इस चर्चा में पाकिस्तान के दृष्टिकोण को मान लेने की गुंजाइश है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम दूसरों के दृष्टिकोणों को हमेशा मानने का प्रयत्न करते हैं यदि वे हमारे मार्ग में बाधक न हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या हम यह समझें कि इस बैठक की प्रतीक्षा किए बिना कार्य जारी रहेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं हमारे इंजीनियर अपना कार्य कर ही रहे हैं। मैं नहीं समझता उसमें इस के कारण कोई विलम्ब होगा ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या भारत सरकार ने नदी के ऊपर और नीचे वाले भागों के देशों के अधिकारों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियों और सिद्धांतों की समस्त अन्तर्ग्रस्तताओं पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हमारे बांध के निर्माण को रोकने के लिए क्या नए कदम उठाए हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब भारत सरकार इस मामले पर विचार करेगी तो निस्संदेह प्रत्येक बात पर विचार किया जायेगा । हमारे तथा उनके प्रस्ताव कुछ अतिछादी हैं अतः अपव्यय को रोकना वांछनीय है। यदि हमारे थोड़े से प्रत्यन से उनकी सहायता हो सकती हो तो हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे, यदि उससे हमारी योजना प्रभावित न हो और ऐसी ही हमें उन से भी आशा है । जहां तक ऊपर और नीचे के भागों के अधिकारों का सम्बन्ध है, जब वह मामला आयेगा तब विचार किया जा सकता है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है अभी उनका कोई प्रश्न नहीं है परन्तु उनको ध्यान में रखना होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इन बातचीतों के दौरान . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : बातचीत अभी प्रारम्भ ही नहीं हुई है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जी नहीं, अनौपचारिक रूप से कुछ बातचीत हुई है । क्या उस बातचीत में यह संकेत किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में गंगा नदी एक अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग है । इसलिए उनकी अनुमति के बिना हम यह कार्य नहीं कर सकते हैं और यदि हां, तो इस प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि की स्थिति के सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसका निश्चित उत्तर नहीं दे सकता हूं । हमारा विचार है कि हमें अपनी योजना का कार्य जारी रखने का प्रत्येक अधिकार है । हमारे लिए यही पर्याप्त है । अभी किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है । जब प्रेसीडेंट अयूब ने मुझ से इसका उल्लेख किया था तो मैं ने कहा था कि हम इस मामले पर विचार करेंगे ताकि हमारी योजनायें एक दूसरे से टकरायें न । परन्तु यह सही है कि जो पत्र लिखा गया है उसमें अनेक अन्य प्रश्न भी उठाये गए हैं। वह पत्र मेरे सामने नहीं है और यदि होता तब भी उन बातों की चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं होगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि हमारे फरक्का बांध का कार्य जारी रखने के निर्णय के बहुत समय पहले ही पकिस्तान सरकार ने कपोडका योजना को मंजूरी दे दी थी जिसमें गंगा से पानी लिया जाएगा और तब गंगा के पानी की सहभागिता का प्रश्न नहीं उठाया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे दुख है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मुझे वे बातें याद नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में असन्तोष

†*१७०२. **श्री डा० एरिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले कुछ समय से उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के लोहित सीमान्त डिवीजन के मिशमियों में बड़ा असन्तोष व्याप्त है और परस्पर झगड़े हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ लोग हताहत हुए हैं और वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख). सरकार को यह पता चला है कि नेफा के लोहित सीमान्त डिवीजन की दिबांगा घाटी में रहने वाले मिशमियों में आन्तरिक झगड़े चल रहे हैं। उस क्षेत्र में अन्तर्जातीय झगड़ों में हाल में दो व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है। परन्तु इन अपराधों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए ? उस क्षेत्र की स्थिति सामान्यतः शांतिपूर्ण है। स्थानीय प्राधिकारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उचित कदम उठाए हैं।

†**श्री डा० एरिंग** : सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न होने देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हमने एक कदम यह उठाया है कि अतिरिक्त राजनैतिक अधिकारी के मुख्यालय को, जो अभी दिबांग नदी के निचले भाग में रोइंग में है, दिबांग घाटी के ऊपरी भाग में एनीनी नामक स्थान में ले जाया जायेगा ताकि अपराधों के सम्बन्ध में प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जा सके।

†**श्री डा० एरिंग** : क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में कुछ घर भी जलाए गए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हाल में उस क्षेत्र में दो हत्यायें हुई थीं। उसके बाद प्रशासन ने उन अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाए और एक आसाम राइफल दल भेजा। आसाम राइफल दल गांव गया तथा उसने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और तीन या चार बन्दूकें बरामद कीं। इसके पश्चात् गांव के लोगों से उन अपराधियों को पेश करने के लिए कहा गया जिनको उन्होंने छिपा रखा था। परन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया वरन् एक सशस्त्र व्यक्ति को एक भरी हुई बन्दूक सहित एक और हत्या करने के लिए रोइंग भेजा, जो घाटी में नीचे की ओर स्थित है। परन्तु उसे पकड़ लिया गया। इस के बाद आसाम राइफल दल उस गांव को पुनः भेजा गया और उसने वहां जा कर गांव को बिल्कुल खाली पाया। इसलिए दल ने अपराधियों के झोंपड़े नष्ट कर दिए तकि वे वहां शरण न ले सकें।

†**श्री अमजद अली** : इस उपद्रव का तुरन्त कारण क्या था ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : लोहित सीमान्त डिवीजन की दिबांग घाटी में रहने वाले मिशमियों में बदला लेने की भावना बहुत प्रबल है और यदि वर्तमान पीढ़ी उसका बदला नहीं ले पाती है तो उसकी सन्तान बदला लेती है। इसलिए एक अपराध होने पर उसका क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि प्राधिकारी हस्तक्षेप न करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बत में चीनी सैनिकों की गतिविधि

+

†*१७०३. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीनी अपने सैनिकों को बड़े पैमाने पर तिब्बत की ओर भेज रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार देखा है। वह इस विषय पर कोई सूचना नहीं दे सकती है । उसमें तिब्बत के अन्दर चीनी सेनाओं की आन्तरिक गति विधि का निर्देश मालूम होता है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या तिब्बत में चीनी प्राधिकारियों के यातना शिविरों में सात भारतीय राष्ट्रजन नजरबन्द हैं और, यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री सादत अली खां** : मैं ने अभी बताया कि हमारे पास इन चीजों के बारे में कोई निर्दिष्ट सूचना नहीं है । वह यातना शिविरों की बात कर रहे हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : मैं सात भारतीय राष्ट्रजनों की नजरबन्दी की बात कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री को इसके बारे में कोई जानकारी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वे कहां नजरबन्द हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तिब्बत में किसी स्थान पर । ठीक स्थान उन्हें नहीं मालूम है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हां इस प्रकार का एक मामला चल तो रहा है परन्तु उनकी संख्या निश्चित नहीं है । चीनी कहते हैं कि वे भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं तथा हम उन के भारतीय राष्ट्रजन होने का दावा कर रहे हैं। इस प्रकार का विवाद बहुत से व्यक्तियों के सम्बन्ध में उठ चुका है और उनमें से अधिकांश चीनियों द्वारा मुक्त कर दिए गए हैं। उनमें अधिकतर लद्दाखी मुसलमान और लामा हैं तथा कुछ सिक्कम के लोग भी हैं जिनकी राष्ट्रीयता पर उन्हें सन्देह है। संभवतः अब ल्हासा में ऐसे पांच या छै व्यक्ति हैं ।

पंजाब को दी गयी निष्क्रान्त भूमि

†*१७०४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को जो एक लाख एकड़ फालतू निष्क्रांत भूमि दी गयी है, वह किन निबन्धनों और शर्तों पर दी गयी है ;

(ख) इसे विस्थापित कृषकों को न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) क्या इसकी कीमत निष्क्रांत व्यक्तियों के कोष में जमा की गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) (१) पंजाब सरकार को लगभग ४६,८८३ एकड़ निष्क्रांत बंजर कदीम भूमि ५ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से और ३६,१३२ एकड़ गैर मुमकिन भूमि १०० रुपए के प्रतीक मूल्य पर बेची गई है ।

(२) सीमान्त के निकट स्थित लगभग २८,२९६ एकड़ भूमि ५ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से और ४,१२२ एकड़ गैर मुमकिन भूमि १०० रुपए के प्रतीक मूल्य पर और भी बेची गई है ।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों ने उसे घटिया किस्म का होने अथवा सीमान्त के निकट स्थित होने के कारण स्वीकार नहीं किया ।

(ग) उपरोक्त (क) (१) के सम्बन्ध में जो मूल्य 'संग्रह' के खाते में डाला जा चुका है और शेष भूमि के मूल्य के सम्बन्ध में पंजाब सरकार कार्यवाही कर रही है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या पंजाब सरकार से इस प्रकार की कोई शर्त रखी गई है अथवा ऐसा निदेश किया गया है कि यदि कोई असंतुष्ट दावेदार अथवा कोई ऐसा दावेदार होगा जो इस कृषि भूमि से अपनी भूमि दबदलना चाहे तो पंजाब सरकार वैसा करेगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : कोई भी शर्त नहीं रखी गई है । यह भूमि विस्थापित व्यक्तियों को दी जा रही थी परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया । इसीलिए वह हमने पंजाब सरकार को दे दी है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी**: माननीय मंत्री ने कहा कि उस भूमि का प्रस्ताव विस्थापित व्यक्तियों से किया गया था । वैसा पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था अथवा प्रत्यक्षत ? और क्या उन व्यक्तियों की कोई सूची है जिनसे यह प्रस्ताव किया गया था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : प्रारम्भ में इस भूमि आवंटन योजना के लिये एक संगठन बनाया गया था । यह भूमि निष्क्रांत संग्रह का भाग है । इसलिये उसका प्रस्ताव विस्थापित व्यक्तियों से किया गया था परन्तु घटिया और सीमांत के निकट होने के कारण उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या पंजाब सरकार अभी भी इस भूमि को बदले में देगी यदि कोई विस्थापित व्यक्ति उसे लेना चाहे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं इसका नाकारात्मक उत्तर दे चुका हूं । मैंने बताया था कि वह हमने पंजाब सरकार को बेच दी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसके संबंध में कोई शर्त सम्बद्ध नहीं है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जी नहीं ।

पाट[1] का निर्यात

†*१७०५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में भारतीय पाट की मांग कम हो गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hemp.

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विदेशी मंडियों में इसकी मांग पुनः उत्पन्न करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । भारतीय पाट की मांग में कमी होने का मुख्य कारण सस्ते पदार्थों द्वारा प्रतियोगिता है।

उत्पादन बढ़ाने, किस्म सुधारने और रेल परिवहन में अग्रिमता जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : पाट की किस्म के सुधार के लि` क्या कदम उ ा` गये हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : राज्यों के कृषि विभाग को अच्छा बीज वितरित करने और अन्य ऐसे कदम उ ाने के लिये लिखा गया है जिससे अच्छी किस्म पैदा की जा सके।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : निर्यात में कितने प्रतिशत कमी हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: निर्यात १९५८ में लगभग १ लाख टन से घटकर १९६० में लगभग ८६,००० टन रह गया है।

चाय उद्योग के लिए उर्वरक

†*१७०७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय उद्योग के लिये उर्वरकों को प्राप्त करने और उनका वितरण करने पर कोई नियंत्रण करती है ताकि विश्व की मंडियों में अपना खोया स्थान पुनः प्राप्त करने में इस उद्योग की सहायता की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस अभिकरण पर है कि चाय बागानों को उचित किस्म के उर्वरक उपयुक्त समय पर और समुचित मात्रा में उपलब्ध हों ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का वितरण लाइसेंस प्राप्त वितरकों द्वारा कराया जाता है जिन्हें उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ के अनुसार मंजूरी दी गई है। आवंटन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा चाय उद्योग की नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की मांगों के आधार पर और उपलब्ध संभरण का विचार करते हुये चाय बागानों को वितरण के लिये अनुमोदित सार्थों के पक्ष में कि` जाते हैं। चाय बोर्ड इन सार्थों द्वारा चाय बागानों को उर्वरकों की बिक्री पर नियंत्रण रखता है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस उद्योग ने एमोनिया सल्फेट की मांग की है परन्तु उसके बदले में नाइट्रोजन सल्फेट का संभरण किया जा रहा है और यही कारण है कि उद्योग उसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है और परिणामतः उत्पादन कम हो गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त करने के बजाये प्रदान कर रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एमोनिया सल्फेट के बदले में चाय उद्योग को नाइट्रोजन सल्फेट के रूप में गलत उर्वरक का संभरण किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : अधिकांश मात्रा एमोनियम सल्फेट की ही दी जाती है। परन्तु उत्तर-पूर्व भारत के लोग किसी अन्य प्रकार के उर्वरक के विरूद्ध हैं। दक्षिण भारत में अन्य उर्वरकों का प्रयोग भी किया जाता है और मैं समझता हूं कि वे उतने बुरे नहीं हैं जितना कि उन्हें समझा जाता है। यदि चाय बागान नाइट्रेट सल्फेट और यूरिया का प्रयोग करना शुरू कर दें तो वे यह महसूस करेंगे।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : उत्तर-पूर्व भारत से एमोनिया सल्फेट की १,०४,४२८ टन की मांग आई थी परन्तु आवंटन ४२,७२१ टन का किया गया। इसके विपरीत एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की मांग १६,००० टन की थी परन्तु संभरण अधिक अर्थात् २४,००० टन किया गया। क्या यह सच है कि चाय उद्योग को एमोनिया सल्फेट का पूरा कोटा न मिलने के कारण चाय का उत्पादन कम हो गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सच है कि उत्तर-पूर्व भारत के चाय उद्योग ने ७३,७२८ टन एमोनिया सल्फेट की मांग की थी परन्तु हम आवंटन केवल ५४,००० टन का कर सके थे। परन्तु उसे २००० टन यूरिया का आवंटन किया गया था। १७,००० टन एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जिसमें एमोनियम सल्फेट की भी मात्रा होती है, का संभरण किया गया था जिससे एमोनियम सल्फेट की कमी पूरी की जाये। इस प्रकार उत्तर-पूर्व भारत के चाय उद्योग को नाइट्रोजन की पूरी मात्रा का संभरण गत वर्ष में किया गया है।

†**श्री जीन चन्द्रन्** : क्या यह सच है कि उर्वरक बड़े सार्थों को बेचे जाते हैं, जो उनमें मिलावट करके अधिक मूल्य पर चाय उद्योग वालों को बेचते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने उर्वरकों के चाय उद्योग को उपलब्ध मात्रा में से उनकी आवश्यकतानुसार वितरण के लिये उत्तर-पूर्व भारत में १९ सार्थ और दक्षिण भारत में १३ या १४ सार्थ नियुक्त किये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उसे मिश्रित रूप में नहीं दिया जाता है ?

†**श्री जीन चन्द्रन्** : क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि चाय बागान के मालिकों को उर्वरक सीधे मिल सके, न कि इन सार्थों से मिश्रित रूप में जो अधिक मूल्य वसूल करते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इन बातों के संबंध में माननीय सदस्य खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु मेरी जानकारी यही है कि चाय बागानों को उर्वरक सरकार द्वारा अनुमोदित सार्थों से उसी रूप में मिलते हैं जिसमें वे चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि ऐसी कोई शिकायत है तो माननीय सदस्य खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को निर्देश कर सकते हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य मंत्रालय को आसाम के किन्हीं चाय बागान मालिकों से उर्वरकों के कम संभरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जैसा मैंने अभी बताया था, पिछले वर्ष उर्वरकों की पूरी मात्रा का संभरण किया गया था। कठिनाई यह है कि समस्त मात्रा का संभरण एमोनियम सल्फेट के रूप में नहीं किया गया जैसा कि चाहा जाता है। हमने उसका संभरण अंशतः एमोनियम सल्फेट के रूप में किया है और अंशतः एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के रूप में जो रचना में एमोनियम सल्फेट से थोड़ा सा भिन्न होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अमजद अली** : क्या यह सच है कि कुछ चाय बागानों ने मिश्रित उर्वरक बनाने के प्रयोजन के लिये यूरिया की मांग की थी परन्तु सरकार ने उन्हें यह उत्तर दिया है कि वह उपलब्ध नहीं है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : नहीं, श्रीमान् । हम यूरिया का अधिकाधिक संभरण कर सकते हैं परन्तु चाय बागान उसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इसका तात्पर्य यह है कि सरकार को किसी भी चाय बागान से उसके कम संभरण की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं बता चुका हूं कि गत वर्ष पूरी मात्रा का संभरण किया गया था । परन्तु एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और इसी से कमी उत्पन्न होती है ।

†**श्री गु० के० जेधे** : किसानों को एमोनियम सल्फेट के बजाये सल्फेट नाइट्रेट अधिक देने के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ये समस्त आवंटन भली प्रकार विचार करने के बाद किये जाते हैं। सिन्दरी के एक मात्र कारखाने से प्राप्त एमोनियम सल्फेट का वितरण समस्त देश में किया जाना होता है ताकि अन्य फसलों की मांग भी पूरी की जा सके । समस्त आवंटन एक क्षेत्र में और एक उद्योग को ही नहीं किया जा सकता है ।

भूटान तिब्बत सीमा

+

†*१७०८. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती मैमूना सुलतान : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भूटान तिब्बत के साथ लगने वाली अपनी सीमा को बन्द कर रहा है?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : संभवतः प्रश्न का तात्पर्य तिब्बती शरणार्थियों के प्रवेश से है । भूटान में जितने शरणार्थी अभी हैं उन्हीं को बसाना भूटान सरकार को कठिन लग रहा है अतः हो सकता है कि वह अधिक शरणार्थियों के प्रवेश को रोकना चाहे। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, हमारे तिब्बती शरणार्थियों को शरण देने के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों की छान बीन करने का निर्णय किया है ताकि वास्तविक शरणार्थी ही भारत में आ सकें ? यदि हां, तो यह छान बीन किस प्रकार की जायेगी ?

†**श्री सादत अली खां** : नए आने वाले लोगों की कड़ी जांच की जाती है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : अभी तक कितने तिब्बती शरणार्थी भूटान के रास्ते से भारत आये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उनकी संख्या बताना संभव नहीं होगा। परन्तु अभी तक कुल लगभग ३०,००० शरणार्थी आए हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार को यह विश्वास है कि इन तिब्बती शरणार्थियों में कोई भी चीनी साम्यवादी नहीं है ? क्या कोई ऐसा तरीका है जिस से यह जाना जा सके कि अमुक शरणार्थी सच्चा या वास्तविक शरणार्थी है या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन के राजनैतिक विचारों की विस्तृत छान बीन की जाती है परन्तु फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों।

†**श्री राधा मोहन सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भूटान गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की सलाह से बार्डर को सील किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे मालूम नहीं कि भूटान गवर्नमेंट ने उस को सील किया है । वह खाली कुछ झिझकती है उन्हें लेने में, क्योंकि वे ज्यादा बढ़ जाते हैं।

†**श्री सतीश चन्द्र माथुर** : इस समय शरणार्थियों के आगमन की क्या स्थिति है; उस में वृद्धि हुई है अथवा कमी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार से उस में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है । उनका आना अपेक्षाकृत कम संख्या में जारी है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह सच है कि भूटान सरकार ने यह व्यक्त किया था कि उन के पास शरणार्थियों की छानबीन करने के लिए उचित यंत्र नहीं है। हमारी सरकार द्वारा उनकी छानबीन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब वे भारत आते हैं तब हम उनकी छानबीन करते हैं।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : भूटान के संबंध में क्या स्थिति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें नहीं मालूम कि उन के यहां व्यवस्था है या नहीं । जब वे भारत में प्रवेश करते हैं तब हम उनकी छान बीन करते हैं यद्यपि उस समय नहीं जब वे भूटान में प्रवेश करते हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : अब चूंकि तिब्बत-भूटान सीमान्त पूर्णतः बन्द कर दिया गया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या भूटान सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्ष करके अपने कृषि उत्पादन के तिब्बत को विक्रय किए जाने और वहां से अपनी आवश्यकता की चीजें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रश्न का अंतिम भाग नहीं सुन सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि इस समय भूटान और तिब्बत के बीच ऐसा कोई व्यापार नहीं है । मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई विशेष कदम नहीं उठाए हैं। यह ठीक नहीं है कि यह स्थिति सीमान्त के व्यापारियों के लिए हानिकारक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु भूटान सरकार ने इस व्यापार को प्रोत्साहन न देना ही अधिक अच्छा समझा है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या भूटान सरकार ने इन खेतिहरों को यह वचन दिया है कि भूटान सरकार समस्त अतिरिक्त अनाज को खरीद लेगी ? हमारी सरकार इस संबंध में किस प्रकार की सहायता कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे नहीं मालूम कि भूटान सरकार ने अपने किसानों से क्या कहा है । इस संबंध में हम से कोई सहायता नहीं मांगी गई है । अन्य कई प्रकार से हम उनकी सहायता कर रह हैं।

पुनर्वास उद्योग निगम

+

†*१७१०. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा अब तक कुल कितने उद्योगों की स्थापना की गयी है और उन में से कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार मिला है ;

(ख) इन उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि प्रशिक्षण-प्राप्त विस्थापित व्यक्तियों को इन उद्योगों में काम पर लगाया जाये ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). पुनर्वास उद्योग निगम ने अभी तक अपना कोई उद्योग स्थापित नहीं किया है । फिर भी उसने पश्चिम बंगाल के २१ उद्योगों को १२१.९२ लाख रुपये के ऋण मंजूर किये हैं जिस में से ११.६९ लाख रुपया अभी तक दिया जा चुका है । इन उद्योगों ने अभी तक ३१० विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया है और जब ऋण दिये जा चुकेंगे तब रोजगार क्षमता ४३६७ विस्थापित व्यक्तियों तक हो जायगी। इस के अलावा उस ने विस्थापित व्यक्तियों के लिए दो औद्योगिक बस्तियां कायम की हैं।

(ग) निगम उन शरणार्थियों के ब्यौरे इकट्ठे करती है जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधीन प्रशिक्षण मिल रहा है और ये ब्यौरे उचित रिक्त स्थान होने पर सहायता प्राप्त उद्योगों के पास भेज दिये जाते हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या उद्योगों को ये ऋण देने से पहले निगम कोई प्रतिशतता निर्धारित करता है कि ऋण लेने वालों को उतना रोजगार अवश्य ही देना पड़ेगा जैसा कि फरीदाबाद के मामले में किया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह परियोजना त्रिमुखी है । एक तो यह कि निगम स्वत: उद्योग स्थापित करना चाहता है । उस के लिए वह कार्यवाही कर रहा है । दूसरे यह कि

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक बस्तियां बसायी जायें ताकि छोटे पैमाने के उद्योग विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दे सकें । तीसरे यह ऋण दिये जायें । योजना के अनुसार ऋण में परिवर्तन होता है, बहुत से मामलों में वह ७५ प्रतिशत तक जाता है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी**: मेरा सवाल यह है कि ऋण देने से पहले ऐसी कोई शर्त रखी जाती है कि ऋण लेने वाले को अमुक प्रतिशत विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देना पड़ेगा जैसा कि फरीदाबाद के मामले में हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: ठीक वही उद्देश्य है कि यथा संभव अधिक विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जाये । लेकिन टेक्नीशियन लोग हैं, वे सभी कुशल कर्मचारी नहीं हो सकते । इसलिए टेक्नीशियन इस क्षेत्र में उपलब्ध तकनीकी लोगों के सामान्य संग्रह में से लेने होंगे । दूसरे लोग विस्थापित व्यक्ति हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह पुनर्वास उद्योग निगम अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्वतः उद्योग स्थापित करने पर विचार कर रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या कुछ किया गया है । अब एक साल से अधिक हो क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: उस ने ऋण देना शुरू किया है । दो औद्योगिक बस्तियां जिन में ११७ छोटे उद्योग हैं बनायी जा रही हैं । एक बस्ती दुर्गापुर में बसायी जा रही है । चौथी अर्थात हुगली बस्ती का विस्तार किया जा हा हैं ताकि ३६०० और विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके । वह अपने निजी उद्योग स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त**: अभी हाल में इस निगम की संवैधानिक स्थिति बदल गयी है । रिपोर्टों से यह प्रतीत होता है कि पहले के निगम में अधिकतर सदस्य गैर-सरकारी थे जब कि नये निगम में बहुसंख्यक सदस्य सरकारी हैं । निगम का इस प्रकार पुनर्गठन सरकार ने किन विचारों के आधार पर किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करने के लिए पहली बार मुझे कहा गया है । यह सूचना इस कारण बदल दी गयी है कि दंडकारण्य विकास प्राधिकार और इस के बीच समन्वय हो । श्री सुकुमार सेन को इस निगम का अध्यक्ष पद स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है ताकि दण्डकारण्य परियोजना के लिए इस जगह प्राप्त अनुभव तथा पुनर्वास उद्योग निगम के लिए दंडकारण्य परियोजना में प्राप्त अनुभव का वह उपयोग कर सकें ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वहां के शरणार्थियों के लाभ के लिए दंडकारण्य क्षेत्र में भी औद्योगिक बस्तियों को अपने हाथ में ले लेने का सरकार का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : फिलहाल वह पश्चिम बंगाल क्षेत्र तक ही सीमित है लेकिन इसकी संभावना रद्द नहीं की जाती । ज्यों ही हम यह देखेंगे कि उन्होंने इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम

---

†मूल अंग्रेजी में

किया है और काफी संख्या में विस्थापित व्यक्तियों को बसाया है, निश्चय ही हम उस पर आगे विचार करेंगे ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : जिन उद्योगों ने ऋण लिया है, क्या वे अपने वायदे के मुताबिक शरणार्थियों को रोजगार नहीं दे रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है और हम निगरानी रख रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य श्री सरहदी ने कहा, फरीदाबाद में हमें कभी कभी बड़ा निराशापूर्ण अनुभव हुआ। यहां हम सावधान हैं और हमें आशा है कि जहां तक सम्भव होगा विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जायगा ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या यह निगम त्रिपुरा के शरणार्थियों के लिए भी त्रिपुरा में उद्योग कायम करने जा रहा है ?

†**श्री मनुभाशई शाह** : अभी फिलहाल वह पश्चिम बंगाल क्षेत्र तक ही सीमित है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : माननीय मंत्री ने मंजूर ऋणों और रोजगार में लगाये गये शरणार्थियों की संख्या के आंकड़े बताये थे । यह संख्या बहुत कम है । सरकार इसका क्या कारण बताती है ? ऋणों के अनुपात में रोजगार-प्राप्त विस्थापितों की संख्या सचमुच ही बहुत कम है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : ११ लाख, ३१० व्यक्ति और १२१ लाख, ४६७७ व्यक्ति का अनुपात प्रायः एक सा ही है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या इस बात की जांच की कोई प्रणाली है जिससे यह पता लग सके कि शरणार्थियों को दिया गया ऋण उसी काम में लगाया गया जिसके लिये वह दिया गया था ?

†**श्री मनु भाई शाह** : मैंने वही बताया था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : निगम में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था पर कुल कितना खर्च होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । लेकिन माननीय सदस्य को यदि इसमें रुचि हो तो मैंने अभी हाल ही में निगम की वार्षिक रिपोर्ट और उसका तलपट सभा पटल पर रखा है । यदि और भी किसी जानकारी की जरूरत हो तो वह मैं देने के लिए तैयार हूं ।

पश्चिम बंगाल में प्लास्टिक के सामान के छोटे पैमाने के उद्योग

†*१७०९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में प्लास्टिक का सामान बनाने वाले ५०० छोटे पैमाने के और कुछ कुटीर उद्योग, कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण, बन्द होने वाले हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में अभी हाल में भारत सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने के प्लास्टिक मोल्डर्स के उपयोग के लिए पोलिस्टिरीन की वर्तमान कम सप्लाई की ओर मार्च, १९६१ में सरकार का ध्यान दिलाया गया था ।

(ख) और (ग). जी हां । पश्चिम बंगाल प्लास्टिक लघु तथा कुटीर उद्योग संघ, कलकत्ता, से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । संघ ने यह प्रार्थना की थी कि पोलिस्टिरीन पाउडर की सप्लाई तुरन्त जारी की जाये जो उत्पादन शुल्क लगाये जाने के कारण करीब दो हफ्तों से बन्द हो गयी थी ।

(घ) (१) इस बात का पता लगाया है कि पोलिस्टिरीन की सप्लाई चालू की गयी है और वह तब से बराबर जारी है ।

(२) ५०,००० पौंड पोलिस्टिरीन जो राज्य व्यापार निगम ने छोटे कारखानों को बांटने के लिए विदेशों से मंगाया है, कलकत्ते में प्राप्त हो चुका है और वह छोटे कारखानों को बांटा जा रहा है ।

(३) यह निश्चय किया गया है कि वर्ष १९६१ में पोलैंड से ९०० टन पोलिस्टिरीन का आयात किया जाये । राज्य व्यापार निगम ३०० टन पोलिस्टिरीन के ठेके पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है और ६०० टन के एक दूसरे ठेके के बारे में बातचीत चल रही है । इसमें से १०० टन भारत में आ चुका है और १०० टन प्रति माह की दर से और खेप नियमित रूप से प्राप्त होने का अनुमान है ।

(४) इसके अलावा, पिछली दो अवधियों में सरकार ने छोटे कारखानों को दो महिने की खपत के बराबर पोलिस्टिरीन का आयात करने की अनुमति दी है ।

कारखानों के उत्पादन में वृद्धि

†*१९९०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक सहयोग मिशन के एक विशेषज्ञ, श्री एम० जे० सोलोमन, ने यह मत प्रकट किया है कि यदि भारत के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में ५० प्रतिशत वृद्धि कर दी जाये तो बहुत से कारखानों के उत्पादन में ५० प्रतिशत वृद्धि हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) श्री सोलोमन द्वारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीटयूट, कलकत्ता, को पेश की गयी प्रारम्भिक रिपोर्ट सरकार ने देखी है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : सरकारी क्षेत्र में मशीनों का पूरा पूरा उपयोग हो इस ओर ध्यान देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारतीय परिस्थितियों की दृष्टि से विद्वान अर्थशास्त्री का सुझाव इस संदर्भ से परे है। यहां समस्या अधिक लोगों को रोजगार देने की है और भारतीय कर्मचारी पर, जो

†मूल अंग्रेजी में

काम की कठिन परिस्थितियों के कारण पहले ही बहुत अधिक बोझ से दबा हुआ है, इस देश में अमरीकी तथा अन्य सिद्धान्त लागू कर उससे और अधिक काम लेना सम्भव नहीं है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या श्री सोलोमन ने यह सुझाव दिया है कि कम लागत वाले ढांचे के साथ भारत में ज्यादा कर्मचारी रखना लाभदायक होगा यद्यपि अमरीका जैसे देशों में प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम हो ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने ठीक यही बात सभा से कही थी । हमने उसकी रिपोर्ट की जांच पड़ताल की है और जहां तक हम उससे लाभ उठा सकते हैं, हम अवश्य लाभ उठाने की कोशिश करेंगे । लेकिन स्थूल रूप से उसके निष्कर्ष हम पर लागू नहीं होते ।

†**श्री हेडा** : क्या इस विशेषज्ञ ने किसी विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों का उल्लेख किया है या उसके निष्कर्ष सामान्य हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उसने कुछ उद्योगों का विश्लेषण किया है और उसे यह पता लगा है कि कुछ कर्मचारी इधर उधर घूमते हैं, पेशाबघरों में जाते हैं और विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद के काम करते हैं । यदि और कर्मचारी रखे जायें और मशीनों को थोड़े समय के लिए भी बेकार न रहने दिया जाये तो और भी अधिक उत्पादन होगा । ये समय और गति अध्ययन विशेषज्ञों का सामान्य अध्ययन है और यह एक प्रकार का अध्ययन है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कलकत्ता ट्रामवे की हड़ताल की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट

†*१६८६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता ट्रामवे की हड़ताल के बारे में त्रिपक्षीय जांच की उपपत्तियों पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). केन्द्रीय कार्यान्विति और मूल्यांकन समिति ने १ मार्च, १९६१ की अपनी बैठक में रिपोर्ट स्वीकृत की थी । उसके प्रकाशन का प्रश्न आगे विचार के लिए छोड़ दिया गया था ।

विदेशी फिल्म

†*१६८८. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म सोसाइटियों द्वारा निजी रूप से दिखाई जाने के लिए और विशेष फिल्म समारोहों के अवसर पर प्रदर्शन के लिये देश में लायी जाने वाली महत्वपूर्ण विदेशी फिल्मों पर पूर्वपरीक्षण (सैंसर) सम्बन्धी प्रतिबन्धों को नरम करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये कदम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) ऐसे मामलों के सम्बन्ध में पूर्वपरीक्षण सम्बन्धी प्रतिबन्ध ढीले करना सम्भव नहीं है क्योंकि उससे दूसरे कई मामलों में इस प्रकार की छट की प्रार्थनाएं सम्भवतः प्राप्त होंगी ।

(ख) फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ने इस प्रश्न के बारे में अभ्यावेदन किये थे । ऐसे प्रयोजन के लिए आयात की गयी फिल्मों के शीघ्र तथा सरल पूर्व परीक्षण के तथा पूर्व परीक्षण फीस के भुगतान से मुक्त करने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है ।

बोलनगीर में विस्फोट

†*१६६३. { **श्री तंगामणि :**
श्री धर्मलिंगम: }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बोलनगीर नामक स्थान में विस्फोट की जांच के बारे में श्री एस० एन० गुप्ता से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). सोनपुर राजनगर में आतिशबाजी की चीजें तैयार करने वाले के मकान की पहली मंजिल के एक कमरे में ७ मार्च, १६६१ को एक विस्फोट हुआ । नगर के बाहर आतिशबाजी की चीजें तैयार करने के लिए उसके पास जिला मजिस्ट्रेट, बोलनगीर का एक लाइसेंस था । लेकिन यह रिहायशी मकान में चीजें तैयार कर रहा था जहां विस्फोट हुआ । इस विस्फोट के कारण चार व्यक्ति मर गये और कुछ सम्पत्ति नष्ट हुई ।

विस्फोटक निरीक्षक श्री एस० एन० गुप्त की उपस्थिति में विस्फोट की अदालती जांच करायी गयी । विस्फोट इस कारण हुआ कि कुछ अनधिकृत/निषिद्ध वस्तुएं तैयार करते हुए घर्षण तथा अन्य मिश्रण के गरम हो जाने के कारण निषिद्ध विस्फोटक पदार्थों के मिश्रण में आग लग गयी ।

चूंकि वह निर्माता दुर्घटना में मर गया इसलिए उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी । घटनास्थल पर पाये गये सभी अवशेष नष्ट कर दिये गये हैं । इस प्रकार के सभी व्यापारियों को निषिद्ध विस्फोटक पदार्थ तैयार न करने तथा उनका उपयोग न करने के लिए हिदायतें जारी करने के लिए जिलाधीश से प्रार्थना की गयी है ।

श्री एस० एन० गुप्त की रिपोर्ट की प्रतियां जिसमें विस्फोट के पूरे पूरे ब्योरे दिये गये हैं, संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपा न्यूजप्रिंट फैक्टरी

†*१६९४. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि मध्य प्रदेश में स्थित नेपा अखबारी कागज कारखाने के कर्मचारियों को नेपानगर में रहने के स्थान की भीषण कमी के कारण बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विस्थापित व्यक्तियों की सम्पत्ति

†*१६९९. **श्री ब्रजराज सिंह :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री १३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों की वह सारी सम्पत्ति, जिसको उस तिथि को अभी नियमित किया जाना था, इस बीच नियमित की जा चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक बस्ती में अभी ऐसे कितने मामले हैं, जिनको नियमित किया जाना बाकी है और उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात् कितने मामले नियमित किये गये हैं ?

पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) १५० मामलों में से, ६० मामले इसबीच नियमित किये जा चुके हैं ।

(ख)	(१) लेख याचिकाओं के अधीन उच्चन्यायालयों में विचाराधीन	६९
	(२) कार्यवाही के अधीन	२१
(ग)	झील कोरंजिया	१२
	तेहाड़ २	४
	आउटरैम लाइन्स	२
	हाथी खाना	१
	अन्धा मुगल	१
	तेलीवाड़ा	१
		२१

रेल-लंगर[1]

†*१७०१. **श्री स० मो० बनर्जी** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर द्वारा बनाया गया ९० पौंड का रेल-लंगर अलीपुर परीक्षण केन्द्र द्वारा त्रुटिपूर्ण बताया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Defective Rail Anchor.

(ख) यदि हां, तो क्या कानपुर में निरीक्षण उपनिदेशक को इस नुक्स का पता नहीं लगा था;

(ग) यदि हां, तो यह नुक्स क्या है;

(घ) क्या इसका आर्डर सम्भरण और निपटान के महानिदेशक द्वारा दिया गया था अथवा रेलवे द्वारा; और

(ङ) सरकार द्वारा इस की जांच करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क)से (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

संभरण और निबटान महानिदेशालय द्वारा २६,००० रेल लंगर सप्लाई करने के लिए मेसर्स सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स को दिये गये आर्डर के मुकाबले में, संपूर्ण मात्रा निरीक्षण उपनिदेशक, कानपुर, द्वारा उचित निरीक्षण और मंजूरी के बाद दो व्यक्तियों को सप्लाई की गयी थी । उनमें से एक व्यक्ति ने १५,००० में से २४ का प्रयोग किया और उनमें निम्नलिखित दोष पाये :—

(१) तीन लंगर टूटे हुए थे ।

(२) लंगर स्लीपरों के साथ ठीक ठीक फिट नहीं बैठते थे बल्कि उनके अ-समतल सतह के कारण केवल स्पर्श होता था ।

(३) वे लाइन को पूरी तरह से नहीं पकड़ते थे ।

(४) ६ लंगर का रेल लाइन के साथ कोई सम्पर्क नहीं होता था जिससे उनकी निरर्थकता का संकेत मिलता था ।

(५) लंगर ६ पौंड के हथौड़े से ६ घावों के बजाय २·५ पौंड के हथौड़े से दो घावों से हटाये जा सकते थे ।

यह शिकायत मिलने पर १८ नमूने विस्तृत जांच के लिए सरकारी टेस्ट हाउस, अलीपुर में भेज दिये गये । वहां पर दिखाये गये दोषों से यह पता चलता है कि वे दोष उचित हीट ट्रीटमेन्ट की कमी के कारण थे । संख्या १, २, ४ में बताये गये दोष गलत फिटिंग के कारण हो सकते हैं । संख्या (३) और (५) के दोष अनुचित हीट ट्रीटमेन्ट के कारण हैं । दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है लेकिन उससे पूछा गया है कि यदि उसे कोई दोषपूर्ण माल मिला हो तो वह संभरण तथा निबटान महानिदेशालय को सूचित करे । जिस व्यक्ति ने दोषपूर्ण सप्लाई प्राप्त होने की सूचना दी है उसे भी पूरी मात्रा की जांच कर लेने के लिए और दोषपूर्ण लंगरों की संख्या बताने के लिए कहा गया है ताकि संभरण और निबटान महानिदेशालय इस मामले में और आगे छानबीन कर सके ।

निरीक्षण उपनिदेशक, कानपुर, द्वारा निरीक्षण के सम्बन्ध में कागज़ात से यह दिखायी पड़ता है कि सरकारी नमूनों के रूप में, निरीक्षण के बाद, उसने माल छोड़ा था । निरीक्षक ने कुल मात्रा के लगभग १०प्रतिशत का वास्तविक निरीक्षण किया था । उन्होंने कुछ लंगर अस्वीकार कर दिये थे । चूंकि १००प्रतिशत निरीक्षण नहीं किया जा सकता था, इस सवाल की जांच पड़ताल हो रही है कि क्या निरीक्षक की तरफ से कुछ ढिलाई थी या निरीक्ष क द्वारा परीक्षा के बाद अस्वीकृत कुछ माल

---

[1]मूल अंग्रेजी में

थोक सप्लाई में शामिल हो गया था । उस फर्म ने सभी दोषपूर्ण लंगरों की जगह दूसरे लंगर मुफ्त देना मंजूर कर लिया है । उसने यह भी कहा है कि निरीक्षक द्वारा अस्वीकृत कुछ मात्रा शायद थोक सप्लाई के साथ शामिल हो गयी थी ।

और अधिक कड़ाई से निरीक्षण करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है ।

मोहिन्द्रगढ़ जिला (पंजाब) में प्लाटों की नीलामी

†१७०६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में मोहिन्द्रगढ़ जिले के चरखी दादरी और अन्य स्थानों पर १९५८–५९ के दौरान कितने प्लाटों की नीलामी की गयी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) ये प्लाट किन तिथियों को बेचे गये;

(ग) कितने प्लाटों की बिक्री रद्द की गयी है, उनका ब्योरा क्या है और रद्द करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ प्लाटों की पूरी कीमत अदा कर दी गयी थी और उनका कब्जा दे दिया गया था किन्तु अभी तक विक्रय-प्रमाणपत्र नहीं दिये गये;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे प्लाटों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है ;

(च) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर 'हां' ; हो, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जानी है; और

(छ) अभी तक कितने प्लाटों की बिक्री की पुष्टि नहीं की गयी, उन प्लाटों का ब्यौरा क्या है और बिक्री की पुष्टि न करने के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):** (क) से (ग) और (छ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०–२८७९/६१**]

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय

†३७२६. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक देश में और विदेश में चाय की बिक्री और उपभोग पढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये और कुल कितना खर्च किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्रीसतीश चन्द्र) :** वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में (अप्रैल, १९६० से फरवरी, १९६१ तक) भारत में और भारत से बाहर चाय की बिक्री बढ़ाने पर किया गया खर्च इस प्रकार था :—

	१९५९–६०	१९६०–६१ (अप्रैल, १९६० से फरवरी १९६१ तक)
भारत में . .	२४,०१,७०७ रुपये	१४,२२,३३९ रुपये
भारत से बाहर . .	४५,७२,७७१ रुपये	१५,६३,०३१ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

चाय की खपत बढ़ाते के लिये चाय बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किये थे :—

(क) देश में :—

(१) लोगों में चाय की आदत डालने के लिए अग्रिम परीक्षण योजना ।

(२) बम्बई और मद्रास में चाय केन्द्र खोलना ।

(३) चलती फिरती गाड़ियों द्वारा प्रचार ।

(४) कर्मचारियों के बीच चाय के प्रचार के लिए बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कैन्टीनों का संगठन ।

(५) मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(ख) विदेशी बाजारों में :—

(१) अमरीका, कनाडा, पश्चिम जर्मनी और आयरलैंड जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में स्थानीय चाय व्यापारियों और चाय पैदा करने वाले अन्य देशों के सहयोग से चाय की आदत बढ़ाने के लिए स्थापित की गयी चाय परिषदों म भाग लेना ।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना तथा चाय के निःशुल्क उपहार देना ।

(३) आस्ट्रेलिया, मिस्र, न्यूयार्क और लन्दन में चाय संवर्धन एकक स्थापित करना ।

(४) विदेशों में चाय शिष्टमंडल भेजना और विदेशों से शिष्टमंडल आमंत्रित करना ।

देहरादून में चाय के बाग

†३७२७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में देहरादून (उत्तर प्रदेश) में कितने एकड़ चाय के बाग हैं;

(ख) क्या पिछले वर्ष से कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) ४६९१·८६

(ख) जी नहीं ।

(ग) वास्तव में पिछले साल के मुकाबले में २२९·५५ एकड़ की कमी हुई है क्योंकि कुछ बागों में पौधे उखाड़ दिये जाने तथा पुरानी झाड़ियां नष्ट हो जाने तथा अन्य कारणों से उत्पादन बन्द हो गया था ।

महाराष्ट्र में भारत सेवक समाज

†३७२८. **श्री पांगरकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में अब तक महाराष्ट्र के लिये भारत सेवक समाज को अनुदान के तौर पर कितनी रकम दी गई है ;

(ख) उसी अवधि में क्या क्या काम किया गया है; और

(ग) महाराष्ट्र में भारत सेवक समाज की कितनी शाखायें हैं; ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ला० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी सभा पटल पर रखे गय विवरण में दी गई है ।

(ग) योजना आयोग को कोई ठीक-ठीक जानकारी नहीं है ।

विवरण

योजना का नाम	१९६०–६१ में दिया गया अनुदान (रुपयों में)	किये गये काम का ब्यौरा
२. लोक कार्य-क्षेत्र	३,२००	इन क्षत्रों में शामिल इलाकों में विभिन्न विकास कार्यों में सार्वजनिक सहकार्य और सहयोग बढ़ाने के लिये।
गन्दे क्षत्रों में सामाजिक -आर्थिक सुधार के लिये बम्बई शहर में अग्रिम परियोजना	१७,१००	बम्बई शहर की गंदी बस्तियों में सुधार और सफाई सहित विभिन्न विकास कार्यों में सार्वजनिक सहकार्य और सहयोग बढ़ाने के लिये ।

मध्य प्रदेश में भारत सेवक समाज

†३७२९. **श्री पांगरकर :**
श्री कुन्हन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक प्रत्येक वर्ष में मध्य प्रदेश में कार्य करने वाले भारत सेवक समाज को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) उस राज्य के विभिन्न जिलों में उक्त समाज की कितनी शाखायें काम कर रही हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री श्री (ल० ना० मिश्र)**:(क) योजना आयोग ने लोक कार्य क्षत्रों के लिये मध्य प्रदेश के लिय स्वीकृत निम्नलिखित अनुदान भारत सेवक समाज के केन्द्रीय कार्यालय के जरिये दिये हैं :—

(१) १९५६–५७ .	कुछ नहीं
(२) १९५७–५८ .	कुछ नहीं
(३) १९५८–५९ .	१,१०० रुपये
(४) १९५९–६०	१,५०० रुपये
(५) १९६०–६१ (३१ मार्च, १९६१ तक).	७,७०० रुपये

(ख) योजना आयोग के पास कोई ठीक ठीक जानकारी नहीं है ।

मध्य प्रदेश में व्यापार प्रबन्ध का प्रशिक्षण

†३७३०. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में मध्य प्रदेश में लघु उद्योग सेवा शालाओं में कितने व्यक्तियों को व्यापार प्रबन्ध का प्रशिक्षण दिया गया; और

(ख) उन पर कितना खर्च हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) १५।

(ख) इस इंस्टीट्यूट के कर्मचारी व्यापार प्रबन्ध का प्रशिक्षण देने के अलावा दूसरा काम भी करते हैं अर्थात् व्यापार प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रत्येक अलग अलग कारखानों को राय देते हैं। इसी प्रकार कक्षाओं के लिये दिया गया फर्नीचर भी दूसरे दूसरे काम में लाया जाता है। इसलिये केवल व्यापार प्रबन्ध प्रशिक्षण पर किये गये खर्च का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यापार प्रबन्ध के प्रशिक्षण के लिये अतिथि वक्ताओं को भी आमंत्रित किया जाता है और उन्हें मानदेय दिये जाते हैं। १९५९–६० में अतिथि वक्ताओं को इस मद के अधीन ९० रुपये की रकम भाषण देने के लिये दी जाती थी।

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिए स्थापित लघु कारखाने

†३७३१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये १९५९–६० में कितने लघ औद्योगिक एकक स्थापित किये गये; और

(ख) उन का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) बीस।

(ख) ब्यौरा देने वाला एक विवरण [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १**] संलग्न है।

ट्रैक्टर

†३७३२. { **श्री पांगरकर:**
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के सिलसिले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत जिन चार फर्मों को कृषि-ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये लाईसेंस दिये गये थे उन में से एक फर्म ने फरवरी, १९६१ तक १२३ ट्रैक्टर बनाये हैं। एक अन्य फर्म, जिसे ट्रैक्टरों के हिस्सों के आयात के लिये लाइसेंस दिया गया है, शीघ्र ही उत्पादन शुरू कर देगी। तीसरी फर्म के लिये मशीनों और कल पुर्जों के आयात के लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और यह फर्म भी जल्दी ही उत्पादन शुरू कर देगी। चौथी फर्म को अपने विदेशी सहयोगियों के साथ कुछ कठिनाई पेश आ रही है और यह फर्म अब प्रविधिक सहयोग के लिये किसी अन्य विदेशी कम्पनी के साथ बातचीत कर रही है।

इस के अतिरिक्त ट्रेक्टरों के निर्माण के लिये उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक अन्य आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर आज कल विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रैक्टरों का आयात

†३७३३. **श्री राधामोहन सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी कुछ वर्षों के दौरान विदेशों से लगभग १० हजार ट्रैक्टरों का आयात करने की एक योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो यह आयात किन देशों से किया जायगा और किन कीमतों पर;

(ग) क्या भारतीय परिस्थितियों में उन के कार्य और उपयुक्तता के बारे में उन के परीक्षण आदि की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) इन ट्रैक्टरों के फालतू कल पुर्जों के उपलब्ध होने की स्थिति क्या है और इस के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). देश की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, और रूमानिया से सामान्य बाजार भाव पर पर्याप्त संख्या में ट्रैक्टरों के आयात का विचार है।

(ग) जिन किस्मों के ट्रैक्टरों का आयात करने का विचार है, उन किस्मों के ट्रैक्टरों का आयात भारत में पहले से होता रहा है और ये ट्रैक्टर भारतीय स्थितियों के उपयुक्त हैं।

(घ) सुस्थापित आयातकों के लिये ५० प्रतिशत कोटे की मौजूदा व्यवस्था के अतिरिक्त, ट्रैक्टरों के आयात के साथ, साथ, लाइसेंस के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत तक, फालतू कल पुर्जों के आयात के प्रबन्ध भी किये गये हैं।

भूटान को सहायता

†३७३४. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूटान को अब तक कुल कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) यह सहायता किस प्रयोजन के लिये दी गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) १९५६ से १९६१ तक की अवधि में ९७,५९,२०३ रुपये।

(ख) २२,५९,२०३ रुपये विकास परियोजनाओं के लिये था और ७५ लाख रु० फुंट सोलिंग-पारो सड़क के निर्माण के लिये था।

साबुन उद्योग

†३७३५. **श्री नारायण स्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड साबुन उद्योग की उन्नति के लिये ऋण और अनुदान देगा; और

(ख) यदि हां, तो निर्माताओं के लिये ऋण और अनुदान प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हा। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अखाद्य तेल से साबुन बनाने के उद्योग के लिये मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २]** संलग्न है ।

अंडों का निर्यात

†३७३६. **श्री वें० पं० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) बत्तख के अंडों और (२) मुर्गी के अंडों के निर्यात के बारे में स्थिति क्या है और भारतीय अंडों के महत्वपूर्ण आयातक कौन हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: विदेशी व्यापार के आंकड़ों में मुर्गी के अंडों और बत्तख के अंडों में कोई भेद नहीं किया जाता। दोनों किस्म के अंडों का वर्गीकरण 'छिल्के वाले अंडे' के अन्तर्गत किया जाता है। हमारा निर्यात मुख्यतः श्रीलंका को होता है और १९६० में हम ने ४१·८४ लाख रुपये के अंडों का निर्यात किया।

चमेली की खेती और सुगन्धि उद्योग

†३७३७. **श्री नारायण स्वामी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में (राज्यवार) चमेली की कितनी खेती होती है; और

(ख) चमेली के फूलों से तेल निकालने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार चमेली की खेती और सुगन्धि उद्योग का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) उत्तर प्रदेश में लगभग ३०० एकड़ भूमि में चमेली की खेती होती है। अन्य स्थानों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) चमेली के फूलों से इत्र निकाला जाता है। इन फूलों से तेल नहीं निकाला जाता।

(ग) इस समय कोई विशिष्ट प्रस्थापना नहीं है ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली का औद्योगिक विकास

†३७३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ के दौरान दिल्ली राज्य को इस के औद्योगिक विकास के लिये कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: ३१·४१ लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेरोजगारी

३७३९. **श्री खुशवक्त राय** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ व अन्त में शिक्षित व अशिक्षित बेकारों की संख्या क्या थी;

(ख) इन लोगों की संख्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ व अन्त में क्या हो गई थी; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन की संख्या घटेगी या बढ़ेगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) और (ख). रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नामों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है । इस के अलावा और कोई जानकारी प्राप्त नहीं है ।

तारीख	चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम		
	पढ़े लिखे (मैट्रिक और ज्यादा)	अन्य	कुल
१	२	३	४
३१-३-५१	*	*	३,३७,०९२
३१-३-५६ .	२,२१,५००	४,८३,१३८	७,०४,६३८
†३१-१२-६० . . .	५,०७,२२०	१०,८८,७९७	१५,९६,०१७

(ग) इस का अभी अन्दाजा नहीं लगाया गया है ।

पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण

†३७४०. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान सीमा के भारतीय इलाके में से पाकिस्तानियों ने १९६०–के दौरान कितने भारतीयों का अपहरण किया;

(ख) इन में से अब तक कितने भारतीयों को रिहा कर दिया गया है; और

(ग) शेष व्यक्तियों की रिहाई के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक अवधि में पश्चिम बंगाल पूर्व पाकिस्तान सीमा से पाकिस्तानियों द्वारा ६८ भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण किया गया ।

(ख) ६१ ।

†मूल अंग्रेजी में

*इस संख्या का खुलासा प्राप्त नहीं है ।

†पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की संख्या, ३१ मार्च, १९६१ को कितनी थी, यह अभी मालूम नहीं हो सका है ।

(ग) शेष व्यक्तियों की रिहाई के लिये पूर्वी पाकिस्तान के साथ बातचीत की जा रही है ।

काम दिलाऊ दफ्तरों में रजिस्टर्ड प्रविधिक व्यक्ति

†३७४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १ अप्रैल, १९६१ को काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने प्रविधिक व्यक्ति रजिस्टर्ड थे; और

(ख) १९६०–६१ में रोजगार कार्यालयों के द्वारा कितने प्रविधिक व्यक्तियों को नौकरी मिली ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ३१-१२-१९६० को १,३५,५९६ व्यक्ति । १ अप्रैल, १९६० की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अप्रैल से दिसम्बर, १९६० की अवधि में ३०,७८९ व्यक्तियों को ।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†३७४२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने १९६०–६१ में पंजाब के निम्नलिखित संस्थाओं को कितने मूल्य की मशीनें सप्लाई की ;

(एक) औद्योगिक बस्तियां

(दो) सामुदायिक विकास खंड

(ख) इन संस्थाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं का मूल्य क्या है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने इन से कितने मूल्य की वस्तुयें खरीदीं; और

(ग) उन्हें अब तक कितने रु० की मशीनें दी जा चुकी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). यह जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती है और इसे प्राप्त करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा ।

मसाला निर्यात संवर्धन परिषद्

†३७४३. **श्री नारायणस्वामी** : क्या **वाणिज्य** तथा **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् ने कोई आर्थिक और सांख्यकीय सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद जिस का उद्घाटन अक्तूबर, १९६० के अन्त में एर्नाकुलम में किया गया था, का मुख्य कार्य मसालों के निर्यात से है और इस से यह आशा नहीं की जाती कि वह व्यापक आर्थिक और सांख्यकीय सर्वेक्षण कराये । किन्तु यह परिषद् अपनी सामान्य गतिविधियों के अंग के रूप में आगामी वर्षों के दौरान विदेशों में मार्केट सर्वेक्षण करा सकती है ।

(ख) यह प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष

३७४४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में कितना धन एकत्र हुआ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में किन किन सहायता कार्यों के लिये कितना कितना धन दिया गया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में १ नवम्बर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक के अरसे में कुल ३,५३, ८७१.९१ रुपये प्राप्त हुए ।

(ख) उल्लिखित अरसे में प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में से राहत के तौर पर दी गई रकमों की फहरिस्त सदन के पटल पर रख दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ३]**

न्यूयार्क में व्यापार केन्द्र

†३७४५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूयार्क में एक व्यापार केन्द्र खोलने की प्रस्थापना इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : प्रस्थापना पर अभी विचार किया जा रहा है ।

सांभर झील का उपयोग

†३७४६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांभर झील के संसाधनों का उपयोग करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को दिये जाने वाले मुआवजे सम्बन्धी विवाद के बारे में मध्यस्थ ने अपना निर्णय दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय दिया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्वी पाकिस्तान में चल और अचल सम्पत्ति

†३७४७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री वी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** ८ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व पाकिस्तान में चल और अचल सम्पत्ति के बारे में पाकिस्तान से चल रही बातचीत में और क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : "पूर्व पाकिस्तान में भारतीय सम्पत्ति स्वामियों की संथा" के अवैतनिक सचिव और पूर्वी पाकिस्तान के राजस्व बोर्ड के सदस्य के बीच सितम्बर, १९६० में हुई बैठक के पश्चात् संथा के एक प्रतिनिधि-मंडल ने पूर्व पाकिस्तान के राजस्व बोर्ड के सदस्यों के साथ इस विषय पर पुनः चर्चा करने की पेशकश की थी किन्तु उन्हें इस में सफलता नहीं मिली। हमारे उप-उच्चायुक्त द्वारा सम्पर्क स्थापित किये जाने पर राजस्व बोर्ड ने यह बताया कि वह अन्य प्रतिनिधि मंडलों के साथ इस सिलसिले में बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर, यह सुझाव दिया गया है कि कठिनाइयों के विभिन्न मामलों की ओर पूर्व पाकिस्तान के राजस्व बोर्ड का ध्यान दिलाया जाये ।

जम्मू और काश्मीर राज्य में कागज के कारखाने

†३७४८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में कागज के कारखानों के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). विशेषज्ञ की रिपोर्ट अभी बिल्कुल हाल में प्राप्त हुई है और उस में की गयी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

कालीन उद्योग का सर्वेक्षण

†३७४९. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कालीन उद्योग का सर्वेक्षण किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण रिपोर्ट का क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को छूट

†३७५०. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को दी जाने वाली छूट की बहुत सी रकम की अदायगी की जानी बाकी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १ जनवरी, १९६१ को कितनी रकम बकाया थी;

(ग) अदायगी में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने नियमित अदायगी के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

१ जनवरी, १९६१ को महाराष्ट्र की हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को दी जाने वाली छूट की बकाया रकम ४,८२,४८८ रु० थी ।

अप्रैल, १९६० में महाराष्ट्र के अकाउन्टेन्ट जनरल ने विभागीय पदाधिकारियों को हिदायतें जारी की थीं। सहकारी समितियों के लेखापरीक्षित लेखों की अनुपस्थिति में छूट की रकमों की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिये। चूंकि समितियों का लेखा परीक्षा निर्धारित अवधि के पश्चात् किया जाता है, इसलिये छूट के दावों को तब तक मंजूर नहीं किया जा सकता था जब तक कि उस अवधि का, जिस के लिये समितियों द्वारा लेखे प्रस्तुत किये गये थे, लेखा-परीक्षण पूरा नहीं होता। इसलिये राज्य सरकार ने अकाउन्टेन्ट जनरल से यह अनुरोध किया कि इस शर्त को ढ़ीला किया जाये ताकि बकाया राशियों की अदायगी की जा सके। अकाउन्टेन्ट जनरल ने इस नवम्बर, १९६० में इस बात को मान लिया था और अब नियमित रूप से अदायगी की जा रही है।

कपड़े की कीमतें

†३७५१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ व्यापारी कपड़े के थान को पहले वह हिस्सा बेच देते हैं जिस पर कपड़े का मूल्य अंकित होता है जिस का परिणाम यह होता है कि इस के पश्चात् जो ग्राहक कपड़ा खरीदते हैं उन्हें इस बात का पता नहीं लग पाता कि मूलतः उस थान पर कपड़े की क्या कीमत अंकित थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). पहले कुछ रिपोर्टें मिली थीं कि कुछ व्यापारी कपड़े के मुद्रांकित हिस्सों को काट लेते हैं। इस कदाचार को रोकने के लिये टैक्सटाइल कमिश्नर ने ९ जनवरी, १९६१ को एक प्रैस नोट जारी किया, जिस में व्यापारियों द्वारा जनता का ध्यान सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश के अधीन जारी उस विद्यमान अधिसूचना की ओर दिलाया गया था जिसमें यह कहा गया है कि मुद्रांकित हिस्से को सब से बाद में बेचना चाहिये।

खादी की खरीद

†३७५२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० में सरकारी प्रयोजनों के लिये हाथ से काती और बुनी गयी खादी की खरीद पर कितना व्यय किया गया; और

(ख) सरकार ने खादी को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४]**

'फीलपांव'[1] सम्बन्धी प्रलेख चित्र

†३७५३. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'फीलपांव' सम्बन्धी प्रलेख चित्र प्रादेशिक भाषाओं में बन कर कब तैयार हो जायेगा और उसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये राज्यों को कब दिया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: 'फीलपांव' सम्बन्धी प्रलेख चित्र, जिस का शीर्षक "हाथी की टांगे" है बन कर पूरा हो चुका है और २६ मई, १९६१ को उसे उन सभी तटवर्ती तथा अन्य राज्यों में जहां यह रोग फैलता है, सभी प्रादेशिक भाषाओं में, 'रिलीज' कर दिया जायेगा। केन्द्रीय और राज्य सरकारों की चलती फिरती गाड़ियों द्वारा इस फिल्म का बड़ा संस्करण भी दिखाया जायेगा ।

सड़क बनाने के काम आने वाले यंत्र

†३७५४. **श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश सड़क बनाने के काम आने वाले यंत्रों जैसे 'रोड रोलर्स', 'क्रशर्स', 'मिक्सर्ज' 'वाईब्रेटर्स' आदि और उन के फालतू कल पुर्जों के मामलों में आत्म-निर्भर है, और

(ख) यदि नहीं, तो आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: : (क) और (ख). 'रोड रोलर्ज' और उन के फालतू कलपुर्जों तथा सड़क बनाने के काम आने वाले अन्य यंत्रों जैसे 'क्रशर्स', 'मिकसर्ज' और 'वाइब्रेटर्स', का देश में जितना उत्पादन होता है, वह देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है। भविष्य में होने वाली अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उत्पादन-क्षमता बढ़ाने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

रस्सा उद्योग

†३७५६. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रस्सा उद्योग को किस हद तक कच्चे माल के आयात पर निर्भर करना पड़ता है ;

(ख) क्या उस सामान की वर्तमान और तृतीय पंच वर्षीय योजना के दौरान आवश्यकता का कोई मूल्यांकन किया गया है और उद्योग की कच्चे माल की खपत की तथा क्षमता है ; और

(ग) आयात करके और देशीय उत्पादन द्वारा कच्चे माल के संभरण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). रस्सा उद्योग सीसल और मनीला सन के आयात पर निर्भर करता है। यद्यपि रस्सा उद्योग के लिये देशी रेशे के संभरण की कमी की कोई शिकायतें नहीं हैं, सीसल और मनीला सन का आयात विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अनुसार

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Filariasis

किया जाता है। इस समय रस्सा उद्योग की क्षमता और आयातित और देशीय कच्चे माल की इसकी आवश्यकता के बारे में मूल्यांकन किया जा रहा है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजन

†३७५७. **श्री ब्रजराज सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कई सब-डिवीज़न बिना सब-डिवीज़नल पदाधिकारियों के ही काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सब-डिवीज़नों की क्या संख्या है ; और

(ग) कितने समय से विभागीय पदोन्नति समिति के जरिये असिस्टेंट इंजीनियरों (सब-डिवीज़नल पदाधिकारियों) के पद के लिये पदोन्नतियां नहीं की गयी हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अक्तूबर, १९५८ में असिस्टेंट इंजीनियर (असैनिक) के पद के लिये नियुक्ति के लिये उपयुक्त पदाधिकारियों की एक पदाली बनाने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की एक बैठक बुलायी गयी थी और दूसरी बैठक जुलाई, १९५९ में असिस्टेंट इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्ति के लिये की गयी थी। इन नियमों के पश्चात होने वाली रिक्तताओं को पात्र पदाधिकारियों का अस्थायी चुनाव करके भरा गया। शीघ्र ही नियमित पदाली बना ली जायेगी।

इलायची का मूल्य

†३७५८. **श्री नारायणस्वामी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इलायची के मूल्य घट रहे हैं ;

(ख) विदेशों को इलायची के निर्यात में कमी होने के क्या कारण है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (ग). यद्यपि वर्ष १९५८ और १९५९ की अपेक्षा वर्ष १९६० में इलायची की निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों प्रकार अधिक रहा, वसूल किया गया औसत मूल्य बड़ी फसल और संभरण के अन्य साधनों से प्रतियोगिता के कारण, पहले वर्षों की अपेक्षा कुछ कम था। सरकार ने हाल में मसालों के लिये एक निर्यात संवर्द्धन परिषद स्थापित की है जिसमें इलायची के लिये एक विशिष्ट पेनल है जो इसकी विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करेगा।

रबड़ बोर्ड के कर्मचारी

†३७५९. **श्री मणियंगाडन:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों (वेतन-क्रम का पुनरीक्षण) को रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों के मामले में क्रियान्वित किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों के मामले में सरकार द्वारा स्वीकृत द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों (वेतन-क्रम का पुनरीक्षण) को क्रियान्वित करने का फैसला किया गया है। कुछ कर्मचारियों के बारे में बोर्ड से प्रस्थापनायें मिली हैं और वे विचाराधीन हैं। बाकी कर्मचारियों के बारे में रबड़ बोर्ड से प्रस्थापनायें अभी प्राप्त होनी हैं।

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभ

†**३७६०. श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन किया है कि उनको भी वर्तमान अंशदायी भविष्य निधि लाभ के बजाय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा-निवृत्ति लाभ दिये जायें ;

(ख) क्या इस मामले में रबड़ बोर्ड ने कोई सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). रबड़ बोर्ड कर्मचारी संघ ने एक रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष को एक अभ्यावेदन दिया है कि कर्मचारियों को वर्तमान अंश दायी भविष्य निधि लाभ के स्थान पर निवृत्ति-वेतन और उपदान दिया जाये। बोर्ड इस योजना की कार्यान्विति के बारे में अध्ययन कर रहा है।

बोरों का मूल्य

†**३७६१. श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल के महीनों में बोरों का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है ; और

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण हैं और इस मूल्य को घटा कर सामान्य मूल्य तक लाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान ४ मार्च, १९६१ को एक ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में सभा में दिये गये वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया जाता है।

मोती बाग, नई दिल्ली में दुकानें

†**३७६२. श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के मोती बाग क्षेत्र में वहां की जनता की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये २५० दुकानें बनाई हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ये दुकानें दूकानदारों को दे दी गई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो वे कब तक दे दी जायेंगी ;

(घ) क्या उस क्षेत्र में पहले से दूकान करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी ;

(ङ) क्या उस क्षेत्र में कुछ ऐसे शरणार्थी व्यक्ति पिछले चार या पांच वर्ष से दुकानदारी कर रहे हैं जिन्हें नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने वहां दुकानें दी थीं ; और

(च) यदि हां, तो क्या उन दूकानदारों को भी वहां दूकानें दी जा रही हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) सरकार ने मोती-बाग १ और मोतीबाग २, नई दिल्ली में २०८ दूकानें बनवाई हैं ।

(ख) और (ग) मोतीबाग १ में नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने ३२ दूकानें पहले ही पात्र विस्थापित व्यक्तियों को दे दी हैं । इस बाजार में बाकी बची हुई दूकानें भी शीघ्र ही दे दी जाने वाली हैं । जहां तक मोतीबाग २ का सम्बन्ध है, इस बाजार को दूकाने देने के लिये दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(घ) ये दूकानें मुख्यतया उन विस्थापित व्यक्तियों को देने के लिये हैं, जो या तो (१) स्थानीय निकायों के स्टालों के मूल नियतन (अलाटमेंट) पाये हुए/लाइसेंस पाये हुए दूकानदार हैं, और इन स्टालों में दिल्ली/नई दिल्ली में १५ अगस्त, १९५० से पहले से लगातार धंधा कर रहे हैं, या (२) वे अन्य लोग, जिनके कब्जे में स्थानीय निकायों के स्टाल हैं । परन्तु, विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकतायें पूरी हो जाने के बाद बची हुई दूकानों को अविस्थापित व्यक्तियों को देने में कोई ऐतराज नहीं है ।

(ङ) सन् १९५६ में नई दिल्ली नगर पालिका समिति ने मोतीबाग १ में दो अविस्थापित व्यक्तियों को अस्थायी दूकानें दी थीं ।

(च) स्थिति ऊपर (घ) में स्पष्ट कर दी गई है ।

पंजाब में खेल-कूद उद्योग के लिये शहतूत की लकड़ी

†३७६३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में खेल-कूद उद्योग को शहतूत की लकड़ी के अभाव में कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में शहतूत के अधिक वृक्ष लगाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख) शहतूत की लकड़ी की कमी महसूस की जा रही है । विभिन्न राज्य सरकारें उस प्रकार के शहतूत के वृक्ष उगाने के लिये प्रयत्न कर रही हैं जिनकी लकड़ी खेल-कूद उद्योग के लिये उपयुक्त समझी जाती है परन्तु प्राचीन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, मौसम और अन्य परिस्थितियों के कारण अधिक देशी उत्पादन प्राप्त करने की अधिक संभावना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा विद्रोही

†३७६४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६१ के महीने में नागा विद्रोहियों और आसाम राइफल के बीच कितनी बार मुठभेड़ हुई ;

(ख) दोनों ओर कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) नागाओं से प्राप्त शस्त्रों का क्या 'मेक' है ;

(घ) क्या यह सच है कि २४ मार्च, १९६१ को हुई एक मुठभेड़ में एक जापानी बन्दूक पकड़ी गयी थी ; और

(ङ) यदि इस बात का पता लगा है तो उनके शस्त्र संभरण का क्या संसाधन है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** (क) मार्च, १९६१ में आसाम राइफल्स और नागा विद्रोहियों में ११ बार मुठभेड़ हुई ।

(ख) सुरक्षा दल के दो सदस्य मारे गये और दो घायल हुए । तेरह विद्रोहियों के मारे जाने का विश्वास है । उनमें से सात को पकड़ लिया गया है ।

(ग) विद्रोहियों के कब्जे से निम्नलिखित शस्त्रास्त्र पकड़े गये :

३०३ बन्दूक	१
जापानी बन्दूकें	२
नली में से गोली भरने की बन्दूकें	२
पिस्तौल	१

(घ) एक जापानी बन्दूक २४ मार्च को पकड़ी गयी और दूसरी २६ माच को ।

(ङ) इस क्षेत्र के जंगलों में युद्ध के रद्दी हथियारों के 'डम्प' हैं । ऐसा विश्वास है कि जापानी बन्दूकें इस ढेर की हैं । विद्रोहियों के पास हमारे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में छीने गये भी कुछ हथियार हैं । विद्रोहियों से जाकर मिलने वाले कुछ ग्रामीण गार्ड (रक्षक) अपने साथ कुछ हथियार ले गये हैं । इसके अतिरिक्त, नागा लोग देश में बनी नली से गोली भरने वाली बन्दूकें बना सकते हैं ।

जोर्डन के साथ व्यापार करार

†३७६५. **श्रीमती मैमूना सुलतान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और जोर्डन के बीच एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) १९ अप्रैल, १९६१ को दोनों देशों के बीच व्यापार करार सम्बन्धी पत्रों की अदला बदली हुई है ।

(ख) अभी हमें अपने राजदूत से पत्रों का अन्तिम ब्योरा नहीं मिला है और वह यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हांसी (पंजाब) में बिना बिकी रूई का स्टाक

†३७६६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हांसी में व्यापारियों के पास अधिकांश हांसी में पैदा की जाने वाली एच १४ किस्म की रूई का बड़ा भंडार पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिल-मालिक सरकार द्वारा निर्धारित दरों से भी बहुत कम दामों पर इस रूई को नहीं खरीद रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस रूई को बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । यह बताया गया है कि मिलें इस रूई की अपनी आवश्यकता को बाजार भाव पर खरीद रही हैं जो उचित समझे गये हैं ।

(ग) क्योंकि इस समय व्यापारियों के पास पड़ा रूई का भंडार बहुत बड़ा नहीं है, सरकार उसको बेचने के बारे में व्यवस्था करने के लिये कोई विशेष पग उठाना आवश्यक नहीं समझती ।

अर्द्ध-स्थायी कर्मचारी

†३७६७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अर्द्ध-स्थायी कर्मचारियों के बारे में क्या नीति है ;

(ख) पांच वर्ष से भी अधिक सेवा के बाद भी अस्थायी अथवा अर्द्ध-स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ; और

(ग) उनको स्थायी न बनाने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ग). अर्द्ध-स्थायी सर्टीफिकेट केन्द्रीय असैनिक सेवायें (अस्थायी सेवायें) नियम, १९४९ के उपबन्धों के अनुसार दिये जाते हैं ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कांगो

†३७६८. **श्रीमती मैमूना सुलतान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से कांगो से बेल्जियनों और अन्य सैनिकों को निकालने के लिये एक निश्चित समय निर्धारित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र में एक संकल्प रख रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो संकल्प में क्या प्रमुख बातें रखी गयी हैं ; और

(ग) उस ओर संयुक्त राष्ट्र का क्या रवैया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) भारत, श्रीलंका और १२ अन्य अफ्रीकी-एशियाई देशों द्वारा पुरोनिधान संकल्प के प्रमुख खंड निम्न प्रकार हैं :

"(१) बेल्जियम सरकार से कहा जाये कि वह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में अथवा अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करे और सुरक्षा परिषद् और वृहत्सभा की इच्छा के अनुसार पूर्ण रूप से और शीघ्रता से कार्य करे ।

(२) यह निर्णय किया जाये कि सभी बेल्जियन और अन्य विदेशी सैनिक और राजनीतिक परामर्शदाता, जो संयुक्त राष्ट्र कमान में नहीं हैं, और अर्थदास २१ दिन के भीतर पूर्ण रूप से बाहर निकल जायें और कांगो खाली कर दें जिसके न होने पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

(३) इस संकल्प की कार्यान्विति के लिये सभी राज्यों से अपना प्रभाव डालने और सहयोग करने को कहा जाये ।

(ग) वृहत्सभा ने १५ अप्रैल, १९६१ को इस संकल्प पर खंडशः मतदान किया । २१ दिन की समयावधि के बारे में पर्याप्त बहुमत नहीं मिल सका परन्तु यह संकल्प ६१ मत पक्ष में, ५ विरुद्ध और ३३ तटस्थ मतों से स्वीकार कर लिया गया ।

जूतों का निर्यात

†३७६९. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ से प्रत्येक वर्ष में जूतों के निर्यात के क्या आंकड़े हैं ;

(ख) क्या इन आंकड़ों से जूतों के निर्यात में कमी का पता चलता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) वर्ष १९५८ से जूतों का निर्यात निम्न प्रकार रहा :

वर्ष	मात्रा (हजार जोड़ों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९५८	३८५८	२१४
१९५९	४७५९	२९४
१९६०	५०३४	३०७

(ख) निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम बंगाल में आतिशबाजी के कारखाने में विस्फोट

†३७७०. **श्री तंगामणि :**
श्री धर्मलिंगम् :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के २४ परगना जिले में बारसत में मेसर्ज़ ओरियन्ट फ़ायर वर्क्स कम्पनी के आतिश बाजी के कारखाने के निर्माण-शेड में ६ मार्च, १९६१ को हुए विस्फोट के बारे में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जावेगी ; और

(ग) क्या इस इमारत में ऐसे विस्फोटक पदार्थ पाये गये जिनमें जल्दी विस्फोट होता है?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) आतिशबाजी बनाने में जो मिला जुला बारूद काम आता है उसमें कोई अनधिकृत चीज नहीं है । अधिकृत बारूद में भी घने दबाव से विस्फोट हो सकता है ।

गुजरात राज्य का प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†३७७१. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के जरिये गुजरात राज्य का प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब किया जायेगा और सर्वेक्षण का क्या स्वरूप है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). यह बताया गया है कि मिली जुली बम्बई राज्य सरकार के कहने पर राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने राज्य का प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया और गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों को पृथक पृथक सर्वेक्षण प्रतिवेदन दिये हैं ।

नेशनल न्यूज़प्रिंट एंड पेपर मिल्ज (नेपा)

†३७७२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल न्यूज़प्रिन्ट एंड पेपर मिल्ज़ (नेपा) के शयर तत्काल बिक जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ऐसे अन्य कोई सरकारी संस्थान और उपक्रम हैं जिनके शेयर अग्रिम आदि लेने के लिये तत्काल बाजार में नहीं बिक जाते ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सार्वजनिक शेयरहोल्डरों के द्वारा धारित नेशनल न्यूज़ प्रिन्ट एंड पेपर मिल्ज़ लिमिटेड के शयरों का हस्तांतरण पक्षों में बातचीत द्वारा किया जाता है । नेशनल न्यूज़प्रिन्ट एंड पेपर मिल्ज़ लिमिटेड के शेयर स्टाक एक्सचेंज की सूची में दर्ज नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अन्य सरकारी उपक्रमों के सभी शेयर राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के नाम में होते हैं। जनता को इनके शेयरों अथवा ऋणपत्रों में धन लगाने पर इनके सन्था-नियमों में प्रतिबंध है। इन समवायों के शेयर खरीदने अथवा बेचने के लिये उपलब्ध नहीं हैं और अतः उनके क्रय-विक्रय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र

†३७७३. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित गैर सरकारी पक्ष ने इस बीच मध्य प्रदेश में इटारसी में अथवा कटनी में प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र लगाने के लिये अपनी रुचि बता दी है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इस रुचि का अनुमोदन कर दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र लगाने के स्थान के चुनाव का कार्य, भारत सरकार की अनुमति होने पर, मेसर्ज़ खण्डलवाल ब्रादर्स प्राइवेट लिमिटेड पर छोड़ दिया गया है जिनको उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया है। अभी इस पक्ष ने स्थान के बारे में अपनी इच्छा नहीं बतायी है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†३७७५. **श्री सुगन्धि :**
श्री आगाडी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मसूर और आन्ध्र प्रदेश को विभिन्न मदों के अधीन कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ; और

(ख) कथित राज्यों में कितनी धन राशि खर्च की गयी है, व्यपगत हो गयी है और अगले वर्षों में खर्च के लिये रखी गयी है ?

†**योजाना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५]**

(ख) द्वितीय योजना-काल में वास्तविक खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

लद्दाख में खम्पा शरणार्थी

†३७७६. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ और खम्पा शरणार्थियों ने हाल में लद्दाख में प्रवेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के आरम्भ से लेकर कितने शरणार्थी आये हैं ; और

(ग) क्या उनको ठीक प्रकार से शरण दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). इस वर्ष ४ अप्रैल, १९६१ तक तिब्बत से ६७ खम्पा शरणार्थियों ने लद्दाख में प्रवश किया।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर सरकार से लद्दाख में पहले आये शरणार्थियों समेत इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये योजना बनाने का अनुरोध किया गया है।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड

†३७७७. **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के एक सदस्य के विरूद्ध रिश्वत की एक लिखित शिकायत मिली है जिसके साथ सम्बन्धित कागजात की फोटो प्रतियां भी हैं ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार ने इस मामले में क्या पग उठाये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) यह शिकायत संब को प्राप्त दान से है। इसमें गोदी श्रमिक बोर्ड का कोई पदाधिकारी सम्बन्धित नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फरीदा बाद में उद्योग

†३७७८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद में ऋणी उद्योगों के बारे में यह बात देखने के लिये कोई मूल्यांकन किया गया है कि क्या विस्थापित व्यक्तियों को ऋण की शर्तों के अनुसार रोजगार दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मूल्य यांकन कब किया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां। लगभग ६३ प्रतिशत श्रमिक विस्थापित व्यक्ति हैं।

(ख) सितम्बर, १९५९ में।

बोनस आयोग

†३७७९. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बोनस आयोग के गठन को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

---

†तूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संक्षिप्त रूप से आयोग के निदेश पद क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). अभी बोनस आयोग के गठन और निदेश पदों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

जन सहयोग केन्द्र

३७८०. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने जन सहयोग केन्द्र हैं और कहां-कहां हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये प्रति वर्ष भारत सेवक समाज को कितना अनुदान दिया जाता है और अब तक कुल कितना धन दिया जा चुका है ; और

(ग) उन जन सहयोग केन्द्रों में क्या कार्य हो रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :(क) सभा की मेज़ पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६**] ।

(ख) भारत सेवक समाज को जो सहायतामूलक अनुदान स्वीकृत किया जाता है वह साल के साल बदलता रहता है । १९५३–५४ से १९५९–६० तक भारत सेवक समाज को सूचना और प्रसारण द्वारा लगभग ३.०० लाख रुपये का कुल अनुदान दिया जा चुका है । १९६०–६१ का हिसाब अभी तक तैयार नहीं हुआ है ।

(ग) केन्द्रों के कार्यकर्ता अपने अपने क्षत्रों में बैठकों, प्रदर्शनियों, मेलों , अध्ययन-गोष्ठियों, समाज सेवा शिविरों इत्यादि का आयोजन कर जनता के पास योजना का संदेश पहुंचाते हैं और योजना को सफल बनाने में उनको यथासंभव योग देने के लिये उत्साहित करते हैं ।

अमलाबाद कोयला खान

†३७८१. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, १९५५ में खान में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में खान अधिनियम, १९५२ और खान विनियम, १९२६ के उपबन्धों के अतिक्रमण के लिये अमलाबाद कोयला खान के डायरेक्टर और मैनेजर के विरुद्ध चलाया गया अभियोग किस प्रक्रम पर है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उनकी अपील रद्द कर दी है ;

(ख) दुर्घटना के लिये उत्तरदायी ठहराये गये मैनेजर के आचरण की जांच के लिये खान विनियम के अधीन नियुक्त की गयी जांच-न्यायालय की क्या उपपत्तियां हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक आदेश रद्द किये जाने के बाद, इस मामले के रिकार्ड पुरुलिया न्यायालय से बेगमपारा में न्यायालय को स्थानान्तरित किये गये हैं जिनका अब राज्यपुनर्गठन के बाद खान पर अधिकार है । वह न्यायालय मई, १९६१ में मामले की सुनवाई करेगा ।

(ख) जांच-न्यायालय ने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निम्न आय वर्ग आवास योजना

†३७८२. **श्री राम गरीब :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को निम्न आय वर्ग आवास योजना के अधीन एक नया मकान बनाने के लिये अग्रिम धन राशि देने से पूर्व, उनको अपने खर्च पर एक सरकारी वकील अथवा राजस्व पदाधिकारी से सम्पत्ति-स्वत्व के बारे में एक प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता है ;

(ख) क्या सम्पत्ति स्वत्व सिद्ध करने के लिये सम्पत्ति के रजिस्टर्ड पत्रों को पर्याप्त नहीं माना जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या ऐसे प्रमाणपत्र लेने में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ङ) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने उपरोक्त योजना के अधीन वर्ष १९६० में कितने व्यक्तियों को ऋण दिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) स्पष्टतः जानकारी 'केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये अग्रिम धनराशि देने के नियमों' के अधीन मांगी जा रही है जो केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम धन राशि देने के बारे में है। इन नियमों के अधीन विभागों के अध्यक्षों को यह अधिकार हैं कि वे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी से, उसको मकान बनाने के लिये धन देने से पूर्व उसके अपने खर्च पर एक सरकारी वकील से या राजस्व अधिकारी से सम्पत्ति-स्वत्व के बारे में एक प्रमाणपत्र पेश करने को कह सकते हैं।

(ख) और (ग). रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र केवल स्वामित्व-हस्तांतरण का प्रमाण है। इस बात का सत्यापन केवल राजस्व/संक्रामण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच से ही किया जा सकता है कि क्या हस्तांतरित सम्पत्ति अभारग्रस्त है।

(घ) इस मंत्रालय को अभी तक किसी मामले में कठिनाई का पता नहीं चला है।

(ङ) इन नियमों के अधीन वर्ष १९६० में ४१९ मामलों में अग्रिम धन देना मंजूर किया गया।

स्थगन प्रस्ताव

पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे दो स्थगन प्रस्तावों तथा एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना के नोटिस मिले हैं जिनमें बताया गया है कि २२-४-१९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में दीवार गिरने से गंभीर दुर्घटना के कारण पांच मजदूर मर गये / क्या हालत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : श्रीमान शनिवार २२ अप्रैल को दुर्घटना हुई थी। हमने भी समाचारपत्रों में समाचार ही पढ़ा है। खान उप-निरीक्षक दुर्घटनास्थल पर पहुंच गये हैं। अभी तक हमें दुर्घटना के पूरे ब्योरे नहीं मिले हैं। दो तीन दिन में हमें ब्योरे मिल जायेंगे और हम उनको सभा के सामने रख देंगे।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** (बसिरहाट) : श्रीमान इस क्षेत्र में इसी प्रकार की कितनी ही दुर्घटनायें हुई हैं। २७ फरवरी को शिमला बहल में चार व्यक्ति मारे गये तथा कितने ही घायल हो गये। ५ मार्च को भद्रचुक में पांच आदमी मर गये। जनवरी के अन्त में भी लोयाबाद में दो व्यक्ति मर गये। चार महीने बाद नीमला में दो व्यक्ति मर गये। इतनी दुर्घटनायें हो गईं परन्तु अब तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा कोई सूचना भी सभा को नहीं दी।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह कहना ठीक नहीं है कि हमने कोई कार्यवाही नहीं की है। खेद है कि इस क्षेत्रमें कुछ दुर्घटनायें हुईं। हमने इनकी जांच कराई है तथा अधिकांश मामलों में प्रबंधकों पर जिम्मेदारी डाली है। मैंने सभी दुर्घटनाओं की रिपोर्टें सभा के सामने रख दी हैं तथा इस दुर्घटना की रिपोर्ट भी सभा पटल पर रख देंगे।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : भद्रचक दुर्घटना के समय श्री आबिद अली ने बताया था कि वह दुर्घटना प्रबन्धकों की गलती से हुई थी। सरकार ने तब से क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : उन्होंने यह बताया था कि जब भी हमें इसका पता लगेगा कि जानबूझ कर दुघटना की गई है तब हम अभियोजन आरम्भ कर देंगे। कार्यवाही की गई है और ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि हम जो भी संभव है वह नहीं कर रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि क्या दुर्घटनायें इतनी बढ़ गई हैं कि जांच करानी आवश्यक हो गई है। इस के बारे में मैं बजट पर बोलते हुए बता चुका हूं कि दुर्घटनाओं पर क्या कार्यवाही की गई है। प्रत्येक मामले में हमें दुर्घटना के कारणों आदि पर विचार करना होता है। माननीय सदस्य ने जिन दो दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है वह ग़लती से हुई हैं। उनके बारे में सारी जानकारी हम बता चुके हैं।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : मैं ने दो नहीं कई मामले बताये हैं।

†**श्री नन्दा** : मैं बताना चाहता हूं कि हाल में ही हम ने विधि का संशोधन करके कठोर दण्ड की व्यवस्था की है। जब भी मालिक को अपराधी पाया जाता है तभी कानूनी कार्यवाही की जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया कि श्रीमती चक्रवर्ती ने जिन मामलों का उल्लेख किया है वह बजट पर बहस से पहले हो चुके थे और उन्होंने उनका उत्तर दे दिया था। मेरा एक सुझाव है कि ऐसे मामलों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिये जाने चाहिएं।

इन स्थगन प्रस्तावों को मैं अपनी अनमति नहीं देता हूं। ध्यान दिलाने की सूचना की तिथि मैं बाद में निश्चित कर दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला में आदिवासी मजदूरों की कथित गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही का एक और स्थगन प्रस्ताव है जिसमें बताया गया है कि रूरकेला इस्पात कारखाने में नियुक्त आदिवासी मज़दूरों की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की जानी चाहिए ।

क्या आदिवासी मज़दूरों के साथ कोई भेदभाव रखा जाता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : कोई भेदभाव नहीं किया जाता है माननीय सदस्य ने जो कुछ बताया है उसके बारे में मैं रूरकेला से सम्पर्क बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं । इस स्थगन प्रस्ताव का पता मुझे आज ही लगा है । मैं जानकारी मंगाऊंगा और सभा को बताऊंगा ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : रूरकेला में अब तक ३००० आदिवासी मज़दूरों की छंटनी की जा चुकी है । जब उनकी भूमि अर्जित की गई थी तो उनसे वादा किया गया था कि उन्हें इस इस्पात कारखाने में अकुशल मज़दूरों का काम दिया जायेगा । एक ओर उनकी भूमि के बदले उनको कोई भूमि नहीं दी गई है तथा दूसरे उन में से बहुतों की छंटनी कर दी गई है । जब उन्होंने जनरल मैनेजर के पास शिकायत करने के लिए धरना दिया तो उन में से १०० से अधिक आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया । मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वहां जाकर इसकी जांच करें ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे आदिवासियों से पूरी सहानुभूति है तथा जो कुछ भी सम्भव है मैं उनके लिए करने को तैयार हूं । परन्तु यह हुआ कि आरम्भ में इन लोगों ने तथा अन्य लोगों ने कारखाने के अधीन काम करने के बजाये ठेकेदारों के अधीन काम करना पसन्द किया क्योंकि ठेकेदार उन्हें अच्छी मजूरी देते थे । आरम्भ में जब कारखाने के अधिकारी उनको नियुक्त कर सकते थे उस समय यह आगे नहीं बढ़े । अब निर्माण-कार्य समाप्ति पर है और इस्पात कारखाने में भी इतना काम नहीं रहा कि इनको नौकर किया जाये ।

सभी प्रकार के छंटनी हुए मज़दूरों की छंटनी सुविधायें देने का उत्तरदायित्व ठेकेदारों का है और राज्य सरकारें सुनिश्चित कर रही हैं कि ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ।

आदिवासियों की गिरफ्तारी की हम जांच करा रहे हैं । मैं जानने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आखिर मामला क्या है । जानकारी मिलने पर उसको सभा पटल पर रख दूंगा ।

जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है, उनको उनकी भूमि की पूरी कीमत तथा १५ प्रतिशत अतिरिक्त धन सहायता के रूप में दे दिया गया है । राज्य सरकार ने भी उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त धन व्यय किया है । जिन व्यक्तियों की भमि अर्जित की गई है उनके साथ सहानुभूति रखते हुए हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि भूमि की पूरी कीमत तथा सहायता देकर राज्य सरकार ने इन लोगों को पुनर्वासित करने का प्रयत्न किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के वक्तव्य के बाद स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं । माननीय मंत्री कृपा करके गिरफ्तारियों की जांच करें और सभा को बता दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिलासपुर में चावल लाने ले जाने के लिए वैगन

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** (भोपाल) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"मध्य प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में चावल ले जाने के लिए ४०,००० डिब्बों की बकाया मांगों से उत्पन्न स्थिति ।"

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बिलासपुर क्षेत्र में चावल तथा धान के ले जाने की बकाया मांग ४०,००० वैगनों की नहीं अपितु ३३,००० वैगनों की थी । परन्तु इससे सही स्थिति का पता नहीं लगता है ।

नवम्बर १९६० से मार्च १९६१ तक बिलासपुर जिले से चावल तथा धान निम्नलिखित रूप में लादा गया है :—

नवम्बर १९६० .	८५० वैगन
दिसम्बर १९६०	१,३०९ वैगन
जनवरी १९६१ .	२,७८२ वैगन
फरवरी १९६१ .	१,८२९ वैगन
मार्च १९६१ . . .	२,१६८ वगन

इस साल की फसल पिछले साल के समान ही हुई है । १९५९–६० में बिलासपुर क्षेत्र से लगभग ४ लाख टन चावल तथा धान का लदान हुआ था । १९६०–६१ में केन्द्रीय सरकार तथा व्यापार में लगभग २ लाख टन लाद दिया गया है । चालू मौसम के शेष चार महीनों में बिलासपुर क्षेत्र से शेष २ लाख टन अभी लादा जाना है । ३३,००० वगन लगभग ७ लाख टन का लदान करेंगे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि मांगे गये वगनों की संख्या बहुत ज्यादा थी ।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात को मिलाकर चावल खण्ड दिसम्बर के शुरू में बनाया गया था । इसके कारण नीचे बताये गये अनुसार मांग अचानक बढ़ गई :—

३०–११–६१	१६६ वगन
३१–१२–६१ . .	५,१७६ वैग

इस भारी मांग को पूरा करने के लिए दिसम्बर, ६० से लदान बढ़ा दिया गया ।

कलकत्ते की ओर ७ प्रतिशत माल सरकार का लादा गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह लम्बा वक्तव्य है तो इसको सभा पटल पर रखा जाये ।

[शेष वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया—सम्पादक]

यह वैगनों के यातायात के अनुसार था क्योंकि खाली वैगन चक्रधरपुर के खनिज क्षेत्रों तथा बगाल और बिहार की कोयला खानों को चले जाते हैं परन्तु इस वर्ष सभी खाली वैगन महाराष्ट्र तथा गुजरात की ओर भेज दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

यह बताना भी आवश्यक है कि दक्षिण पूर्व रेलवे से इस्पात कारखानों के यातायात को प्राथमिकता देने को कहा गया। हमरेलवे को विजगापट्टम बन्दरगाह से आयात किए गए खाद्यान्नों का भी लदान करना होता है। बिलासपुर जिले से चावल बाहर भेजने के अलावा, उस क्षेत्र से कोयला, इस्पात, मैंगनीज, खनिज, डोलोमाइट जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं को भी भेजा जाता है। इसके बावजूद भी उपलब्ध संसाधनों की सहायता से चावल को शीघ्र से शीघ्र भेजने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: मैं संविधान के अनुच्छेद ३५०-ख के अन्तर्गत १ अगस्त, १९५९ से ३१ अक्तूबर, १९६० तक की अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—२८७५/६१]

सिनेमा कार्बन (नियंत्रण आदेश

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ३ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ७३८ में प्रकाशित सिनेमा कार्बन (नियंत्रण) आदेश, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी —२८७६/६१]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं संविधान के अनुच्छेद ३३८(२) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिए अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन (भाग १ तथा २) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी —२८७७/६१]

कलकत्ता क्षेत्र में बिजली की कमी के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : श्रीमान्, यह २½ पृष्ठ का वक्तव्य है इसलिए यदि आप अनुमति दें तो इसको सभा-पटल पर रख दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७]** इसे सदन में पढ़ने की बजाय सभा पटल पर रखा जा रहा है। माननीय सदस्य इसको पढ़ लें।

---

†मूल अंग्रेजी में

आय-कर विधेयक

†**वित्त उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: श्रीमान्, मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि आय-कर और अधि-कर सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर तथा अधि-कर सम्बन्धी विधि का संशोधन तथा समन्वय करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करती हूं ।

तार विधियां संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : श्रीमान्, तार विधियां (संशोधन) विधेयक को इस सभा ने दिसम्बर १९६० में पारित किया था इसलिए आवश्यक है कि राज्य सभा इसे १९६१ में पारित करती । इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय तार अधिनियम, १८८५ तथा भारतीय बेतार का तार अधिनियम, १९३३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

१. पृष्ठ १, पंक्ति १ में 'Eleventh year' ['ग्यारहवें वर्ष'] के स्थान पर 'Twelfth year' ('बारहवें वर्ष') शब्द रखे जायें ।

खण्ड १

२. पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '1960' ['१९६०'] के स्थान पर '1961' ('१९६१') अंक रखे जायें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न वह है :—

'कि भारतीय तार अधिनियम, १८८५ तथा भारतीय बेतार का तार अधिनियम, १९३३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

१. पृष्ठ १, पंक्ति १ में 'Eleventh year' ['ग्यारहवें वर्ष'] के स्थान पर 'Twelfth year' ['बारहवें वर्ष'] शब्द रखे जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० प० सुब्बरायन[

खण्ड १

२. पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '1960' ['१९६०'] के स्थान पर '1961' ['१९६१'] अंक रखे जायें ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

'कि राज्य-सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाये ।'

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

'कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन

†**श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

'कि औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

१. पृष्ठ १, पंक्ति १ में 'Eleventh year' ['ग्यारहवें वर्ष'] के स्थान पर 'Twelfth year' ['बारहवें वर्ष'] शब्द रखे जायें ।

खण्ड १

२. पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '1960' ['१९६०'] के स्थान पर '1961' ['१९६१'] अंक रखे जायें ।'

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

'कि औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

१. पृष्ठ १, पंक्ति १ में 'Eleventh year' ['ग्यारहवें वर्ष'] के स्थान पर 'Twelfth year' ['बारहवें वर्ष'] शब्द रखे जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १

२. पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '1960' ['१९६०'] के स्थान पर '1961' ['१९६१'] अंक रखे जायें ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री आबिद अली** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

'कि राज्य-सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाये ।'

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

'कि राज्य-सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दण्ड विधि संशोधन विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : श्रीमान्, श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

'कि दण्ड विधि की अनुपूर्ति करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

सभा जानती है कि इस विधेयक को क्यों प्रस्तुत किया गया है । मैं संक्षेप में विधेयक के उद्देश्यों को बताता हूं । इस विधेयक के द्वारा हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिये कुछ नये अपराधों की रचना की गई है । इस विधेयक के खण्ड २ में दिया है कि जो कोई भी व्यक्ति भारत की सीमाओं की एकता, सुरक्षा के बारे में कुछ ग़लत प्रचार करेगा उसको अधिकतम तीन वर्ष की कैद तथा जुर्माने की सज़ा दी जायेगी ।

श्रीमान्, पिछले कई वर्षों से भारत की सीमाओं के बारे में कई बार उल्लेख हुए हैं जिनसे चिन्ता बढ़ गई और इसीलिए अब हमें यह कार्यवाही करनी पड़ी । सभा जानती है कि भारत की प्रादेशिक एकता को नष्ट करने के कितने प्रयत्न किये गये हैं ।

इस प्रश्न के दो पहलू हैं । एक तो यह है कि भारत में संभवतया ऐसे लेख मंगाये जायें जिनसे झूठा प्रचार हो । इसके लिए हम समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर चुके हैं अर्थात् जब भी कभी कोई गड़बड़ी वाली चीज़ भारत में लाई जायेगी तभी लाने वाले के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी तथा उस चीज़ को ज़ब्त कर लिया जायेगा ।

परन्तु यदि भारत में ही ऐसी सामग्री तैयार कर ली जाये तो उसके बारे में कानून में कुछ त्रुटियां हैं । यह उचित नहीं है कि भारत में राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां होती रहें और अशिक्षित जनता के मन में भारतीय प्रादेशिक एकता के प्रति शंकायें उत्पन्न कर दी जायें । इसके बारे में प्रधान मंत्री कई बार सभा में बता चुके हैं । इसलिए आवश्यक हो गया कि कुछ कार्यवाहियों को अपराध घोषित किया जाये और इसीलिए खण्ड २ में उन्हीं अपराधों की परिभाषा की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

आप जानते हैं कि देश की प्रादेशिक एकता बनाये रखना सब से पवित्र काम माना जाता है। शताब्दियों से भारत की सीमायें निश्चित हैं। यदि इन सीमाओं को छिन्न भिन्न करने के लिए भारत में कोई व्यक्ति प्रचार करता है तो हमारे लिए यह बहुत खतरनाक होगा। ऐसे प्रचार को केवल हतोत्साह करने से काम नहीं होगा अपितु इसके लिए दण्ड की व्यवस्था करना नितांत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए इसके लिए तीन वर्ष की कैद तथा जुर्माने की सजा निर्धारित की जा रही है।

इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य यह है कि भारत की सीमाओं के कुछ क्षेत्रों में झूठी अफवाहें, झूठे कार्य कलाप तथा ऐसी गतिविधियों को रोका जाये जिनका देश पर बुरा प्रभाव पड़े। हम ने खण्ड ४ में रखा है कि यदि केन्द्रीय सरकार भारत की सुरक्षा तथा जनहित में उचित समझे तो सरकारी गजट में भारत की सीमाओं के निकट के क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है तथा ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में जो शांति, व्यवस्था, सुरक्षा, संभरण आदि में बाधा पहुंचाता है तो उसको तीन वर्ष की कैद तथा जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

कुछ विशेष शक्तियां भी ली गई हैं। हमारी सीमायें विशाल हैं और आप जानते हैं कि कुछ लोग जो सीमा निवासी नहीं हैं वहां गड़बड़ी तथा देशद्रोही कार्यवाही करने जाते हैं। इसलिए इनके वहां जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति तथा उनको वहां से हटाने की शक्ति ली गई है। ऐसी व्यवस्था उप-खण्ड ३ में की गई है। अब वहां जाने वाले व्यक्ति को परमिट लेना होगा। परमिट लेने वाला व्यक्ति भी यदि परमिट का उल्लंघन करता है अथवा कोई ऐसी कार्यवाही करता है जो भारत के हित में नहीं हो, तो उसको दण्ड दिया जा सकता है। उप-खण्ड (५) के अधीन वहां जाने वाले व्यक्ति की तलाशी भी ली जा सकती है।

कुछ समय पूर्व भारत में प्रेस आपत्तिजनक मामले अधिनियम, १९५१ लागू था। परन्तु इस सभा तथा दूसरी सभा ने उस अधिनियम का विरोध किया और इसीलिए उसकी अवधि नहीं बढ़ाई गई। अब उसी से मिलती जुलती व्यवस्था इस विधेयक में की जा रही है। खण्ड ४ में दिया गया है कि प्रेस तथा पुस्तक रजीयन अधिनियम १८६७ में परिभाषित कोई समाचारपत्र, पुस्तक यदि आपत्तिजनक पाई जाती है तो उसको राज्य सरकार गजट में अधिसूचित कर के जब्त कर सकती है।

'दस्तावेज' की परिभाषा की गई है और उसमें पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी तथा अन्य दृश्य वस्तुओं को सम्मिलित कर दिया गया है।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में सब से अधिक निरक्षरता है और वहां पर पुस्तकें प्रकाशित करा कर, भाषण देकर इस प्रकार का गलत प्रचार किया जा रहा है कि हमारे पड़ौसियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को रोकने के लिए भारत द्वारा किया गया काम एकदम गलत है। इस प्रचार को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है।

चीन ने हमला नहीं किया है। सीमा चिह्नित नहीं है। इस प्रकार हमारे देशवासी स्वयं हमारी सीमाओं को गलत बताते हैं। यह कहा जाता है कि चीन भारत पर कभी भी हमला नहीं करेगा क्योंकि समाजवादी देश आक्रमण का पक्षपाती नहीं होता है। चीन एक समाजवादी देश है। चीन इस विवाद को शांति से निबटाना चाहता है परन्तु भारत सरकार ऐसा नहीं चाहती है। वह कांग्रेस पार्टी को भी इन बातों में शामिल कर लेते हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी शासन की गलतियों को छुपाने के लिए जनता का ध्यान इस ओर लगा देना चाहती है। इन बातों से स्पष्ट है कि झूठा प्रचार किया जा रहा है।

यह भी कहा जाता है कि तिब्बत चीन का भाग है। दलाई लामा साम्राज्यवादियों के प्रभाव में है। सरकार को उसे भारत में नहीं रखना चाहिए। चीन के नियंत्रणाधीन भारत का भाग, भारत की अन्य सीमा क्षेत्रों की तुलना मे अधिक उन्नति कर गया है। आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों की उन्नति के लिए सभी सम्भव कार्य किये जा रहे हैं। पिछले वर्ष ही कुछ कार्यवाहियां की गई हैं। जो लोग हिमालय में गये हैं वह जानते हैं कि इन क्षेत्रों का भारत के अन्य क्षेत्रों के समान विकास करने में परिवहन आदि की कितनी ही कठिनाइयां सामने आती है। परन्तु फिर भी इन क्षेत्रों की उतनी ही प्रगति करने के लिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकार लाखों रुपया व्यय कर रही है। यह कहना एकदम ग़लत है कि सीमा के हमारे लोगों की हालत तिब्बत के लोगों से बहुत खराब है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की हालत बहुत अच्छी है और वह अब पूरी तरह सभ्य होते जा रहे हैं। मैंने इन क्षेत्रों का भ्रमण किया है और पाया है कि यहां की जनता लोकतंत्रीय सरकार के लाभ समझने बकी है।

कुछ पार्टियां एक दूसरे प्रकार का भी झूठा प्रचार कर रही हैं। उनका उद्देश्य वहां की कठिनाइयों का लाभ उठाना है। वह ऐसा वहां पर गड़बड़ी पैदा कर के ही कर सकते हैं।

एक पार्टी ने वहां एक सार्वजनिक जलसा किया। उसमें वक्ताओं ने बताया कि हमारे प्रधान मंत्री ने चीन-भारत सीमा-विवाद को अनावश्यक रूप से भड़काया है। यह कितना झूठा प्रचार है। यह भी कहा गया कि प्रधान मंत्री १९६२ के सामान्य चुनाव जीतने के उद्देश्य से सीमा-विवाद को बढ़ाते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री कितने शांतिप्रिय हैं और सभी विवादों को अहिंसा के द्वारा सुलझाना चाहते हैं।

उनका यह भी कहना है कि भारत के कुछ भागों पर चीन का दावा ठीक था। चीन ने भारत के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं किया है। यह कितनी झूठी बातें हैं। इनसे बड़ी हानि होने की आशंका है।

हम ने इन सभी बातों को हस्तक्षेप्य तथा बिना जमानत का अपराध बताया है। नियमित मुकदमा किया जायेगा। मुकदमे में अपराधी को अपने विचार प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जायेगा। न्यायालय द्वारा अपराधी मान लिये जाने पर ही उनके विरुद्ध और कार्यवाही की जायेगी।

संविधान के उपबन्धों का पूरा ध्यान रखा गया है। परन्तु जब कोई व्यक्ति जानबूझ कर भारत को नुकसान पहुंचाने के विचार से कोई गलत काम करेगा तो उसको निश्चित रूप से दण्ड दिया जायेगा।

दो वर्ष पहले, उस समय के गृह-मंत्री ने कई बार बताया था कि सरकार को इन खतरों का पता है और हम उन पर विचार कर रहे हैं। सरकार ने उन पर विचार कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि दण्ड आदि पर पूरा विचार कर लिया गया है और यह दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री गोरे** (पूना) : मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब हमारे यहां दंड संहिता निवारक निरोध अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य दूसरे विधान थे तो फिर इस विधेयक को प्रस्तुत करने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी इस विधेयक की बहुत दिनों से आवश्यकता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गोरे]

थी और इसे बहुत देर से प्रस्तुत किया गया है। किन्तु फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कुछ लोग देश म बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना चाहिये। उन्होंने जो कुछ यहां कहा तथा जो कुछ उदाहरण दिये उन से प्रकट है कि भारत का केवल एक दल अर्थात् साम्यवादी दल ही, ऐसा प्रचार कर रहा है और माननीय मंत्री को उसका नामोल्लेख करना चाहिये था।

जहां तक हमारी सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न है सरकार अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रही है। जैसा कि इस बात से स्पष्ट है कि सरकार को इस बात का भी पता नहीं था और चीन हमारी सीमा में १९५४ से ही घुसा बैठा हुआ है। इसका अभिप्राय तो यह था कि भारत सरकार ने एक प्रकार से उन्हें इस बात की अनुमति दे रखी थी कि जो कुछ कार्यवाही वे वहां कर रहे ह वे वहां करते रहें। लद्दाख से नेफा तक का सम्पूर्ण सीमान्त क्षेत्र खतरे में है। मुझे आशा है कि जैसे ही यह विधेयक अधिनियम बन जायेगा तो इसे काश्मीर तथा जम्मू राज्य में भी लागू कर दिया जायेगा क्योंकि हमारे सीमान्त का यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि इसके एक ओर चीन है तो दूसरी ओर पाकिस्तान है। और दोनों के साथ ही हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं।

हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय हमें स्पष्ट रूप से यह बतायें कि उन क्षेत्रों में आजकल स्थिति क्या है। वहां पर जनता की स्थिति क्या है यह बात बहुत महत्व की है और इसी बात पर वहां की सुरक्षा भी आधारित है। नागा क्षेत्र से लेकर लद्दाख तक स्थिति बहुत ही खतरनाक है। अतः उस सीमान्त क्षेत्र की बहुत सावधानी से देखभाल करने की आवश्यकता है। यह बात कि लन्दन आबजर्वर का संवाददाता विद्रोही नागा क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक आ जा सकता है इस बात की द्योतक है कि सीमान्त पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी ढील है। इसका अभिप्राय तो यह है कि हमारी सरकार अच्छी तरह नियंत्रण नहीं कर सकती। नागा लोग चोरी छिपे आये हुए हथियारों से नाना प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं।

सीमान्त प्रदेशों एवं क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वहां बड़ा गलत प्रचार किया जा रहा है। सो खाली विधान बनाने से काम नहीं चलेगा आवश्यकता इस बात की है ऐसे प्रचार करने वालों को पकड़ कर बन्दी बनाया जाये। और उन्हें दंड दिया जाये। हमें वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी ताकि वहां इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो सके।

वहां यह प्रचार किया जा रहा है कि बद्रीनाथ का मंदिर जो तिब्बत वालों का है जिसका परिणाम यह होगा कि एक दिन चीन उसको अपने अधिकार में कर लेगा। वहां के निवासियों से निरंतर कहा जा रहा है कि आपकी शिकायतें चाहे कैसी भी तथा कितनी भी क्यों न हों ये जल्दी ही समाप्त हो जायेंगी क्योंकि चीनी लोग शीघ्र ही वहां आ रहे हैं।

टेहरी गढ़वाल से अभी लगभग एक हज़ार व्यक्ति आये थे और उन्होंने संसद् के सामने प्रदर्शन करते हुए कहा था कि हमारी आर्थिक समस्याएं ये हैं। हमें उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करना है जिससे कि वहां कोई राष्ट्र विरोधी भावना के पैदा होने की संभावना ही न रहने पाये। उनका व्यापार बंद हो गया है, उनका वाणिज्य रुक गया है, उन्होंने अपने खच्चर भी निकाल दिये हैं। वहां नयी सड़कें बनवा कर सरकार उस क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं का उपयोग करे और कृषि के अच्छे साधनों को लागू करे। वहां के लोगों का रोज़गार समाप्त

हो गया है। उस क्षेत्र में काम करने वाले पदाधिकारियों को जनता के सम्पर्क में आना चाहिये। सेवा की भावना से वहां काम करने के लिये एक नये प्रकार की अधिकारी श्रेणी बनानी पड़ेगी। और इसमें पहाड़ी लोगों को ही अधिक अवसर दिया जाना चाहिये।

इस समय हमें सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीयता की एक लहर पैदा करनी चाहिये थी। श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा मध्यस्थ निर्णय की बात कही गई है वह ठीक नहीं है। जब तक सरकार इस मामले में स्वयं अपने संदेह को ठीक नहीं कर लेती, तब तक ऐसे विधान से कोई लाभ नहीं होगा। इस विधेयक के अधीन जो अधिकार दिये जा रहे हैं, उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिये। अगर उस क्षेत्र का विकास करना है तो वहां लोगों को रोजगार देना होगा। वहां वास्तविक स्थिति क्या है इस बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी। और जो विधान यहां बनाया जा रहा है उसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना होगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम) : मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह विधेयक मेरे विचार से अनावश्यक, अवांछित है तथा इसका दुरुपयोग होगा। माननीय मंत्री महोदय में इतना साहस नहीं था कि वे साम्यवादी दल का नामोल्लेख करते। पहले वक्ता महोदय को भी स्पष्ट शब्दों में साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग करनी चाहिये थी। हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता या सीमाओं के बारे में किसी को कोई सन्देह नहीं है। साम्यवादी दल की राष्ट्रीय परिषद् ने अपने दिल्ली वाले संकल्प में भारत की परम्परागत सीमाओं की पुष्टि की है। ऐतिहासिक व परम्परागत तथ्यों पर लम्बी चौड़ी बातचीत के बाद और अपने पक्ष को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के बाद समझौते का अब केवल एक ही मार्ग है कि आगे की बातचीत ही की जाये और यदि जरूरी हो तो उच्च राजनैतिक स्तर पर या उच्चतम स्तर पर बातचीत की जाये। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता अपनाने का ऐसा नतीजा होगा, जिसका विचार करने के लिये भी हम तैयार नहीं हैं। यदि ऐसा कहने के लिये हमें देशद्रोही कहा जाये, तो हम इसकी चिन्ता नहीं करते। साम्यवादी दल के विरुद्ध एक निरन्तर व नियमित प्रचार आरम्भ कर दिया गया है कि इस दल के लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में घूम रहे हैं और भारत विरोधी प्रचार कर रहे हैं। पर इन आरोपों का इनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है सिवाय इसके कि पुलिस की रिपोर्टों में कहा गया है कि इनके भाषण तथा उनके कुछ काम ऐसे रहे हैं। हमारी मांग पर कुछ नाम बताये गये, पर वे भी मनगढ़न्त थे। जिन मामलों का उल्लेख है, उनमें से कुछ ऐसे हैं, जिसमें वे व्यक्ति कानूनी ढंग से वनों म काम करने वाले मजदूरों में कार्मिक संघ की गति विधियों का प्रचार कर रहे थे। माननीय मंत्री महोदय ने साम्यवादियों के एक आपत्तिजनक नारे का उलेख किया है—"तिब्बत चीन का एक भाग है— मेरे विचार से ऐसा कहना बिलकुल भी गलत नहीं है। पाकिस्तानी सीमा पर गोली चलने और व्यक्तियों के मारे जाने की जितनी दुर्घटनायें होती हैं उतनी चीनी सीमा पर नहीं। पाकिस्तानी भेदियों तथा गुप्तचरों के बारे में भी समाचार मिलते रहते हैं। पर उनके लिये कभी भी ऐसे विधान की आवश्यकता नहीं समझी गई। ऐसी बातों तथा स्थितियों का सामना करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त अधिकार तथा शक्तियां हैं। यह कहा गया है कि इस विधेयक के पीछे कोई राजनैतिक उद्देश्य है क्योंकि १९६२ में आम चुनाव आ रहे हैं। लोग महसूस करते हैं कि एक बवंडर उठा कर उसकी आड़ में किसी राजनैतिक दल को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन अधिकारों का प्रयोग व्यावहरिक रूप से पुलिस, स्थानीय अधिकारी, तथा मजिस्ट्रेट करेंगे—केवल साम्यवादियों के ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के विरुद्ध भी—इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा, ऐसी कोई गारन्टी नहीं है क्योंकि इन मामलों में पुलिस की बात ही सबसे अधिक प्रामाणिक बात मानी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि मेरे दल के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं वे निरर्थक हैं। उन आरोपों के समर्थन में कोई भी प्रमाण आदि नहीं हैं। हम भी अपने आप को उतना ही राष्ट्र-वादी समझते हैं जितना कि अन्य दूसरे लोग। मैं अपनी ओर से तथा दल की ओर से यह निवेदन करता हूं कि यह विधेयक अवांछित, अनावश्यक है और इसका सत्तारूढ़ दल द्वारा दुरुपयोग किया जायेगा।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। और निवेदन करता हूं कि इसका पूर्ण समर्थन किया जाना चाहिये। यह प्रश्न बहुत सरल है। हमारे देश में साम्यवादी दल या किसी और दल के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो चीन की सीमा को लेकर हमारी नीति से पूर्णतया सहमत नहीं हैं। किन्तु यह ध्यान में रखा जाना चाहिये यह विधान किसी दल विशेष का विरोध करने के लिये नहीं लाया गया है। इस विधेयक में एक कमी है। अधिसूचना जारी किये जाने के बाद यदि हमारे देश की राष्ट्रीय सार्वभौमिकता या प्रादेशिक अखंडता को चुनौती देने वाली कोई पुस्तिका प्रकाशित की जाये या किसी प्रकार का प्रचार किया जाये तो सरकार कार्य-वाही करेगी। लेकिन अधिसूचित क्षेत्र से बाहर कोई चीज़ प्रकाशित की जाती है तब क्या होगा। इस विधेयक के पृष्ठ ३ पर उपधारा (१) म एक और कमी है। वह कमी "चित्र, फोटोग्राफ और अन्य बातों" के बारे में है। किन्तु यह सर्वविदित है कि पश्चिम देशों के हाल के कुछ प्रकाशनों में भी काश्मीर को भारत के भाग के रूप में नहीं दिखाया गया है। क्या यह बात अर्थात् मानचित्रकारी सम्बन्धी उल्लंघन, भारत पर चीन के आक्रमण से किसी प्रकार कम है? इसके अलावा हैदराबाद में गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तानी झंडा फहराने और नारे लगाने की भी घटनाएं हैं। इस तरह का प्रचार सीमा पर ही नहीं वरन् देश के बीचोंबीच किया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि यह विधान इस परिस्थिति का सामना किस प्रकार करेगा?

यह विधेयक तो ठीक है लेकिन आजकल स्थिति ऐसी है कि सरकार को बड़ी सावधानी से कदम उठाना होगा। इसके अतिरिक्त इस विधेयक म और भी बहुत सी कमियां है और जब तक वे कमियां दूर नहीं हो जातीं तब तक यह विधेयक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता।

नोमेडिक लोगों की स्थिति सुधारते के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जाने चाहियें ताकि वे संतोष अनुभव कर सकें। साम्यवादी दल की कार्यवाहियों पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिये तथा उनकी देखभाल करनी चाहिये। तिब्बत किसका है अब इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ भारतीय पाकिस्तान के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। यह बड़ी गम्भीर बात है। अतः इसके बारे में भी सावधानी से काम लेना होगा।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है कि हम विधेयक के अधीन मिलने वाले अधिकारों का प्रयोग केवल व्यक्ति विशेष के ही विरुद्ध किया जायेगा न कि किसी दल विशेष के। अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि सीमा वाले क्षेत्रों के लिये भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये। इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग विशेषकर समाचारपत्रों के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिये। मेरा विचार है कि खंड ४ के अन्तर्गत सरकार ने अधिक अधिकार ले लिये हैं अतः इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इन अधिकारों का प्रयोग सावधानी से किया जाये। अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मानवेन्द्र शाह** (टेहरी गढ़वाल) : इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है । मैं इस सम्बन्ध मे सभा का ध्यान खंड ३ के उपखंड (१) की ओर दिलाता हूं। जिसमें यह कहा गया है कि सरकार भारत के सीमान्त से लगे हुए किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है, तत्पश्चात् लोगों को उस प्रतिशोधित क्षेत्र में जाने के पूर्व सरकार से स्वीकृति लेनी होगी ।

मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है जिन लोगों के व्यापार या धार्मिक क्षेत्र उस स्थान में हैं, उन्हें वहां जाने में परेशानी उठानी पड़ सकती है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

अधिसूचित क्षेत्रों मे एसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि प्रव्रजनशील होते हैं । वे लोग गर्मियों म वहां रहते हैं और जाड़ों में चले जाते हैं तो क्या वह क्षेत्र थोड़ ही समय के लिये अधिसूचित क्षेत्र रहेगा । खंड ३ के उपखंड (२) के अनुसार ये प्रतिबन्ध केवल अनुसूचित क्षेत्र मे ही लागू होंगे और जब वहां के लोग वहां से बाहर चले जायेंगे तब भला उन्हें राष्ट्र विरोधी भावनाओं से प्रभावित होने से आप किस प्रकार रोक सकते हैं ।

खंड ३ के उपखंड (२) म कहा गया है कि उक्त अधिसूचित क्षेत्र म यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रचार करेगा या कोई एसा वक्तव्य प्रकाशित करेगा जो कि भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल होगा तो उसे दंड दिया जायेगा इत्यादि, इसका अभिप्राय यह ज्ञात होता है कि सरकार इन क्षेत्रों को राष्ट्र विरोधी प्रचार के अड्डे बनाने से रोकना चाहती है । इस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों का केन्द्र ये अधिसूचित जिले नहीं हैं अपितु वे क्षेत्र हैं जहां आपने ये सुविधायें और रियायतें नहीं दी हैं । ये क्षेत्र इन सीमान्त क्षेत्रों से लगे हुए ह । अतः सरकार को चाहिये कि सीमान्त के जिलों तक सारे पर्वतीय क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाय तभी इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो सकता है ।

खंड ३ के उपखंड (२) में विधि और व्यवस्था बनाये रखने शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । इन शब्दों का बहुत व्यापक अर्थ होता है । क्या जनता की न्यायसंगत मांगें भी इसके अधीन आ सकती हैं । यदि ऐसा होगा तो यह अनुचित है । इससे जिला अधिकारी स्थानीय जनता को उनकी न्याय-संगत मांगों के लिये भी परेशान कर सकते हैं । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें ।

श्री आसर (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो आज सदन के सामने आया है वह हमको स्वतंत्रता मिलने के १३ वर्ष बाद आया है । इस बिल का अभी हमारे कम्युनिस्ट मित्र इन्द्रजीत गुप्त ने कड़ा विरोध किया है । आ उन्होंने विरोध तो जरूर किया है लेकिन इस बात का फैसला नहीं किया है कि सब कानून होते हुए भी आज यह बिल लाने की आवश्यकता देश में क्यों पैदा हुई । हमारे उन मित्र को जरा अपने दिल पर हाथ रख कर अपने से यह सवाल करना चाहिये था कि आखिर इस तरह का बिल लाने की जरूरत गवर्नमेंट को क्यों महसूस हुई ? आज हम देखते हैं कि हमारे देश के चारों ओर की सीमायें असुरक्षित हो गयी हैं । अब हमारे देश की सीमा पर एक ओर तो पाकिस्तान के हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानी एजेंट व जासूस हमारे बौर्डर्स पर घूमते रहते हैं । दूसरा खतरा हमारी सीमाओं को चीन की ओर से महसूस हो रहा है । चीन की भी स्थिति कमोवेश पाकिस्तान की सी है और उसने भी हमारे देश के १२००० वर्ग मील भूभाग पर अनधि-कृत रूप से कब्जा कर रखा है और हमारी सीमाओं को चीन से खतरा बढ़ रहा है । यह दुर्भाग्य का विषय है कि चीन द्वारा हमारे प्रदेश पर हमला करने के बाद भी हमारे देश में ऐसे कई लोग

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आसर]

हैं जो कि चीन का पक्ष लेकर कहते हैं कि चीन ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया है। अब यह बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि अन्य लोगों और शक्तियों द्वारा हमारे ऊपर हमला करने के बाद भी उन विदेशी शक्तियों को डिफेंड करने का प्रयत्न करें और इस बात को कहें कि हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ है।

इन्द्रजीत गुप्त ने यह भी सदन को बतलाया कि उनकी कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया ने अपनी कौंसिल की मीटिंग में एक रेजोलूशन पास किया है और उसको उन्होंने थोड़ा सा पढ़ कर भी सुनाया। लेकिन प्रश्न यह है कि वह प्रस्ताव क्यों पास किया गया और उससे पहले भारत-चीन सीमा विवाद के विषय में कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति और व्यवहार क्या थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी की नीति का विरोध होने लगा और चारों ओर से यह कहा जाने लगा कि ये चीन के साथी हैं और अपने देश के प्रति इन लोगों की निष्ठा नहीं है, तो इस भय से कि देश में हमारी पार्टी की स्थिति खराब हो जायेगी, इसलिये उन्होंने फरवरी में यह प्रस्ताव पास किया। इस विषय पर विजयवाड़ा कांग्रेस में भी चर्चा होने वाली थी, लेकिन इस अवसर पर इस समस्या के बारे में कोई चर्चा न हो, इस आशय का श्री ख्रुश्चेव का एक खास सन्देश लेकर श्री सुसलाव आये और उन्होंने आदेश दिया कि चीन के बारे में कोई कुछ न कहे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : माननीय सदस्य को श्री सुसलाव ने बताया होगा।

श्री आसर : यह बात सब पेपर्ज में आई है और सब को ज्ञात है कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीन के बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिये। विजयवाड़ा में इस विषय पर चर्चा न होने का कारण यह नहीं है, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया, कि चूंकि पहले फरवरी में इस बारे में प्रस्ताव पास किया गया था, इसलिये इस सेशन में उस पर विचार करने और उसको पास करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। हम प्रायः देखते हैं कि किसी विशेष समस्या पर यदि एक सेशन में प्रस्ताव पास किया गया है, तो दूसरे सेशन में भी उस के बारे में चर्चा होती है और विचार प्रकट किये जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है, विजयवाड़ा में इस विषय पर चर्चा न होने का स्पष्ट कारण यह था कि श्री सुसलाव के द्वारा एक खास सन्देश आया कि इस समस्या के बारे में मौन रखा जाये।

पिछले दिनों **लिंक** पत्र में विजयवाड़ा कांग्रेस की स्टेज का चित्र देखने का अवसर मुझे मिला। मुझे देख कर आश्चर्य हुआ कि वहां पर स्टेज पर लगाने के लिये उन लोगों को किसी भारतीय नेता का चित्र न मिला और उन्होंने लेनिन का फोटो लगाया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : और मार्क्स का भी।

श्री आसर : हां, मार्क्स का फोटो भी लगा था। यह कितने खेद की बात है कि हमारे देश के लोगों ने अपने सब नेताओं को छोड़ कर अपनी निष्ठा लेनिन और मार्क्स में प्रकट की है। जो हमारे देश के नहीं हैं, जिनसे हमारे देश का कोई संबंध नहीं है, उन लोगों के फोटो स्टेज पर लगाये जायें, उनकी नीति को माना जाये और देश के बाहर के लोगों के आदेशों को माना जाये, यह दुर्भाग्य की बात है। इस बिल की आवश्यकता इसलिये पड़ी है कि उन लोगों की कार्यवाहियों को रोका जाये, जो कि सीमा के प्रश्न पर अपने देश के हितों की उपेक्षा कर के विदेशी शक्तियों के पक्ष में भ्रमात्मक प्रचार कर रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि बदरीनाथ और केदारनाथ के बारे में कम्यूनिस्टों के द्वारा यह प्रचार हो रहा है कि वे पुराने बौद्ध टैम्पल हैं और चूंकि चीनी बौद्ध हैं, इसलिये ये टैम्पल चीनियों के हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा में इस बारे में चर्चा हुई थी और वहां सरकार की ओर से बताया गया था कि यह सही है कि ऐसा प्रचार हो रहा है और इसको रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। देश में इस प्रकार की परिस्थिति होने के कारण इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी है।

इस बिल का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन एक बात बताना आवश्यक समझता हूं कि जैसे हम कम्यूनिस्टों के द्वारा किये गये प्रचार और कार्यवाहियों के बारे में विचार करते हैं, वैसे ही हमको पाकिस्तान के समर्थन में किये गये प्रचार पर भी दृष्टि रखनी चाहिये। जैसा कि श्री खाडिलकर ने बताया है, औरंगाबाद बिदर और अन्य स्थानों में रिपब्लिक डे के दिन पब्लिक मीटिंग में खुले आम पाकिस्तान के झंडे लहराये गये। इस विषय में हमारे एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि यह क्वेस्चियन स्टेट से संबंध रखता है। यह बात ठीक है, लेकिन हमको देखना चाहिये कि दूसरे देशों के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाये और उनकी कार्यवाहियों को रोकने का प्रयत्न किया जाये। देश के हर भाग में इस प्रकार का प्रचार हो रहा है। अगर इस को रोका नहीं जायेगा, तो इसका परिणाम यह है कि देश में अराजकता फैलेगी। मुस्लिम लीग आदि संस्थाओं के द्वारा जो प्रचार हो रहा है, वह देश की सुरक्षा और शांति और व्यवस्था के लिये खतरनाक है। इसलिये उस पर रोक लगाने के लिये कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

बम्बई के एक बड़े प्रसिद्ध सर्जन ने, जो कि प्रत्यक्ष कम्यूनिस्ट तो नहीं, लेकिन प्रो-कम्युनिस्ट हैं, कम्यूनिस्टों के साथ चलने वाले हैं, शोलापुर में डाक्टरों की एक मीटिंग में डाक्टरों से संबंध रखने वाले विषयों पर अपने विचार प्रकट करने के बाद बताया कि देश में जो वातावरण चल रहा है कि चीन ने आक्रमण किया है, वह झूठा है। उस मीटिंग के मिनट्स भी लिखे गये थे, लेकिन संस्था के प्रेजिडेंट ने यह देख कर कि ऐसा कहना उचित नहीं था और इसका कोई बुरा परिणाम न हो, उस मीटिंग के मिनट्स में कुछ गड़बड़ करके मामले को दबा दिया। माननीय मंत्री जी को इस बारे में जांच करनी चाहिये कि डाक्टरों की मीटिंग में राजनैतिक विषय पर चर्चा करते हुये चीन के बारे में वकालत करने की आवश्यकता उस सर्जन को क्यों पड़ी। वह डाक्टर हैं और अपने विषय के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन कम्यूनिस्टों का साथी और को-वर्कर होने के कारण उन्होंने ऐसी बातें कहीं। ऐसी बातों को रोकना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों और **नेफा** में जो इस प्रकार का प्रचार हो रहा है, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। सरकार को मालूम है कि दार्जलिंग और कालिम्पोंग भारत-विरोधी प्रचार के केन्द्र बने हुये हैं। वहां ऐसी स्थिति है कि चीनी लोग अपनी इच्छानुसार आते जाते हैं और हम उनको रोक नहीं सकते हैं। पिछले दिनों डमडम एयरपोर्ट पर एक चीनी आया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वह कहां से आया और किस काम से आया। बाद में पता लगा कि पहले उसको डीपोर्ट किया गया था, लेकिन वह लौट आया और फिर उसको पकड़ लिया गया। इसके पश्चात् वह बीमार होने के कारण हास्पिटल में पड़ा रहा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन चीनियों को हमने देश से चले जाने का नोटिस दिया था, उनमें से कितने बाहर गये और जो नहीं गये, उन को नोटिस भेज कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। हम देश की सुरक्षा को व्यवस्था करने के लिये अपने ही देश के नागरिकों के द्वारा, देश-

[श्री आसर]

द्रोहियों के द्वारा, किये जाने वाले गलत प्रचार को रोकने का तो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देश में प्रचार करने की खुली छूट मिली हुई है, जो कि इंडियन नेशनल नहीं हैं। इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

हम देखते हैं कि बैंक आफ चाइना के सब अधिकारी चीन का समर्थन कर रहे हैं और वह एक स्पाई सैंटर बना हुआ है। सरकार को उसको बन्द कर देना चाहिये, उसके साथ व्यवहार बन्द कर देना चाहिये और वहां जो एक स्पाई सैंटर बना हुआ है, उसको समाप्त कर देना चाहिये। मैं इस प्रकार के और उदाहरण भी दे सकता हूं, लेकिन समय कम होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हूं। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि केवल इस बिल को पास करने से ही हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, ऐसी भावना सरकार में नहीं होनी चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि इसके अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाये--जो लोग देश के प्रति वफादार नहीं हैं, जो दूसरे राष्ट्रों से प्रेरणा लेते हैं और उनके आदेशों के अनुसार अपनी नीति बनाते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। इन्द्रजीत गुप्त ने बताया.....

उपाध्यक्ष महोदय : अगर किसी माननीय सदस्य का नाम लिया जाये, तो उससे पहले "माननीय सदस्य" या "आनरेबल मेम्बर" कहना चाहिये। सिर्फ नाम लेना मुनासिब नहीं है। माननीय सदस्य ने दो दफा कहा है "इन्द्रजीत गुप्त"।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्योंकि वह समझते हैं कि केवल वही एक देशभक्त हैं।

श्री आसर : मेरे नजदीक वह पेट्रियट हैं।

मैं कह रहा था कि माननीय सदस्य और मेरे माननीय मित्र, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में बहुत सी बातें कहीं। मैं समझता हूं कि यह बिल केवल कम्यूनिस्ट पार्टी के लिये नहीं आया है। इस बिल का अर्थ यह है कि जो लोग इस देश के खिलाफ प्रचार करते हैं, जिनकी अपने देश के प्रति निष्ठा नहीं है, जो देश में धोखा निर्माण करने वाला प्रचार करते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने स्वयं इस को अपने ऊपर ले लिया और समझ लिया कि इसके द्वारा हमारे विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। जब उनका इस प्रचार से कोई संबंध नहीं है, जब उनकी ओर से कोई प्रचार नहीं हो रहा है, जब वह कहते हैं कि इस देश के प्रति हमारी निष्ठा है, तो फिर वह इस बिल से क्यों डरते हैं और इसका विरोध क्यों करते हैं? हम कहते हैं कि जो ऐसे कार्य करते हैं, वे पकड़े जायेंगे। वह क्यों डरते हैं? हम क्यों नहीं डरते?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कौन डरता है?

श्री आसर : इसका अर्थ तो यह है कि उनके अन्तःकरण में यह भावना है कि वे ये काम कर रहे हैं और वे उसका ढकने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनको खुले आम कहना चाहिये कि हम देशभक्त हैं और इस देश के प्रति हमारी निष्ठा है। उस अवस्था में कोई उन पर रोक लगाने वाला नहीं है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसका उपयोग अच्छी तरह से होना चाहिये, ताकि देश में कोई खराब परिस्थिति पैदा न हो।

मेर माननीय मित्र, श्री मानवेन्द्र शाह, ने आशंका प्रकट की कि कहीं इस बिल का दुरुपयोग पुलिस के द्वारा न हो और जो बहुत से यात्री जाते हैं, उनको परेशानी न हो। उनको जो परेशानी होती है, उसको दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा और वहां जाने वाले यात्रियों को इस बिल से कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा आश्वासन माननीय मंत्री जी को देना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं। अब तक हमारे इस सीमा विवाद के सम्बन्ध में जो थोड़ी बहुत भी किसी के दिमाग में शंका रही होगी या जो भारतीय सीमा के साथ थोड़ी बहुत खिलवाड़ करना चाहते होंगे, वे अब सतर्क हो जायेंगे। मेरा विचार है कि इस विधेयक को काफी पहले आ जाना चाहिये था। क्योंकि यह बहुत पहले नहीं आया इसलिए इस बीच तरह-तरह की भ्रामक बातों के प्रचार के कारण काफी हानि हो चुकी है। फिर भी मुझ विश्वास है कि इस विधेयक का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जो लोग अभी तक गलत रास्ते पर चलते रहे हैं, उन्हें अब इस से कुछ सबक मिलेगा, और चेतावनी मिलेगी।

अभी-अभी मैं अपने आदरणीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त जी का भाषण सुन रहा था। उनके भाषण को सुन कर के मझे "चोर की दाढ़ी में तिनका" वाली कहावत याद आ गई। मेरी समझ में नहीं आया है कि आखिर उनके हृदय में इस तरह की परेशानी क्यों पैदा हुई है? हमारे राज्य मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय तथा इसकी व्याख्या करते समय यही बात कही है और जिसका जिक्र इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में भी किया गया है कि किसी दल विशेष से इस विधेयक का सम्बन्ध नहीं है और न ही हमारे राज्य मंत्री जी ने अपने भाषण में किसी दल विशेष का नाम लिया है। इस में केवल यह व्यवस्था की गई है कि जो इस तरह का भ्रामक और देशद्रोहपूर्ण प्रचार करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूं कि श्री गुप्त ने इस विधेयक का विरोध करके, अपने प्रति तथा अपने दल के प्रति जो लोगों के मन में शंका है, उसको और पुष्ट कर दिया है।

उन्होंने जो तर्क पेश किए उन में एक तर्क यह था कि निवारक नज़रबन्दी कानून यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो पहले से मौजूद है, उसका उपयोग जब सरकार कर सकती है तो इस कानून को बनाने की क्या आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब निवारक नज़रबन्दी कानून के सम्बन्ध में इस सदन में वाद-विवाद चल रहा था तो हमारे विरोधी दल के भाइयों ने ही उस समय यह एतराज किया था कि चूंकि इसके अन्तर्गत किसी को भी पूरा मौका सफाई पेश करने का नहीं दिया जाता है इसलिए यह कानून नहीं बनना चाहिये और इतना ही नहीं उन्होंने उस कानून का जी तोड़ विरोध भी किया था। परन्तु आज जब कि एक नया कानून बनने जा रहा है तब वे ही भाई उस निवारक नज़रबन्दी कानून की शरण ले रहे हैं और कहते हैं कि उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता इस कानून के अनुसार तो यह व्यवस्था की जा रही है, जहां तक मैं इस के अर्थ को समझा हूं, कि जहां पर इसका संदेह होगा, पुलिस कार्रवाई करेगी लेकिन जो हमारे अदालती कानून हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसके मुताबिक ही उन पर मकदमा चलेगा। इसका अर्थ हुआ कि हर किसी को अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने का मौका दिया जाएगा, वह बहस कर सकेगा, सबूत पेश कर सकेगा और अपील दायर कर सकेगा, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे उसके लिए खुले रहेंगे और जब उसके खिलाफ अभियोग सिद्ध हो जाएगा तभी उसको दण्ड मिलेगा।

[श्री भक्त दर्शन]

हमारे आदरणीय श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने अपने भाषण में गढ़वाल के तीन समाचार पत्रों का उल्लेख करने की भी कृपा की है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने उस पिछड़े हुए इलाके के समाचारपत्रों को पढ़ने का कष्ट उठाया है । उन्होंने "सरहदी", "कर्मभूमि" तथा "सत्य पथ" से उद्धरण दिए हैं। उनके सम्बन्ध में मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन समाचार पत्रों ने जो अपनी सम्मतियां दी हैं, उन से अधिक स्पष्ट सम्मति मैं इसी सदन में जब कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव मैं ने प्रस्तुत किया था, दी थी और मैं ने उस समय स्वयं ये शब्द कहे थे--उन्हें शायद याद होगा और यह चीज़ रिकार्ड में भी मौजूद है--कि हमारे सीमा सम्बन्धी विवाद के बारे में जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, उन से हमारे प्रधान मंत्री जी को चिन्तित तो जरूर होना चाहिये लेकिन उत्तेजित नहीं होना चाहिये। इन समाचार पत्रों को अगर आप बारीकी से पढ़ें, उनके अग्रलेखों का सम्पादकीय टिप्पणियों को बारीकी से पढ़ें तो एक ही निष्कर्ष निकलता है, एक ही तत्व निकलता है कि उन्होंने कहीं भी इस बात से इन्कार नहीं किया है कि इस तरह का प्रचार नहीं किया जा रहा है । दो दृष्टि-कोण उन्होंने सामने रखे हैं। एक तो यह कि हम लोगों को बढ़ा चढ़ा कर इस बारे में बातें नहीं करनी चाहियें और दूसरा यह कि गवर्नमेंट को तथा हमारी जनता को भी इस से उत्तेजित नहीं होना चाहिये, आतंकित नहीं होना चाहिये। तीसरी बात जिसको मैं ने भी यहां इस सदन में कहा था यह है और इन समाचार पत्रों का भी यह दृष्टिकोण है कि चाहे जितनी भ्रामक बातें वहां फैलाई जायें, वहां की जनता की नस-नस में अपने देश के लिए इतना प्यार भरा पड़ा है कि वह इस तरह के प्रचार से गलत रास्ते पर नहीं जा सकती है । यह दृष्टि-कोण जो है, इस में और गप्त जी के दृष्टिकोण में बड़ा भारी अन्तर है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह काफी है हमारे लिए। आई एम सेटिसफाइड विद इट ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : ज़मीन आसमान का अन्तर है ।

श्री भक्त दर्शन : इस से स्पष्ट है और इस को मैं सदन में भी कह चुका हूं और आज फिर कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की बातें होती हैं, जो थोड़ी बहुत भ्रामक भी होती हैं, जिससे इन पत्रों ने इन्कार नहीं किया है, तो इन्हें हमको बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना चाहिये और इन से हम को उत्तेजित नहीं हो जाना चाहिये। लेकिन बिल्कुल भी ऐसी घटनायें नहीं होती हैं या बिल्कुल भी ऐसा प्रचार नहीं किया जा रहा है इस तरह की बात न मैं कह सकता हूं और न हीं इन समाचार पत्रों ने कही है ।

एक बात मैं जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं । गुप्त जी ने गढ़वाल, वहां के एक कार्य-कर्ता का नाम लिया, श्री कृष्ण भट्ट । उनके बारे में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले वह साम्यवादी दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर चके हैं। मझ भी पिछले दिनों वे मिले थे। और उन्होंने अपना तर्क दिया था । उनका कहना यह था कि उन के खिलाफ जो रिपोर्ट प्रान्तीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचाई गई है उस में एक ऐसे व्यक्ति का हाथ था जिससे उनका व्यक्तिगत वैमन्स्य था, द्वेष था, आपस में झगड़ा था और वह चूंकि सैंट्रल इंटेलीजेंस ब्योरो में या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग में काम करते हैं, इसलिए जान-बूझ कर उन्होंने उनको नुक्सान पहुंचाने के लिए वह रिपोर्ट भेजी है । मैं नहीं कह सकता कि साम्यवादी दल से अलग होने के पश्चात् उनके विचारों में परिवर्तन आया है या नहीं

साम्यवादी दल से वह स्वयम् अलग हुए हैं, स्वयं त्याग पत्र दिया है या उनको हटाया गया है। सरकारी तौर पर वह साम्यवादी दल से संबंधित हैं या नहीं और अब उनके क्या विचार हैं, इस सब के बारे में मैं निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं। यह एक अलग सवाल है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनायें हो सकती हैं कि तिल का ताड़ बिना दया जाए, बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाये, पूरे तौर पर ठीक ढंग से पेश न किया जाए, कछ व्यक्तिगत वैमन्स्य या आपस की प्रतिद्वंदिता या ईर्ष्या, विद्वष जो होता है, इसका भी कुछ प्रश्रय लिया जा सकता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार के तथा प्रान्तीय सरकार के अधिकारियों को बड़ी सतर्कता से ऐसी रिपोर्टों की छानबीन करनी चाहिये और कोई भी मुकदमा चलाने से पहले या कोई भी कार्रवाई करने से पहले उनको स्वयं इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिये कि क्या वह रिपोर्ट सच्ची है या नहीं।

इस विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही है कि कुछ क्षेत्रों को नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में मुझ से पहले बोलने वाले मित्रों ने भी कुछ प्रकाश डाला है। मैं भी दो-तीन बातें माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इनका स्पष्टीकरण कर दें। ये जो घोषित क्षेत्र करार दिए जायेंगे इनके सम्बन्ध में एक प्रश्न तो यह उठता है कि वहां के बहुत से लोग जो सरकारी नौकरियों में हैं, या फौज में भरती हैं और बाहर गए हुए हैं जब वे वापिस अपने घरों में छुट्टी पर या अवकाश ग्रहण करने के बाद जायेंगे तो क्या उनको भी अनुमतिपत्र लेने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि इस तरह की कोई व्यवस्था जरूर कर दी जाए कि जो वहां के स्थायी निवासी हैं, उनके अपने घर वापिस आने में कोई अड़चने नहीं डाली जाएंगी।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं और जो हमारे माननीय सदस्य श्री मानवेन्द्र शाह ने भी कही है कि हमारे यहां जो विशुद्ध भावना को लेकर तीर्थ यात्री आते हैं या पर्यटक आते हैं, उनके रास्ते में कोई अड़चने न डाली जायें। हमारे जो पर्वतीय इलाके हैं, उनकी अर्थ व्यवस्था, उनकी आर्थिक बहबूदी का सबसे बड़ा आधार वहां का पर्यटन उद्योग हैं। अतः इन अड़चनों की वजह से पर्यटन उद्योग को अगर आघात पहुंचता है तो वहां की अर्थ व्यवस्था को भी धक्का पहुंचेगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी गवर्नमैंट को कुछ विचार करना चाहिये।

यह भी कहा गया है कि जिन एरियाज को नोटिफाइड एरियाज करार दिया जाएगा वहां पर कुछ प्रतिबंध लग जायेंगे और जो बाहर के लोग हैं वे वहां नहीं जा सकेंगे। माना कि बाहर के लोग नहीं जा सकते हैं लेकिन जो लोग पहले से वहां पहुंचे हुए हैं या जिनके दिमाग इस तरह के बने हुए हैं, उनका किस तरह से सुधार किया जाए, उनके दिमागों को कैसे बदला जाए, इसके सम्बन्ध में भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। इस विधेयक का हम पूरे तौर पर स्वागत करते हैं, और समर्थन करते हैं। लेकिन इतना निवेदन सरकार से अवश्य करना चाहता हूं कि वहां जहां हम कड़ाई और दमन का सहारा लें वहां साथ ही साथ इन पिछड़े हुए पर्वतीय तथा सीमावर्ती इलाकों के अन्दर विकास कार्यों में भी बड़ी तेजी लायें। जैसा कि मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस के समय भी निवेदन किया था कि हमारी रक्षा पंक्ति में अगर कोई दरार पड़ सकती है तो वह वहां की गरीबी के अभिशाप के कारण ही पड़ सकती है और अगर वहां के लोगों में थोड़ा बहुत भी असन्तोष बना रहा तो उसकी वजह से हमारी जो सीमा

[श्री भक्त दर्शन]

की रक्षा पंक्ति है, उसमें कमजोरी आ सकती है । केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि अनेक वर्षों के बाद उनका ध्यान इन क्षेत्रों की ओर गया है और वहां पर नए जिलों का निर्माण किया गया है और बड़ी तेजी से विकास कार्य उन जिलों में चल रहा है । इसके लिए हमारे यहां के बहुत से लोग तो चीन को भी धन्यवाद देने लगे हैं और कहने लगे हैं कि अगर वह आगे न बढ़ता तो हमारी सरकार का भी ध्यान उधर न जाता । मैं इतना तो नहीं कहूंगा लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जितनी अच्छी तरह से और जितना ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना नहीं दिया गया था । पिछली बार हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ा विवरण यहां पर दिया था और बताया था कि आज से १०–१२ वर्ष पहले उत्तरी सीमान्त के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया था । उस समय केन्द्रीय सरकार के जो अधिकारी थे या सलाहकार थे उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, एक नक्शा तैयार किया था और उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान उत्तरी पूर्वी सीमान्त एजेंसी यानी नेफा के बारे में दिया था और लद्दाख के बारे में जैसा कि स्वयं प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया और मध्यवर्ती इलाके के बारे में जैसा स्वयं उन्होंने कहा, पूरा ध्यान उस समय नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें वहां से खतरे की कोई आशंका नहीं थी । मेरा अपना खयाल यह है कि जिस तरह से आज कल बार्डर रोड डेवेलपमेंट बोर्ड काम कर रहा है और सड़कें बड़ी तेजी से बनाई जा रही हैं, अगर यह कार्य आज से कोई दस या बारह वर्ष पूर्व शुरू हो गया होता तो शायद चीनी सैनिकों को हमारे प्रदेश में आने का मौका भी न मिलता । लेकिन अब जो कुछ हो गया वह हो गया । मगर अब भी इस काम में तेजी लाने की जरूरत है ।

मैं सरकार को धन्यवाद देते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय इलाकों के सीमान्त क्षेत्र में जो जिले बनाये गये हैं, उनसे अभी वहां की जनता को पूरा सन्तोष नहीं हुआ है । इसके भी कारण हैं । वहां सरकारी कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या वहां पर हो गई है जिसका ठिकाना नहीं है । चमोली और उत्तर काशी के क्षेत्र में इतने अधिकारी पहुंच गये हैं कि उनके रहने की समस्या बड़ी कठिन हो गई है । और उन्हें झोपड़ियों व गौशालाओं में अपनी गुजर करनी पड़ रही है । चमोली जिले में ही आप देख लीजिये, जहां पहले एक सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट रहता था, और जिसके पास पूरा केस वर्क नहीं रहता था, वहां अब एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चार-चार सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट रहते हैं । पर उनके पास पूरा काम नहीं है । मुश्किल से महीने में तीन या चार दिन का काम रहता है । इस तरह से उनके ऊपर जो रुपया खर्च हो रहा है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है । इस पर शासन को विचार करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया था कि उत्तरी क्षेत्र में जो जिले बनाये गये हैं उनके लिये सन् १९६०-६१ के बजट में कुछ धन रक्खा गया था, लेकिन वह पूरा खर्च नहीं हो सका । इतना बड़ा बड़ा स्टाफ होते हुए भी यदि वह रुपया खर्च नहीं हो पाया तो यह कोई प्रसन्नता की बात नहीं है । इसलिये हमारी मशीनरी को गियर अप करने की उसमें कुछ तेजी लाने की जरूरत है । सरकार की तरफ से जितना रुपया दिया जाता है उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिये और तेजी से उसे खर्च किया जाना चाहिये । तभी जाकर हम वहां की जनता में जो आत्मविश्वास पहले से मौजूद है, उसमें वृद्धि कर सकेंगे ।

अन्त में मुझे केवल यही निवेदन करना है कि हमारे विरोधी पक्ष के कुछ भाइयों ने यह आशंका प्रकट की है, और जो आलोचनायें यहां हुई हैं उनसे पता चलता है कि शायद इस कानून का राजनीतिक शत्रुता के रूप में या किसी अन्य प्रकार से दुरुपयोग किया जायेगा। पर मेरा अपना विश्वास है कि जब तक इस मंत्रालय का संचालन श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे सत्यवादी मंत्री करते हैं और श्री दातार जी जैसे उनके परम योग्य सहयोगी हैं, तब तक किसी दिशा में भी इस कानून का, जिसका उद्देश्य एक मात्र देशद्रोहपूर्ण गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, दुरुपयोग नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा): मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं। श्री इन्द्र जीत गुप्त का यह कहना कि इस विधेयक का उपयोग भारत में राजनैतिक दलों के कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिये किया जायेगा यह सिद्ध करता है कि उनका हृदय स्वच्छ नहीं है।

इस विधेयक की आवश्यकता चीन के आक्रमण के कारण हुई है। वस्तुतः कुछ दलों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का आचरण और कार्य इस प्रकार का रहा है कि उनकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण लगाना अनिवार्य हो गया है। अतः यह विधेयक वांछनीय है।

यह कहना गलत है कि इस विधेयक के अधीन दी गयी शक्तियों का दुरुपयोग किया जायेगा, यदि कोई ऐसी बात की जायेगी तो उसके विरुद्ध न्यायालयों में अपील की जा सकती है, और दुरुपयोग करने वाले को उचित दंड दिया जायेगा।

वस्तुतः सरकार को इस प्रकार के विधेयक बनाने का पूरा अधिकार है। राष्ट्र की सुरक्षा तथा देश में न्याय और व्यवस्था बनाये रखने के लिये इस प्रकार का विधेयक पारित करना आवश्यक है।

तथापि इस अपराध के लिये जो दंड रखा गया है वह काफी प्रतीत नहीं होता है। ऐसे अपराधों के लिये अधिक कड़ी सजा दी जानी चाहिये।

†**श्री आचार**: देश की सीमाओं में स्थिति को देखते हुए इस प्रकार के विधेयक की बहुत पहले से ही आवश्यकता थी, तथापि सरकार ने अब इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूं।

साम्यवादियों की सदैव से ही यह नीति रही है कि वे इसी प्रकार अन्य देशों में घुसते चले जाते हैं। उत्तरी वीयत नाम और उत्तरी कोरिया इसके उदाहरण हैं। यह सभी जानते हैं कि चीन का इन कार्यवाहियों पर पूरा हाथ है। अब जब कि चीन ने हमारे सीमान्त में भी आक्रमण किया है तो साम्यवादी दल के कुछ लोग इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि चीन में सरकार भारत से अच्छी है और हमें इस स्थिति का सामना नहीं करना चाहिये।

साम्यवादी दल में इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है तथापि यह निश्चित है कि साम्यवादी दल में कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो कि चीनियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को अवश्य दंड दिया जाना चाहिये।

तथापि इस विधेयक में जिस दंड की व्यवस्था की गई है वह बहुत नरम है। इस प्रकार के कार्यों के लिये अधिक कड़े दंड की व्यवस्था होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

मेरे विचार से वर्तमान दंड संहिता में इस प्रकार के अपराधों के लिये उचित उपबंध नहीं है, इसी लिये इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता अनुभव की गयी। वस्तुतः वर्तमान विधेयक निवारक निरोध अधिनियम से अच्छा है क्योंकि इसके द्वारा उस व्यक्ति पर विधि की प्रक्रिया के अधीन पूरी कार्यवाही की जायेगी और वह अपनी अपील उच्च न्यायालय तक कर सकता है।

वर्तमान संविधान के उपबंधों के अधीन इस विधेयक के उपबंधों को काश्मीर राज्य में लागू करना संभव नहीं है। अतः केवल इसी कारण उक्त राज्यों को छोड़ देना पड़ा।

तथापि मेरा विचार है कि विधेयक के पारित करने मात्र से सरकार का अभिप्राय पूरा नहीं होगा, अतः देश के विधान सभाई तथा संसद् सदस्यों को चाहिये कि वे इस इलाके का दौरा करें और वहां की भोली-भाली जनता को सही स्थिति से अवगत करें जिससे कि वे साम्यवादियों के विषैले प्रचार से प्रभावित न हों।

†**श्री जं० ब० सिंह० विष्ट** (अल्मोड़ा): मुझे इससे संदेह है कि इस विधेयक से सरकार का अभिप्राय पूरा होगा या इससे हम स्थिति का सामना करने में समर्थ होंगे।

यह अधिनियम केवल अनुसूचित क्षेत्र में ही लागू किया जायेगा। तथापि यह स्मरण रखना चाहिये कि उक्त क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग खानाबदोश हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते या व्यापार करते हैं। अतः मेरे विचार से यह उचित है कि यह अधिनियम सारे भारत में लागू किया जाय। इससे इस प्रकार की कार्यवाहियों पर सारे देश में रोक लगेगी।

इस अधिनियम के अनुसार लोगों को अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, वहां के बहुत से व्यक्ति सैना में हैं मेरे विचार से उन्हें छूट दी जानी चाहिये।

इस संबंध में एक आवश्यक बात है कि इन शक्तियों का उपयोग पूर्ण सावधानी से किया जाय तथा इस संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत भेदभाव नहीं किया जाय।

तथापि इस बात का स्थायी उपचार यही है कि उस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार किया जाय। इससे वह देश के प्रति सच्चे वफादार हो सकते है। अपनी आर्थिक विकास के लिये या विकास कार्यों के लिये यदि जनता द्वारा कोई मांगें रखी जाय तो उनका गलत अर्थ नहीं लगाया जाय। मैं आशा करता हूं कि अधिनियम को इस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा कि इससे देश की समृद्धि तथा सुरक्षा में वृद्धि होगी।

†**श्री मा० श्री० अणे** (नागपुर): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके द्वारा कार्यपालिका तथा पुलिस की शक्तियों में वृद्धि हुई है। भारत के उत्तरी सीमांत में जो विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई है उसका सामना करने के लिये यह विधेयक वांछनीय है।

तिब्बत की राज्यसत्ता समाप्त होने का यह परिणाम हुआ कि चीन हमारा पड़ौसी देश बन गया है। चीन ने पंचशील के सिद्धांतों के प्रति अपनी आस्था प्रगट करते हुए भी भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र का अतिक्रमण कर लिया। इससे देश भर में उनके प्रति अत्यंत रोष की लहर दौड़ गई। तथापि अब भी देश में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि जनता को

---

†मूल अंग्रेजी में

अपना रोष प्रगट करने से रोक रहे हैं और इस प्रकार देश में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

इस विधेयक में केवल तीन खंड महत्वपूर्ण हैं। पहिली धारा उन लोगों से संबंध रखती है जो कि भारत की प्रादेशिक अखंडता के तथा उसकी सीमाओं के विरुद्ध प्रचार करते हैं। वस्तुतः जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के अधीन जो भी अधिकार एक भारतीय को प्राप्त हैं उनके उपभोग का केवल उसी व्यक्ति को अधिकारी होना चाहिये जो सच्चे अर्थों में भारतीय है। अतः इस विधेयक के अधीन कोई असंवैधानिक बात नहीं की जा रही है।

खंड २ के अधीन राज्य को उन लोगों को दंड देने की व्यवस्था की गई है। यह खंड देश के सभी व्यक्तियों पर लागू होता है।

खंड ३ के अधीन सरकार को कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार दिया गया है। उपखंड २ के अधीन जो व्यवस्था की गई है वह केवल अधिसूचित क्षेत्र पर ही लागू होती है। वह सम्पूर्ण भारत में लागू नहीं होती है। इस प्रकार राष्ट्रविरोधी प्रचार मुख्यतः प्रकाशनों, पुस्तिकाओं इत्यादि के द्वारा ही किया जाता है अतः उन पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। तथापि अधिकार के दुरुपयोग के विरुद्ध भी व्यवस्था की गई है। खंड ५ के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि अधिकारियों की कार्यवाही के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरे विचार से राज्य की सुरक्षा को देखते हुए इस प्रकार का विधेयक पारित करना आवश्यक है। सरकार को चाहिये कि वह विधेयक की समस्त त्रुटियों को दूर करे, यदि आवश्यक हो तो इससे अधिक कठोर विधान पारित करे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (बेल्लोर): वर्तमान विधेयक का उद्देश्य अपराध विधि की कुछ त्रुटियों को दूर करना है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए ऐसा विधेयक पारित करना नितांत वांछनीय है।

इस विधेयक के खंड २ की शब्दावलि बहुत व्यापक है, तथापि उसमें 'इन्टेशन' अभिप्राय शब्द नहीं आया है। मेरे विचार से 'अभिप्राय' शब्द का होना बहुत आवश्यक है। इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

विधेयक में कहा गया है कि अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अवांछनीय कार्यवाही करेगा तो उसे दंड दिया जायेगा। तथापि यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र से बाहर रहकर भी इस प्रकार की कार्यवाहियां करे। जैसा कि इस समय किया जा रहा है। अतः इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिये कि यदि अधिसूचित क्षेत्र के बाहर रहते हुए भी कोई व्यक्ति ऐसी कार्यवाहियां करे जो कि भारत की सुरक्षा के प्रतिकूल हो तो उन्हें दंड दिया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० बो० ठाकुर** (पाटन) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यह विधेयक बहुत विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, वस्तुतः इस प्रकार का विधेयक बहुत पहिले ही पारित कर लिया जाना चाहि े था।

समझ में नहीं आता कि श्री इन्द्रजीत गुप्त इस विधेयक की उपयोगिता को देखते हुए इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि वे अपने दल से इस आशय का संकल्प पारित करवायें कि चीन ने वास्तव में भारत पर आक्रमण किया है, जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे तब तक देश को साम्यवादियों पर विश्वास नहीं हो सकता है।

मैं गृह-मंत्री का ध्यान उन लोगों की ओर भी दिलाता हूं जो कि उत्तरी गुजरात में पाकिस्तान सीमांत पर रहते हैं। उन लोगों की आर्थिक अवस्था के सुधार के लिये प्रयत्न कि े जाने चाहियें।

मुझे दुख है कि इस अधिनियम के संबंध में बोलते हुए माननीय गृह मंत्री ने भारत-पाकिस्तान सीमा का जिक्र नहीं किया है। वहाँ चोरी छिपे सामान लाने और ले जाने का काम जोरों से चल रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सभा के लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इसका विरोध किया है।

विधेयक के संबंध में चार पाँच महत्वपूर्ण बातें कहीं गई हैं। श्री गोरे ने कहा है कि श्री दातार ने उस दल का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है जो सीमान्त क्षेत्र में भारत विरोधी प्रचार कर रहा है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक किसी एक दल विशेष के विरुद्ध कार्यवाही करने के अभिप्राय से नहीं बनाया गया है। जो कोई भी व्यक्ति अथवा दल देश की सुरक्षा या उसके हितों के विरुद्ध प्रचार करेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। श्री गुप्ता ने यह आरोप लगाया है कि यह विधेयक बहुत कठोर है, तथापि मैं उनके इस आरोप का कारण नहीं जान सका। निसंदेह इसके उपबंध काफी कठोर हैं। यह निवारक निरोध संबंधी मामला नहीं है। विधेयक में निरुद्ध करने की व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में कार्यवाही न्यायालय द्वारा की जायेगी । उन्हें उच्चन्यायालय में अपील करने का भी अधिकार दिया गया है। अतः जो कोई भी इस विधेयक के उपबंधों के विरुद्ध अवैध कार्यवाही क ेंगे उनके विरुद्ध सामान्य कार्यवाही की जायेगी। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दो तीन पत्रों के नामों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार का अवांछनीय प्रचार कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंनें सत्यपथ, कर्मभूमि और सरहदी का नाम उल्लेख किया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त का कथन हैं कि वे कांग्रेसी पत्र हैं । मेरा कथन है कि वे कांग्रेसी पत्र नहीं हैं अपितु वे स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा निकाले जाते हैं। यदि वे पत्र भी विधि का उल्लंघन करेंगे तो उनके विरुद्ध भी का ्वाही की जायेगी। अतः श्री दातार े किसी एक दल का नाम न लेकर उचित ही किया ।

श्री गुप्ता ने यह कहा है कि सरकार को यह स्पष्ट रूप से घोषित करना चाहिये कि यह विधेयक साम्यवादी दल के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये अधिनियमित किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्तुतः समस्त देश इस तथ्य से अवगत है तथा देश के सभी लोगों की यह राय है कि चीन ने आक्रमण किया है। तथापि केवल साम्यवादी दल में कुछ लोगों का यह मत है कि चीन ने ऐसा नहीं किया है। यद्यपि इस बात को लेकर उनके बीच भी तीव्र मतभेद हैं। उनके कई सम्मेलनों तथा अभिसमयों के बावजूद भी उनके मतभेद अभी तक जारी हैं। किन्तु दोनों चीजों में संतुलन करके फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उस दल को हाल में पारित किये गये संकल्पों के आधार पर देखना उचित नहीं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हां। मैं इस चीज से सहमत हूं। मैं समझता हूं कि यह अच्छा ही है कि साम्यवादी एकमत हो जायें और किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचें। किन्तु यह तो सच है कि साम्यवादी दल की राय इस प्रश्न पर विशेष ही है और वह यह कहते हैं कि भारत को चीन के साथ बातचीत करनी चाहिये। भारत ने तो सदा यही रवैया अपनाया है। किन्तु भिन्नता तो वहां आती है जब साम्यवादी दल भारत और चीन को एक ही स्तर पर रखते हैं। उन्होंने संकल्प में कहा है कि चीन ने कुछ गलतियां की हैं और भारत ने भी की हैं। परन्तु सत्य यह है कि चीन ने भारत के सहस्त्रों वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा किया है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस चीज से हमारी देशभक्त जनता त्रस्त है। मैं किसी की देशभक्ति पर शंका नहीं करता पर इस तरह बातें करना कि भारतीय नेता बात नहीं करना चाहते, विचित्र सी बात है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि पिछले दिनों से साम्यवादी दल सीमांत प्रदेश में बड़ी तेजी से काम करने लगा है। इससे भी सन्देह पैदा होता है। वहां साम्यवादी एकक बन गये हैं। और हर तरह का काम चल रहा है; यह अलग चीज है कि आप क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते। हर जगह हिन्द-चीन सीमा विवाद की बात चलाई जाती है। आम जलसों में यह कहा जाता है कि चीन का कोई दोष नहीं है। चीन ने आक्रमण नहीं किया है और आर्थिक प्रगति में भी चीन भारत से आगे है। यह भी कहा जाता है कि यदि भारत ने चीन से युद्ध किया तो हजारों व्यापारियों का व्यापार नष्ट हो जायगा। हो सकता है कि ऐसा हो। परन्तु ऐसी बातें वांछनीय नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत कहते हैं कि श्री बुरानिक वहां नहीं थे। इस लिये मैं नाम नहीं लेना चाहता पर उनके पत्र जनयुग में ऐसी चीज आई है। "झूठ झूठ, झूठ" शीर्षक के अन्तर्गत इसमें कुछ लिखा गया है। इसके बाद प्रधान मंत्री पर आरोप लगाया गया है कि वे साम्यवादियों के बारे में गैर-जिम्मेदारी की बातें कहते हैं और यह भी कहा गया है कि जैसे साम्यवादियों को संसद् में जाने से रोका नहीं जा सकता वैसे ही सीमांत में भी नहीं रोका जा सकता। सम्पादकीय लेख में चीन का पक्ष लिया गया।

क्या वह लोग इससे अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते थे ? क्या प्रधान मंत्री के लिये नम्रता का व्यवहार नहीं किया जा सकता था ? परन्तु यदि वे ऐसे ही शीर्षक रखना चाहते हैं तो रखें हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसी पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का एक विज्ञापन छपा जिसमें जनता से अपील की गयी थी कि वे सीमा प्रदेश में साम्यवादी संकट से जूझें। पर बाद में उसी अखबार ने छापा कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गयी है कि हमने यह विज्ञापन छापा है। अब ऐसी भूल को सुधारने वाली बात छापने का तात्पर्य आप खुद समझिये। इन सब बातों से शंका और सन्देह पैदा हो जाता है। यदि साम्यवादियों के इस काम से हालत बिगड़ने लगेगी तो स्वाभाविक रूप से इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करना पड़ेगा।

---

†हिन्दी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जिन अखबारों के बारे में कहा था उनमें से सत्यपथ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा था कि उसका सम्पादक पहले कांग्रेस में था। कर्म भूमि के सम्पादक भी कांग्रेस से त्यागपत्र दे चुके थे। उनके सुपुत्र उसी क्षेत्र के एक साम्यवादी कार्यकर्त्ता हैं।

श्री गोरे ने उस क्षेत्र में रचनात्मक काम के बारे में कहा। वहां पर केवल कानून ही को प्रभावपूर्ण ढंग पर लागू नहीं करना होगा बल्कि और भी काफी कुछ करना होगा। कुछ समय पहले केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस दिशा में सलाह दी थी और १९६० में यह तय किया गया था कि भारत सरकार इस दिशा में स्वयमेव उद्योग करे। उन क्षेत्रों की पहले अवहेलना की गयी है।

निर्णय किया गया था कि इन क्षेत्रों को प्रशासनात्मक एककों में बांटा जाय और साथ के राज्यों से सम्बद्ध कर दिया जाय। उत्तर प्रदेश में तीन जिले बने और पंजाब में भी लाहौल का जिला बना है। इनको इस ढंग पर बनाया गया है कि अधिकाधिक काम के अधिकार स्थानीय अधिकारियों को दिये जायें। जिला उप आयुक्त चीफ सेक्रेटरी से सीधे पत्र व्यवहार करेंगे। यह इस कारण किया गया है ताकि मामलों का निबटारा शीघ्रातिशीघ्र किया जा सके।

सीमांत के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है पर भारत सरकार ने भी वित्तीय सहायता दी है। हम कुछेक योजनाओं को कार्यान्विति के लिये स्वीकृत कर चुके हैं। १.८३ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश, ३४.८० लाख रुपया पंजाब को, ६२.३७ लाख जम्मू तथा काश्मीर को और ९.८९ लाख रुपया हिमाचल प्रदेश के लिये स्वीकार किया गया है। हमने यथासंभव विकासात्मक काम करने का यत्न किया है। सड़कों के अलावा और भी अनेक विकास संबंधी कार्यवाहियां हैं। संचार साधनों से भी उस क्षेत्र की जनता को काफी लाभ पहुंचेगा।

श्री गोरे की बात सुन कर मुझे दुख हुआ कि वहां काम करने वाले अधिकारी इतने ईमानदार नहीं हैं। यदि वे खाने के बाद ब्रिज खेलते हैं तो हमें इस चीज पर चिंता नहीं करनी चाहिये। उन्होंने ताश पर भी आपत्ति की। अफसरों को वास्तव में मेहनत करनी चाहिय। पहाड़ों में एकाकी जीवन बिताना और वहां रहकर सेवा करना काफी कठिन काम है। लोग मैदानों में आने को आतुर रहते हैं। स्थानीय लोगों को रखना श्रेयस्कर हो सकता है। किन्तु बड़े पदों के लिये तो हमें बाहर वालों पर भी निर्भर करना होगा।

जम्मू और काश्मीर की स्थिति दूसरी है। उनके पास ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये काफी अधिकार हैं।

श्री खाडिलकर ने अधिसूचित क्षेत्र के बाहर होने वाले प्रचार का उल्लेख किया। उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। खंड ३ भी काफी व्यापक है। श्री मानवेन्द्र शाह खंड ३ के संबंध में तनिक व्यग्र हैं। श्री खाडिलकर ने भी यायावरों संबंधी कठिनाई का उल्लेख किया। श्री शाह ने बताया कि सामान्यतः लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। उस संबंध में अधिसूचना द्वारा छूट दी जा सकती है। उन्हें नियमों का ज्ञान नहीं इस कारण संभवतः उन्हें कठिनाई हो। परन्तु उस क्षत्र के अधिकारियों को उनका विशेष ध्यान रखना चाहिये। श्री मानवेन्द्र शाह को यह चिन्ता है कि शायद यह कानून सामान्य काम काज में भी बाधक बने। परन्तु ऐसी बात नहीं होगी।

यद्यपि इस विधेयक को लाकर मुझे अधिक प्रसन्नता नहीं हो रही तथापि जो बातें जनता के अन्दर बेचैनी फैलाने या उसे कातर बनाने के लिये की जाती हैं उनकी रोकथाम आवश्यक है। सब काम कानूनी ढंग पर चलेगा।

निवारक निरोध अधिनियम के बारे में मैं कुछ अलग राय रखता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि उन्हें चार बार निरुद्ध किया गया और चारों बार गलत आधार पर निरुद्ध किया गया था। मुझे भी एक से अधिक बार निरुद्ध किया गया था। पर जेल में मैं तो सदा यही समझता रहा कि मुझे ठीक ही निरुद्ध किया गया है।

कई बार सरकार प्रमाण नहीं दे सकती और यह अलग बात है। उन दिनों युद्ध लगा हुआ था। आज की स्थिति ऐसी है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाय कि भारत की एकता को अक्षुण्ण रखना है और यदि उसके विरुद्ध किसी ने कोई काम किया तो उसे सहन नहीं किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि दण्ड विधि के अनुपूर्ति करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड २ को विधेयक में जोड़ा जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३, ४ और ५ विधेयक में जोड़ दिए गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड १ में यह संशोधन है :

संशोधन किये गये :

"पृष्ठ १, पंक्ति १ में "Eleventh Year" (ग्यारहवां वर्ष) के स्थान पर जोड़िये "Twelfth Year" (बारहवां वर्ष)।

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में "1960" (१९६०) के स्थान पर रखिये "1961" (१९६१)।

[श्री दातार]

प्रश्न यह है कि :

"खंड १, संशोधित रूप में, अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, संशोधित रूप में, अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): इस कानून का दुरुपयोग हो सकेगा । इस कानून को देख कर १९३२ के दंड विधि संशोधन कानून की याद आ जाती है जो नमक सत्याग्रह के दमन के उद्देश्य से बनाया गया था । उसके बाद १९३६ में उसी कानून का उपयोग श्रमिकों के दमन के लिए किया गया ।

इस कानून के अन्तर्गत भी जो क्षेत्र अधिसूचित घोषित हो गया उस में पुलिस अफसर जिस किसी को भी चाहेंगे पकड़ धकड़ कर तंग कर सकेंगे । लोगों को परमिट लेकर ही उन क्षेत्रों में जाना होगा । बिना परमिट वालों को पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी और वहां के निवासियों को भी अदालतों के सामने यह चीज सिद्ध करनी कठिन हो जायगी कि वे लोग उसी क्षेत्र के वास्तविक निवासी हैं । इससे लोगों को जितनी परेशानी और कठिनाई होगी उसका अंदाज सहज ही में लगाया जा सकता है । इस कारण मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री भक्त दर्शन ने एक व्यक्ति विशेष का उल्लेख करते हुए कहा कि वह साम्यवादी दल का सदस्य है पर मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण दास भट्ट कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं हैं ।

कहीं पर भी इस चीज का जिक्र तक नहीं हुआ कि च्यांग काई शेक के एजेंट भी उस क्षेत्र में विचरते हैं । मैं वह पत्र प्रस्तुत कर सकता हूं जिनका विवरण उन लोगों ने किया है ।

अन्ततोगत्वा मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को इस प्रकार के कानून नहीं बनाने चाहिए जिनसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर ही कुठाराघात होता हो ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : यह कानून सभा की मांग पर ही बनाया जा रहा है । जब प्रश्नों द्वारा बार बार इस चीज की रोक थाम के लिए कार्यवाही करने की मांग की गई थी तब किसी भी कम्यूनिस्ट सदस्य ने उसका विरोध नहीं किया था । यह सभा ही की मांग पूरी की गयी है ।

सब लोग यह जानते हैं कि हमारी सरकार साम्यवादियों के प्रति नम्रता पूर्ण व्यवहार कर रही है । सारी दुनिया इस चीज को जानती है । कम्यूनिस्ट खुद ही इनका विरोध कर के अपने आप को शंकास्पद स्थिति में डाल रहे हैं ।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद): इस विधेयक के लिये मैं सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं । हम काफी अर्से से यह देखते हैं कि हमारी सीमाओं पर विध्वंसात्मक कार्यवाही हो रही है । उसे रोकना आवश्यक था ।

परन्तु एक चीज के बारे में मुझे संदेह है और वह यह है कि भारतीय क्षेत्र की स्पष्ट परिभाषा इसमें नहीं की गयी है । परिभाषा के बिना काम अधूरा रह जायगा ।

शेष खंड ठीक है । श्री तंगामणि ने कहा है कि परमिट प्रणाली से वहां के निवासियों को ही कठिनाइयां पैदा हो जायंगी । मेरे विचार में ऐसी चीज नहीं होगी और यह केवल काल्पनिक कठिनाई मात्र है ।

यदि इस कानून के अन्तर्गत किसी को दंड भी मिले तो उसका अपील भी हो सकता है । ऐसा कानून वस्तुतः आज से तीन वर्ष पहले ही बन जाना चाहिए था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : कोई भी व्यक्ति जिसको कोई शिकायत हो, उसके लिए रास्ता खुला है वह अदालत में जा सकता है। श्री मूल चन्द दुबे की जो बात है कि राज्य क्षेत्रों की परिभाषा क्या होगी, वह संविधान में दी गयी है, उसे विधेयक में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय सदस्य को इस दिशा में कोई सन्देह नहीं होने चाहिएं। मैं माननीय सदस्यों विशेषतः श्री हरिश्चन्द्र माथुर का आभार मानता हूं जिन्होंने यह कहा कि यह विधेयक सभा की मांग पर प्रस्तुत किया गया है।

अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है, न इसे चुनावों में किसी दल की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ही इसे प्रस्तुत किया गया है। इस कानून को बना देने से तो ही चुनाव नहीं जीते जा सकते। चुनाव तो हम अपनी पुरानी कार्यवाहियों तथा अपनी विचारधारा के आधार पर जीतने का प्रयत्न करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव

†**श्री हरिवश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"(१) यह सभा संकल्प करती है कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अनुसरण में, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८ द्वारा किये गये संशोधन, जो २२ फरवरी, १९६१ को सभा पटल पर रखी गई थी रद्द कर दिये जायें।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संकल्प से सहमत हो।

(२) यह सभा संकल्प करती है कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अनुसरण में, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७ द्वारा किये गये संशोधन, जो २२ फरवरी, १९६१ को सभा पटल पर रखी गयी थी रद्द कर दिये जायें।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संकल्प से सहमत हो।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

इस दिशा में मेरे संशोधन बड़े सरल हैं। मैं किसी व्यक्तिगत मामलें में नहीं जाना चाहता। सिद्धान्त की बात करूंगा । मेरा निवेदन यह है कि प्रथम श्रेणी के अधिकांश अधिकारी विशेष वेतन के हकदार हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जिले में कार्य कर रहा कोई अधिकारी सचिवालय में डिप्टी सेक्रटरी बन कर आता है तो वह विशेष वेतन पाने का हकदार है । विशेष वेतन के संबंध में जो व्यवस्था उपबंध में की गयी है उसका परिणाम यह हुआ है कि विशेष वेतन पाने वाले अधिकारी प्रधान कार्यालयों में जमा हो रहे हैं।

राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चार नये पद निर्माण किये गये हैं। इन पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को विशेष वेतन मिलेगा । यह बात क्यों की गयी इस के संबंध में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस विशेष उपबन्ध के कारण क्या हैं यह बताया जाना चाहिए। विशेष वेतन देने की बात अब आम हो गयी है । ऐसा लगता है कि इसे विशेष अधिकारियों को बख्क्षीश देने के लिए काम में लाया जाता है । इस के परिणाम स्वरूप उच्च सेवाओं में निराशा की भावना व्याप्त हो गयी है । सरकार को कनिष्ठ सेवाओं की सम्पूर्ण पदाली और विशेष वेतन के प्रश्न की समीक्षा करनी चाहिए।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाली के लिए चार नये पदों का निर्माण करने वाली जो अधिसूचना जारी की गयी उस से राज्य के कर्मचारियों की पदोन्नति की सम्भावनायें कम हो जायेंगी। यह भी बात है कि इस पर खर्च भी बहुत अधिक हो गया है। मेरा यह भी अनुरोध है कि विभागीय जांच के लिए आयक्तों के जो पद हैं उन पर सेशन जजों को नियक्त किया जाना चाहिए और यह प्रणाली सारे देश में लागू की जानी चाहिए। मेरा मत यह है कि इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त नहीं करना चाहिए । आज मितव्ययता की लहर भी चलाई जा रही है, मितव्ययता के हित में भी विशेष वतन समाप्त किया जाना चाहिए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुर) : इस मामले में दो तीन सिद्धांत हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए । मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि विशेष वेतन के मामले में स्थिति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। कुछ पदाधिकारियों के सम्बन्ध में विशेष वेतन की जो व्यवस्था की गयी है उसका स्पष्टतः कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता । सरकार को यह सभा को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि किन परिस्थितियों के कारण कुछ अधिकारियों को विशेष वेतन देना पड़ रहा है । यह बात साधारण नहीं है, २० लाख कर्मचारियों पर इसका बड़ा अनैतिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रशासकीय व्यय में भी कमी करने की बड़ी आवश्यकता है ।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि विशेष वेतन की प्रणाली में पक्षपात की पूरी सम्भावना होती है । यह भी पता चलता है कि ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है, जिसके आधार पर कुछ पदों को आई० ए० एस० पदाली में और कुछ को राज्यों की पदाली में रखा है । मैं यह

†मूल अंग्रेजी में

निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ मुख्य मुख्य सिद्धांत निर्धारित किये जाने चाहिए ।

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुछ राज्यों में आई० ए० एस० पदाधिकारियों का समुचित उपयोग नहीं होता । यह भी है कि इस पदाली के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी को बाट और माप का आयुक्त नियुक्त किया गया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इन प्रस्तावों को पास करना चाहिए । सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह ये दोनों अधिसूचनाओं को वापिस ले ले ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वैल्लोर): इस दिशा में जो भाषण हुए हैं, उन्हें मैं ने बड़े ध्यान से सुना है । मेरी यह धारणा बदली नहीं कि विशेष वेतन वाले विशेष पदों के खाली होने पर उन पर नियुक्ति करने के मामले में किसी विशेष व्यक्ति अथवा कृपा पात्र को नियुक्त करने की काफी सम्भावना रहती है । मामले के इस अंग को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । मेरा यह निश्चित मत है कि समाज के समाजवादी ढांचे में इस प्रकार का परिवार पोषण अथवा भ्रष्टाचार नहीं चलना चाहिए । इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। इस मामले में योग्यता को ही एक मात्र कसौटी मान कर चलना चाहिए ।

हमें यह बात भी कभी नहीं भूलना चाहिए सेवाओं के पदों का बड़ा महत्व है । अतः सेवाओं के पदाधिकारियों का साहस बनाये रखना चाहिए । यह तब ही सम्भव हो सकता है जब कि केवल योग्य व्यक्ति ही पदोन्नतियां प्राप्त करें । सेवाओं में काम कर रहे किसी भी व्यक्ति को यह अनुभव नहीं होना चाहिये कि उसकी अवहेलना हो रही है । मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में जो सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुरूप सम्बद्ध नियमों में समुचित परिवर्तन कर लिये जायेंगे ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मेरे माननीय मित्रों ने जो बातें कहीं हैं उनकी ओर आने से पूर्व मैं इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय सदस्य श्री हरिश्चन्द्र माथुर तथा अन्य कुछ साथियों ने जो दृष्टिकोण अपना उसे स्वस्थ्य नहीं कहा जा सकता । इस दिशा में मेरा निवेदन है कि १९५१ में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था । इस अधिनियम को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम का नाम दिया गया था । इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों के परामर्श से नियम बनाये गये थे । इसके लिए १९५४ में राज्य सरकारों के महासचिवों तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था । इसमें भी विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण किया गया था । इन नियमों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था और उन्हें सभा पटल पर भी रख दिया गया था । उन पर जहां तक मुझे याद पड़ता है दोनों सदनों में कुछ चर्चा भी हुई थी, परन्तु उन्हें बिना किसी प्रकार के परिवर्तनों के पास कर दिया गया था । अतः इस स्थिति में चर्चा का कोई सामान्य विषय बन सकता है। इस दिशा में बनाये गये नियमों को देखा जा सकता । विशेष वेतन वाली बात भी उनके अन्तर्गत आती है । इस नियम का उल्लेख अनुसूची ३ (ख) की उपधारा (२) में आता है ।

राजस्थान राज्य में जिन चार पदों को आई०ए० एस० की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है, उनके बारे में यह कहना सही नहीं होगा कि उनमें से प्रत्येक को ३०० रुपये प्रति मास

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

विशेष वेतन मिलेगा । इस विषय पर राज्य सरकार ने विचार करना है। विशेष वेतन १०० रुपये से ३०० रुपये तक हो सकता है । राजस्थान सरकार महसूस करती है, ये पद विशेष उत्तरदायित्व वाले हैं और इनका काम बड़े परिश्रम का है। इन पदों पर उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता है जिन्हें कम से कम १० वर्ष काम करने का अनुभव होगा ।

केवल राजस्थान में ही ऐसा नहीं किया गया, अन्य राज्यों में भी ऐसे पदों को आई० ए० एस० की श्रेणी में कर दिया गया है, और उन पदों पर काम करने वालों को विशेष वेतन दिया जाता है । राजस्थान सरकार ने वही किया है, जो अन्य राज्य कर चुके हैं।

विभागीय जांच आयुक्त के पद का जहां तक सम्बन्ध है, उसके लिए मेरा निवेदन यह है कि यह भी एक महत्वपूर्ण पद है और शायद इसी चीज का ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार ने सोचा कि इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति को अधिक अच्छा वेतनक्रम दिया जाये । जो लोग सामान्यतः राज्यों की अपनी अपनी सेवाओं में काम कर रहे हैं उनके लिए पदोन्नति के अवसर होते हैं। इन अधिकारियों की पदोन्नति का कोटा भी होता है । जो लोग राज्य सरकार की सेवाओं में ८ वर्ष तक काम कर चुके हैं उनकी इस प्रकार पदोन्नति हो सकती है। ऐसे अधिकारियों का चुनाव संघ लोक सेवा आयोग करता है और जो सूची वह अन्तिम रूप से तैयार करता है उसे सरकार स्वीकार कर लेती है । अतः कोई इस प्रकार की बात होने की सम्भावना ही नहीं होती जिस पर कि आपत्ति की जा सके।

राजस्थान के मामले में हमने जो कुछ किया है वह राज्य सरकार से पूरी तरह से परामर्श कर के किया है । मुख्य सचिव के सम्बन्ध में मेरा अनुभव यह है कि यह पद बड़ा व्यापक होता है । इसके साथ कोई विशेष उत्तरदायित्व नहीं होता । इस पद पर नियुक्त व्यक्ति का यह काम होता है कि वह सब के हितों की रक्षा करे और यदि कोई गलत काम करता पाया जाये तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि हम प्रान्तीय असैनिक सेवा के अधिकारियों को बुला लेते हैं। हमारे मौजूदा नियमों में उनकी पदोन्नति कर के यहां बुलाने की व्यवस्था है । इन सेवाओं के लिये प्रति वर्ष परीक्षा के द्वारा भर्ती किये जाने वाले उम्मीदवार उनमें सम्मिलित नहीं हैं। आम तौर पर पदोन्नति द्वारा २५ प्रतिशत अधिकारी इन सेवाओं में लिये जाते हैं। हर वह अधिकारी जिसने आठ वर्ष का सेवा-काल किसी राज्य-सरकार में पूरा कर लिया हो, इन सेवाओं में पदोन्नत होने का अधिकार हासिल कर लेता है । माननीय मित्र अप्रत्यक्ष रूप से कुछ और कहना चाहते थे । मैं पहले भी बता चुका हूं कि पदोन्नति के अधिकारी सभी उम्मीदवारों की एक प्रारम्भिक सूची तैयार की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग अन्तिम रूप से वह सूची तैयार कर देता है । हम उसे स्वीकार कर लेते हैं । भारत सरकार वह चुनाव नहीं करती । प्रारम्भिक सूची राज्य सरकार भेजती है और संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य उसके सम्बन्ध में पहले बात कर लेता है । बाद में, उसी बातचीत के आधार पर, संघ लोक सेवा आयोग उसे अन्तिम रूप दे देता है । ऐसी स्थिति में, हमारे ऊपर राज्य असैनिक सेवा के साथ अन्याय करने का दोष लगाना अनुचित होगा ।

हम इन सेवाओं के लिये राज्य सरकारों के अधिकारी लेते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ब विशेष तौर पर भर्ती की गई थी, तब काफी बड़ी संख्या में राज्यों के अधिकारी, १८० या शायद

२००, हमने लिये थे। इसलिये भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं, और राज्य असैनिक सेवाओं में विभेद करना अनुचित होगा। एक किसी सेवा के हितों की उपेक्षा करके दूसरी सेवा में अधिकारी लेने का प्रश्न ही नहीं। अखिल भारतीय सेवायें—जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा— भी राज्यों के लिये हैं। हमारे पास उसकी कोई पदावलि नहीं। पदावलि तो राज्य सरकारों की ही होती है। हम राज्य सरकारों से उधार ले लेते हैं। यदि इसे समझ लिया जाये, तो फिर कोई कठिनाई नहीं रह जायेगी। इससे संबंधित नियम १९५४ में बनाये गये थे। सभा ने बिना किसी संशोधन के उन नियमों को स्वीकृति दे दी थी। इसलिये अब इस सारी चीज को अव्यवस्थित कहना अनुचित है। हम योग्यता के आधार पर ही भर्ती करने की कोशिश करते हैं।

इसलिये हमने जो भी किया, वह काफी उचित है। केवल एक वरिष्ठ अधिकारी को 'सुपर टाइम स्केल' दिया गया है और ४ अधिकारियों को अगली श्रेणी में रखा गया है। उनको 'सीनियर टाइम स्केल' के साथ १०० से ३०० तक विशेष वेतन मिलेगा, जिसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या कोई सिद्धांत निश्चित किया गया है कि राज्य सरकार के कौन से पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये रहेंगे ? क्या बांट तथा माप इन्स्पैक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में माना गया है ?

†**श्री दातार :** इन्स्पैक्टर नहीं। शायद आयुक्त होगा।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** पहले वह इन्स्पैक्टर ही था, अब आयुक्त है।

†**श्री दातार :** भारतीय प्रशासनिक सेवा में सभी श्रेष्ठ प्रशासकीय पद, जैसे आयुक्त, राजस्व बोर्ड के सदस्य, सरकार के सचिव, इत्यादि सम्मिलित हैं। मैं ठीक-ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन यदि बांट तथा माप आयुक्त का कोई पद है तो वह काफी वरिष्ठ पद है। बाट तथा माप का विषय काफी महत्वपूर्ण है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय मंत्री ने मेरी बात ठीक से नहीं समझी। मैंने नियमों और विनियमों के औचित्य को तो कोई चुनौती नहीं दी। माननीय मंत्री को राजस्थान सरकार के इन पदों की पृष्ठभूमि की ठीक जानकारी नहीं है। इसलिये मैं उनको दोष नहीं देता। मैंने पूछा था कि पिछले दस वर्ष में इन पदों का प्रशासन किस ढंग से हुआ है ? इसका तो उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया है। क्या यह सही नहीं है कि प्रांतीय असैनिक सेवा के अधिकारियों ने ही इन पदों का प्रशासन सराहनीय ढंग से किया है ?

†**श्री दातार :** असंभव नहीं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह तथ्य है। लेकिन इस पर भी उनको १,२०० रुपये से अधिक नहीं दिये गये। लेकिन अब क्या कोई बात हो गई है कि इन पदों के लिये २,१०० रुपये का वेतन रखा गया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उत्तर यह दिया गया था कि अन्य राज्यों में इनके समकक्षी पदों के लिये अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा था, और अब राजस्थान को भी उसमें सम्मिलित किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। 'सुपर स्केल' पदों के लिये आप २,२५० रुपयों का वेतन-क्रम रखना चाहते हैं। आप वर्तमान सेशन जजों को ही ८००–१८०० के वेतन क्रम में इन पदों पर नियुक्त क्यों नहीं करते ?

†**श्री दातार** : केवल जजों से काम नहीं चलेगा। हमें इसका अनुभव है। हम जानते हैं कि ऐसी विभागीय कार्यवाहियों का भार संभालने के लिये प्रशासन में अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : राजस्थान में इस पद पर एक निवृत सेशन जज ही काम कर रहेथे। वह काफी सफल भी रहे हैं। उनके खिलाफ कोई स्थानीय शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार प्रांतीय प्रशासनिक सेवाओं में विशेष वेतन, वेतन के सुपर स्केल, पदावलि के विस्तार और पदोन्नति की संभावनाओं के प्रश्न पर एक नये सिरे से, नये दृष्टिकोण से पुनः विचार करे। मैं चाहता हूं कि राजस्थान ही नहीं, सभी राज्यों को इससे लाभ पहुंचे। अभी जो हो रहा है, उससे भ्रष्टाचार और पक्षपात पनपता है। आशा है माननीय मंत्री इन सुझावों पर पूरी तौर से विचार करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नये सिरे से विचार करने का दूसरा भी तरीका है।

क्या माननीय सदस्य इन प्रस्तावों पर आग्रह करते हैं ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं इन पर आग्रह नहीं करना चाहता।

†**श्री उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सभा इन प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति देती है ?

प्रस्ताव, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

इसके पश्चात्, लोक-सभा मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/ ५ वैशाख, १८८३ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१

४ वैशाख, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	६०२३—४८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१६८४	दक्षिण वियतनाम में अधीक्षण और नियंत्रण का अन्तर्राष्ट्रीय आयोग . . .	६०२३—२५
१६८५	कैलाश तथा मानसरोवर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्री	६०२५–२६
१६८७	दर्शन यंत्रों के शीशे .	६०२७–२८
१६८९	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन	६०२८–२९
१६९१	चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	६०२९–३०
१६९२	लुधियाना में मशीनी औजार कारखाना .	६०३०–३१
१६९५	बंगाल देशी रूई का निर्यात	६०३१–३२
१६९६	अन्तर्राष्ट्रीय सिल्क संथा का आठवां सम्मेलन	६०३२–३३
१६९७	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर	६०३३
१६९८	दिल्ली में कपड़े का मूल्य	६०३४
१७००	फरक्का बांध .	६०३४—३६
१७०२	उत्तर पूर्व सीमांत अभिकरण में असन्तोष .	६०३७
१७०३	तिब्बत में चीनी सैनिकों की गतिविधियां	६०३८
१७०४	पंजाब सरकार को दी गयी निष्क्रांत भूमि	६०३८–३९
१७०५	पाट का निर्यात .	६०३९–४०
१७०७	चाय उद्योग के लिये उर्वरक	६०४० –४२
१७०८	भूटान-तिब्बत सीमा	६०४२—४४
१७१०	पुनर्वास उद्योग निगम . .	६०४४—४६
१७०९	पश्चिम बंगाल में प्लास्टिक के सामान के छोटे पैमाने के उद्योग .	६०४६–४७
१६९०	कारखानों के उत्पादन में वृद्धि	६०४७–४८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर . .	६०४८—७६
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१६८६	कलकत्ता ट्राम्वे की हड़ताल की जांच संबंधी रिपोर्ट	६०४८
१६८८	विदेशी फिल्म . . .	६०४८–४९
१६९३	बोलनगीर में विस्फोट . .	६०४९
१६९४	नेपा न्यूजप्रिंट फैक्टरी .	६०५०
१६९९	विस्थापित व्यक्तियों की सम्पत्ति	६०५०
१७०१	रेल-लंगर	६०५०–५२
१७०६	मोहिन्द्रगढ़ जिला (पंजाब) में प्लाटों की नीलामी .	६०५२
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
३७२६	चाय . .	६०५२–५३
३७२७	देहरादून में चाय के बाग . . .	६०५३
३७२८	महाराष्ट्र में भारत सेवक समाज	६०५३–५४
३७२९	मध्य प्रदेश में भारत सेवक समाज .	६०५४
३७३०	मध्य प्रदेश में व्यापार प्रबन्ध का प्रशिक्षण .	६०५४–५५
३७३१	पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये स्थापित लघु कारखाने . . .	६०५५
३७३२	ट्रेक्टर .	६०५५
३७३३	ट्रेक्टरों का आयात .	६०५६
३७३४	भूटान को सहायता . .	६०५६
३७३५	साबुन उद्योग .	६०५६–५७
३७३६	अंडों का निर्यात . .	६०५७
३७३७	चमेली की खेती और सुगन्धि उद्योग	६०५७
३७३८	दिल्ली का औद्योगिक विकास	६०५७
३७३९	बेरोजगारी	६०५८
३७४०	पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण	६०५८–५९
३७४१	काम दिलाऊ दफ्तरों में रजिस्टर्ड प्रविधिक व्यक्ति	६०५९
३७४२	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	६०५९
३७४३	मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् . .	६०५९
३७४४	प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष	६०६०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश

अतारांकित प्रश्न संख्या		
३७४५	न्यूयार्क में व्यापार केन्द्र	६०६०
३७४६	सांभर झील का उपयोग	६०६०
३७४७	पूर्वी पाकिस्तान में चल और अचल सम्पत्ति	६०६०–६१
३७४८	जम्मू और काश्मीर राज्य में कागज के कारखाने	६०६१
३७४९	कालीन उद्योग का सर्वेक्षण . . .	६०६१
३७५०	महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को छूट	६०६१–६२
३७५१	कपड़े की कीमतें	६०६२
३७५२	खादी की खरीद .	६०६२–६३
३७५३	'फीलपांव' संबंधी प्रलेख चित्र	६०६३
३७५४	सड़क बनाने के काम आने वाले यंत्र	६०६३
३७५६	रस्सा उद्योग . . .	६०६३–६४
३७५७	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजन	६०६४
३७५८	इलायची का मूल्य . .	६०६४
३७५९	रबड़ बोर्ड के कर्मचारी . . .	६०६४–६५
३७६०	रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ . .	६०६५
३७६१	बोरों का मूल्य . . .	६०६५
३७६२	मोती बाग, नई दिल्ली में दूकानें . .	६०६५–६६
३७६३	पंजाब में खेल कूद उद्योग के लिये शहतूत की लकड़ी . .	६०६६
३७६४	नागा विद्रोही	६०६७
३७६५	जोर्डन के साथ व्यापार करार .	६०६७
३७६६	हांसी (पंजाब) में बिना बिका रूई का स्टाक . .	६०६८
३७६७	अर्द्ध-स्थायी कर्मचारी	६०६८
३७६८	कांगो	६०६८–६९
३७६९	जूतों का निर्यात	६०६९
३७७०	पश्चिम बंगाल में आतिशबाजी के कारखाने में विस्फोट .	६०७०
३७७१	गुजरात राज्य का प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण . .	६०७०
३७७२	नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्ज (नेपा) . .	६०७०–७१
३७७३	मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र . .	६०७१
३७७५	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	६०७१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
३७७६	लद्दाख में खम्पा शरणार्थी	६०७१-७२
३७७७	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड	६०७२
३७७८	फरीदाबाद में उद्योग	६०७२
३७७९	बोनस आयोग	६०७२-७३
३७८०	जन सहयोग केन्द्र .	६०७३
३७८१	अमलाबाद कोयला खान	६०७३
३७८२	निम्न आय वर्ग आवास योजना	६०७४
स्थगन प्रस्ताव		६०७४—७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		६०७७-७८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		६०७८

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :

(१) आसनसोल के पास पूर्वी कजोरा कोयला खान की छत के गिर जाने से ५ मजदूरों की मृत्यु जिसकी सूचना श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने दी थी।

(२) रूरकेला इस्पात कारखाने में आदिवासी मजदूरों की गिरफ्तारी जिसकी सूचना सर्वश्री चिंतामिण पाणिग्रही और तंगामणि ने दी थी।

श्रीमती मैमूना सुल्तान ने मध्य प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में चावल ले जाने के लिये ४०,००० डिब्बों की शेष मांगों से उत्पन्न होने वाली स्थिति की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया।

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया और एक विस्तृत वक्तव्य सभा पटल पर भी रखा।

(१) संविधान के अनुच्छेद ३५० ख के अन्तर्गत १ अगस्त, १९५९ से ३१ अक्तूबर, १९६० तक की अवधि के लिये भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ३ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ७३८ में प्रकाशित सिनेमा कार्बन (नियंत्रण) आदेश, १९६१ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(३) संविधान के अनुच्छेद ३३८ (२) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन (भाग १ तथा २) की एक प्रति।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ६०७८

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) ने कलकत्ता क्षेत्र की वर्तमान कमी के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

विधेयक पुरस्थापित ६०७८

आय-कर विधेयक, १९६१

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन सहित लौटाये गये विधेयक—संशोधन स्वीकृत हुए . . . . . ६०७९—८१

(१) परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) ने प्रस्ताव किया कि तार विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६० में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की गयी।

(२) श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६० में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की गई।

विधेयक—पारित . . . . . ६०८१—६१०३

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि दण्ड विधि संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के बाद विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में रूपभेद करने के प्रस्ताव—वापस लिये गये . . . . . ६१०३—०८

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अनुसरण में, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३

विषय पृष्ठ

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में रूपभेद करने के प्रस्ताव—वापिस लिये गये—क्रमश:

में दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८ तथा दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७ द्वारा किये गये संशोधन रद्द कर दिये जायें और यह सभा-राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संकल्प से सहमत हो। चर्चा के बाद प्रस्ताव वापस लिया गया।

मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/५ वैशाख, १८८३ (शक) के लिए कार्यावलि—

उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९६१ राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, पर विचार तथा उसका पारित किया जाना।

उड़ीसा राज्य के आय व्ययक १९६१–६२ के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के प्रस्तावों पर चर्चा।

GIPND—LS III—550(Ai) LSD—28-6-61—125,

दण्ड विधि संशोधन विधेयक—जारी

श्री गोरे . . ६०८३—८५

श्री इन्द्रजीत गुप्त . . ६०८५—८६

श्री खाडिलकर ६०८६

श्री मानवेन्द्र शाह . . ६०८७

श्री आसर . ६०८७—९१

श्री भक्त दर्शन . . . ६०९१—९५

श्री श्रीनारायण दास ६०९५

श्री आचर . . ६०९५—९६

श्री जं० ब० सिंह बिष्ट ६०९६

डा० मा० श्री० अणे ६०९६—९७

श्री न० रा० मुनिस्वामी ६०९७

श्री मो० ब० ठाकुर . . ६०९८

श्री लाल बहादुर शास्त्री ६०९८—६१०१

पारित करने का प्रस्ताव . ६१०१—०३

श्री लाल बहादुर शास्त्री . . ६१०१

श्री तंगामणि . . ६१०२

श्री हरिश्चन्द्र माथुर . ६१०२

श्री मूलचन्द दुबे . . . . . ६१०२—०३

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव . . ६१०३

श्री हरिश्चन्द्र माथुर . ६१०३—०४

श्री नारयणन् कुट्टि मेनन . ६१०४—०५

श्री दातार . . ६१०५—०८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६१०९—१४

PLS 41. LV. 52. 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण)
के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार
के मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।